सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

31 मार्च, 2023

सप्तदश विधान-सभा | शुक्रवार, तिथि 31 मार्च, 2023 ई०
अष्टम सत्र | 10 चैत्र, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय -11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है...

श्री विजय कुमार सिन्हा, ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय...

श्री विजय कुमार सिन्हा, ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लीजिये । नेता विरोधी दल ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय...

श्री महबूब आलम : महोदय...

अध्यक्ष : आपको भी समय देंगे, बैठिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, आज के अखबार में हेड न्यूज बनी हुई है कि ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र की सेटिंग दो-दो लाख रुपये में करने का स्टिंग ऑपरेशन का दैनिक भास्कर अखबार द्वारा खुलासा किया गया । महोदय, हम अखबार को भी बधाई देते हैं । आज मेधावी युवक-युवतियों का हक मारकर सेटिंग कर पैसे पर दूसरे लोगों की नियुक्ति का पर्दाफाश हुआ है, ये बड़ी न्यूज है । आज बी0पी0एस0सी0, बी0एस0एस0सी0, दारोगा, सिपाही की भर्ती और बेल्ट्रॉन के द्वारा संविदा पर जो बहाली की जाती है ऑनलाइन सिस्टम से । खुल करके पैसे की वसूली, धांधली और घोर भ्रष्टाचार है । महोदय, बिहार की प्रतिभा का हनन हो रहा है । आज बिजली बोर्ड, राज्य खाद्य निगम सहित सरकार के विभागों के द्वारा पिछले सात-आठ वर्षों में बहाली की गयी है, जिसमें यह खेल हुआ है । विधान सभा में भी इसी सिस्टम से बहाली की गयी जिसकी जांच आवश्यक है । महोदय, आगे भी यही खेल होने वाला है विधान सभा के अंदर...

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण किया जाय ।

विजय कुमार सिन्हा, ने0वि0द0 : इसकी जांच केन्द्रीय एजेंसी से करायी जाय ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष स्थान ग्रहण किया जाय । माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी ।
अब ये कौन सवाल है । माननीय नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा दिये हैं, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात को उठा दिये, पढ़ दिये । अब आप स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय सत्यदेव राम जी ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

श्री सत्येदव राम : महोदय, टाडा कानून के तहत 14 लोगों की...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये क्या सिस्टम है आपलोगों का ?

श्री सत्येदव राम : महोदय, 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सजा हुई और वे लोग 22 वर्षों से जेल में हैं । टाडा कानून खत्म हो गया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप समय पर अपने प्रश्न को उठाइयेगा । ये प्रश्नकाल है इसलिये आपलोग अपने स्थान पर जाइये ।

श्री सत्येदव राम : महोदय, उन टाडा बंदियों को तत्काल रिहा किया जाय ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, महबूब आलम साहब ।

श्री महबूब आलम : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इनके बैनर को ले लीजिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, टाडा कानून खत्म हो गया...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैनर ले जीजिये, बैनर लीजिये ।

श्री महबूब आलम : लेकिन अरवल के...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये, प्रश्नकाल को चलने दीजिये । माननीय विपक्ष के लोग आप राज्य हित में सवाल दिये हैं । प्रश्नकाल को कृपया बाधित नहीं कीजिये और राज्य हित में सोचिये । जिन लोगों की समस्या को आप लाये हैं उसका निदान आप सदन से कराना चाहते हैं, सरकार तैयार है इसलिये आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय...

अध्यक्ष : बोलिये माननीय सदस्य, महबूब साहब ।

श्री महबूब आलम : महोदय, टाडा कानून देश से खत्म हो गया है फिर भी अरवल के 14 से ज्यादा बंदियों को अब तक रिहा नहीं किया गया है । हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ताडा बंदियों को रिहा करे और शराबबंदी की वजह से...

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री महबूब आलम : जो हजारों गरीब, मजदूर जेल में बंद हैं...

अध्यक्ष : माननीय भाई वीरेन्द्र जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, ये विरोधी पक्ष के जो लोग हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको कह रहे हैं, उनलोगों को अपने स्थान पर जाने के लिये कहिये न । सरकार आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी । आपको मैंने समय दिया, अपनी बात को आपने कहा...

श्री भाई वीरेन्द्र : केन्द्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, इनलोगों को उसमें जाना है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बाद में...

श्री भाई वीरेन्द्र : इनलोगों को जनता की समस्या से लेना-देना नहीं है । इनके बड़े नेता आ रहे हैं इसलिये ये बाहर जाना चाहते हैं । इनको जनता से कोई लेना-देना नहीं है, न बिहार के लोगों से लेना-देना है । इनके अमित शाह जी आ रहे हैं अपना फोटो दिखाने के लिये...

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से अपने-अपने स्थान पर चले गये)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य महबूब साहब आपने पढ़ दिया, सुना दिया और सरकार की जानकारी में भी आयी, सदन की भी जानकारी में आयी । आप स्थान ग्रहण कीजिये । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य डॉ॰ रामानुज प्रसाद जी ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-87 (डॉ॰ रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्व से गठित रोगी कल्याण समिति कार्यरत है, जिसकी बैठकें समय-समय पर आयोजित की जाती है । साथ ही समय-समय पर ऑडिट का कार्य भी किया जा रहा है ।

रोगी कल्याण समिति से संबंधित नयी मार्गदर्शिक को अंतिम रूप दिया जा रहा है । इसके आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई प्रस्तावित है ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय..

श्री सत्यदेव राम : महोदय...

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये, सत्येदव बाबू स्थान ग्रहण कीजिये । आपको मैंने समय दिया, महबूब साहब को समय दिया, नेता प्रतिपक्ष को समय दिया । अब आप बैठ जाइये। अब मैंने अल्पसूचित प्रश्न के लिये माननीय रामानुज प्रसाद जी का नाम पुकार लिया है ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह जवाब...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये । आदेश का पालन माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी कीजिये ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय सदस्य खड़े हो गये हैं ।

(व्यवधान)

आप तो प्रश्नकाल को बाधित नहीं करते हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिये और प्रश्नकाल को चलने दीजिये । डॉ॰ रामानुज प्रसाद जी आप पूरक पूछिये ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : महोदय, जो सवाल मैंने लाया है ये राज्य के गरीब और बीमार लोगों के पक्ष में है । ये रोगी कल्याण समिति राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में बने हुये हैं चाहे वह छोटा अस्पताल हो, बड़ा अस्पताल हो लेकिन रोगी को उससे लाभ नहीं पहुंचता । जब इसकी पूर्ण जानकारी मुझे हुई तो मैंने उदाहरण के साथ अपने क्षेत्र के अस्पतालों को पी0एम0सी0एच0 को, आई0जी0एम0एस0 को, एन0एम0सी0एच0 सबको कोट करते हुये माननीय मंत्री जी से जवाब जानना चाहा था कि क्या माननीय मंत्री जी ये जो रोगी कल्याण समिति बनी है क्या समय-समय पर उसकी जो अवधि निर्धारित है, चुनाव होते हैं ? पूर्व की समिति काम कर रही है, जो रोगी कल्याण समिति है उसमें रोगी को लाभ पहुंचाना है लावारिश रोगी को या गरीब रोगी को तो कितने को लाभ दिया गया ? हमने सवाल किया है क्या इसके ऑडिट होते हैं तो जवाब में है कि ऑडिट होते हैं तो...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके प्रश्न का जवाब सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध हुआ है या नहीं ?

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : जी महोदय, उपलब्ध हुआ है ।

अध्यक्ष : आप उसी में से पूरक पूछिये ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछ रहा हूं कि अगर रोगी कल्याण समिति चल रही है तो उसकी बैठकें कब-कब होती है ? ये जानकारी भी मुझे चाहिये । दूसरी है कि रोगी कल्याण समिति अगर कार्यरत है तो अब तक कितने लोगों को, कितने मरीजों को, कितने गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया अगर किया तो समिति के तमाम सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ स्टेटमेंट मुझे चाहिये ? कम से कम जिन अस्पतालों का नाम मैंने उद्धृत किया उदाहरण के तौर पर उन अस्पतालों का । तीसरी बात है मैंने कहा कि ऑडिट नहीं होता है तो इन्होंने कहा कि ऑडिट होता है । अगर ऑडिट होता है तो...

अध्यक्ष : आपका यही पूरक है ?

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : जी हां ।

अध्यक्ष : आप विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, यही पूरक है ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : महोदय, मेरा तीन पूरक है ।

अध्यक्ष : एक ही बार तीनों पूरक पूछ लीजिये और माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगे तो उसके बाद मत खड़ा होइयेगा ।

डॉ॰ रामानुज प्रसाद : जी, ठीक है महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, सरकार को जवाब दे देने दीजिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जब सदन के अंदर हैं तो फिर स्वास्थ्य मंत्री जो को आकर जवाब देना चाहिये । सदन की गरिमा कितनी हद तक गिरेगी ?

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, सरकार में सभी मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेवारी बनती है इसलिये आप स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, ये जानकारी...

अध्यक्ष : हो तो गया, आपने जो बोला आसन ने उसका जवाब दे दिया । माननीय मंत्री जी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, आप भी बिना इजाजत के खड़े नहीं हो सकते हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परंपरा रही है कि अगर कोई माननीय मंत्री अनुपस्थित हों...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये, सवाल का जवाब सुनिये । सुनियेगा तब न कोई पूरक पूछ सकते हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, ये परंपरा रही है सदन की जब कोई माननीय मंत्री अनुपस्थित हों...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप माननीय सदस्य का उत्तर दीजिये । उसका जवाब मैंने भरपूर दे दिया है पहले ही ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को मैंने बताया । इनका कहना है कि ऑडिट नहीं होता है । महोदय, ऑडिट होता है जिसकी रिपोर्ट माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा । ये पूरा जिलावार है, पी0एम0सी0एच0 से लेकर के एन0एम0सी0एच0 सभी अस्पतालों का है ।

(क्रमशः)

टर्न-2/राहुल/31.03.2023

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (क्रमशः) : महोदय, कोविड को लेकर के थोड़ी समस्या हुई थी चूंकि पूरा देश और दुनिया इससे प्रभावित हुई थी और कल्याण समिति का जो इन्होंने लिखा है तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि रोगी कल्याण समिति से संबंधित नई मार्गदर्शिका को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इसके आलोक में अग्रेतर कार्रवाई प्रस्तावित है । महोदय, सरकार के द्वारा दिनांक-29.03.2023 को सभी जिलों को पत्र दे दिया गया है कि यह कल्याण समिति का गठन करना होता है इनका चुनाव होता है, मेंबर बनाना होता है ये सब सभी विभाग को जिलेवार पत्र जारी कर दिया गया है और मैं माननीय सदस्य को भरोसा दिलाता हूं कि जल्द ही कल्याण समिति का गठन कर दिया जायेगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री जी ने स्वीकारा कि हां पूर्व से जो चली आ रही है वह अस्त-व्यस्त है तो माननीय मंत्री जी को यह सजेस्ट करते हुए कि यह कल्याण समिति रोगी कल्याण के लिए है लेकिन कुछ लोगों का ही कल्याण इससे हो रहा है तो रोगी और गरीब के कल्याण के लिए इसको सुनिश्चित किया जाय और इसका पुनर्गठन करायें और ऑडिट हुआ है तो मैं तो स्फेसिफिक भी कुछ नाम दिया था कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट मुझे चाहिए था तो अगर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उपलब्ध करायेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर के उसको देख लूंगा ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : सिर्फ पूरक पूछियेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : पूरक ही है महोदय । महोदय, मैं माननीय प्रभारी स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अस्पतालों में गठित रोगी कल्याण समिति कितनी क्रियाशील है, गरीब, लाचार रोगी के लिए समिति क्या-क्या कार्य कर रही है और दूसरा है कि अस्पतालों के अनुश्रवण में समिति की क्या भूमिका है यह बता दें । चूंकि पूरे बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा । माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, अभी मैंने अवगत करा दिया कि रोगी कल्याण समिति जो होती है उसमें सरकार अभी निर्णय ले रही है । पहले से यह समिति बनी हुई है तो जो पहले से समिति बनी हुई थी उसका समय पूरा हो गया है, समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है तो अभी कोविड के कारण नहीं बनी थी और अभी विभाग के द्वारा दिनांक-29.03.2023 को पत्र जारी हो गया है और यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि रोगी कल्याण समिति क्या होती है और उसमें अभी सरकार निर्णय ले रही है उसमें संशोधन करना है इसलिए डिले हो रहा है कि रोगी कल्याण समिति में कौनसे व्यक्ति को रखा जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीबों को उसका लाभ मिल सके वह निर्णय हो रहा है और पत्र चला गया है, पत्र में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषय नियमानुसार कहना है कि अपने-अपने जिलांतर्गत जिला अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 तक रोगी कल्याण समिति का ऑडिट किया जाना था । अत: अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के एक महीने के अंदर जिला अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक सभी स्वास्थ्य संस्थाओं का वित्तीय वर्ष 2021-22 तक रोगी कल्याण समिति का ऑडिट आवश्यक रूप से कराने की कृपा की जाय तो पत्र भेजा गया है, सरकार ने सभी विभागों को पत्र भेजा है ।

अध्यक्ष : आपने पत्र भेजा है । माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब ही नहीं दिये । कई माननीय विधायक नये भी आये हैं और जानकारी भी नहीं है कि अस्पतालों के अनुश्रवण में समिति की क्या भूमिका है यह बता दें । लोग तो जाने, बिहार की जनता भी जान ले...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : पूरक प्रश्न का अधिकार है महोदय ।

अध्यक्ष : हम कहां आपको रोके हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : बताया जाय मंत्री जी । इसीलिए तो स्वास्थ्य मंत्री जी को हम खोज रहे थे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपने बोला है लेकिन एक बार और कह दीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, इतने पुराने और इतने बड़े लीडर हैं, विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता यह पूछ रहे हैं कि...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : बिहार की जनता को बताने के लिए पूछ रहे हैं...

अध्यक्ष : आप नेता प्रतिपक्ष हैं । आपका आसन बहुत संवेदनशील आसन है, मजबूत आसन है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अभी मैंने उनको एक बात कही कि रोगी कल्याण समिति...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, रोगी कल्याण समिति में जो स्थानीय लोग...

अध्यक्ष : देखिये, यह व्यवस्था ठीक नहीं है । जब माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो माननीय सदस्य आप सुनें । आपकी भी उत्सुकता होगी कि जो पूरक प्रश्न है मंत्री जी उसका क्या जवाब दे रहे हैं उसको आप सुनिये, सुनने से ही न पता चलेगा । मंत्री जी बोला जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, पूर्व में जो निर्णय लिया गया था, अभी सरकार का यह निर्णय हो रहा है कि जो रोगी कल्याण समिति है उसमें जो जनसेवक हैं जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, सेवा करते हैं वैसे व्यक्ति को हम अभी मेंबर बनाना चाहते हैं ताकि दवाई ठीक से वितरित हुई कि नहीं, डॉक्टर समय पर आते हैं कि नहीं, ऑडिट होगा कि नहीं ये सारी चीज को हम जो कल्याण समिति बनायेंगे उसमें लोग ये देखरेख करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय,...

अध्यक्ष : नहीं, कुछ नहीं, हो गया अब । नेता प्रतिपक्ष पूछ लिये हो गया ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दिया...

अध्यक्ष : हो गया बैठा जाय । आपने प्रश्न पूछा उसका मंत्री जी ने जवाब दिया । आप नेता प्रतिपक्ष हैं आप स्थान ग्रहण करें...

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें । नियम, प्रक्रिया को पढ़ें । बिना इजाजत के आप खड़े हो जाते हैं यह ठीक बात नहीं है, इसका संदेश अच्छा नहीं जायेगा । नेता प्रतिपक्ष ने दो-दो पूरक पूछे जिसका मंत्री जी ने भरपूर जवाब दिया अब आगे बढ़ने

दीजिये । रोगी कल्याण समिति क्यों बनायी जाती है आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है ? आप लोग तो सजग लोग हैं । रोगियों की सेवा, संस्कार ये सब देखने के लिए ही रोगी कल्याण समिति है । माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार पूरक पूछिये ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-88 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र संख्या-220, ओबरा)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : 1-स्वीकारात्मक है ।

2-अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-103 (खाद्य), दिनांक-16.03.2023 के द्वारा किसी प्रकार के गुटखा तथा पान-मसाला (तंबाकू एवं निकोटिन युक्त) के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन, प्रदर्शन एवं बिक्री पर दिनांक-16.03.2023 के प्रभाव से एक वर्ष के लिए संपूर्ण राज्यभर में प्रतिबंध लगाया गया है । प्रतिबंध को राज्य में मजबूती से लागू करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, सभी पुलिस अधीक्षक एवं सभी खाद्य सरंक्षा अधिकारी को आदेशित किया गया है ।

3-उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । प्रतिबंधित गुटखा तथा पान-मसाला (तंबाकू एवं निकोटिन युक्त) की बिक्री करते हुये पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है और उत्तर में सरकार ने यह माना है निकोटिन और तंबाकू रिलेटेड पदार्थों का सेवन करने से बिमारियां होती हैं, कैंसर जैसी गंभीर बिमारी होती है और उत्तर में उन्होंने 16 मार्च का भी विवरण दिया है जिसमें दिनांक-16 मार्च, 2023 को तुरंत प्रभाव से इनके बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है । महोदय, मेरा पूरक यह है...

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, मेरा पूरक यह है कि अगर सरकार यह मानती है कि तंबाकू के सेवन से या तंबाकू रिलेटेड प्रोडेक्ट के सेवन से गंभीर बिमारियां होती हैं तो यह प्रतिबंध सिर्फ एक साल के लिए ही क्यों लगाया गया है पहला पूरक है यह है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री ऋषि कुमार : पहला पूरक यह है कि एक साल के लिए ही क्यों लगाया गया, दूसरा पूरक है कि अभी भी रास्ते से आते समय हमने कई दुकानों में देखा प्रतिबंध के बावजूद यह तंबाकू मिल रहा है, तंबाकू रिलेटेड प्रोडेक्ट की सेल हो रही है तो क्या जो प्रावधान है जिसमें ब्रिक्री करते हुए दोषी पाये जाने पर प्रतिष्ठानों के विरूद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की

जायेगी तो दिनांक-16 मार्च, 2023 से लेकर अभी तक कितनी जगह छापेमारी हुई और कितने लोगों पर कार्रवाई हुई मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को जवाब दिया गया है इन्होंने कहा है कि एक वर्ष का प्रतिबंध क्यों तो चूंकि समीक्षा समय-समय पर होती है एक साल के लिए, दो साल के लिए इस तरह का प्रतिबंध लगता है लेकिन माननीय सदस्य की जो चिंता है वह वाजिब है गुटखा, तंबाकू, निकोटिन ये सभी जितने हैं इससे बड़े पैमाने पर कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं उसको देखते हुए विभाग उच्चस्तरीय बैठक करके वैसी एजेंसियां जो प्रतिबंध के बाद भी बिहार में अपना सी0एन0एफ0 बनायी हैं, बिहार में सप्लाई का निर्णय ली हैं, कानून का पालन नहीं कर रही हैं वैसी एजेंसियों पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं यह मैं माननीय सदस्य को अवगत करवा देता हूं और अभी एक साल के लिए है । महोदय, सभी जिले के जिला पदाधिकारी, एस0पी0 सभी को सूचना दी गयी है कि इस पर प्रतिबंध है इसकी समय-समय पर जांच करिये और जहां पर इसके भंडारण मिलते हैं उस पर कानूनी कार्रवाई करिये ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय,...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय,...

अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य पूछिये ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर स्वीकारात्मक है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, गंभीर विषय है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष ।

टर्न-3/मुकुल/31.03.2023

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विराधी दल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने...

अध्यक्ष : अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, प्रश्नकर्ता आप तो संतुष्ट ही हो गये हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न नहीं, बल्कि हाउस का प्रश्न हो गया है, यह हाउस का प्रश्न है । महोदय, सरकार ने जो जवाब दिया है, खुलेआम बिक रहा है और इन्होंने जो प्रश्न किया कि कितने लोगों

पर कार्रवाई की गयी, क्या एक भी व्यक्ति पर इस संबंध में कार्रवाई की गयी है इसके बारे में माननीय मंत्री जी हमें बता दें । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, आपने अपने जवाब में लिखा है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी, इसके लिए कौन दोषी है क्या उस पर कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो है....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप जवाब दें । अब हम तारांकित प्रश्न ही लेंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में इस पर प्रतिबंध लगाई गयी थी, अभी हमने इस पर सख्त कदम उठाया है, पूर्व में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, अभी मैंने कहा है कि जो कम्पनियां....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो कम्पनियां चाहे देश के किसी भी कोने में वे इंडस्ट्री बनाये हों और अगर उसकी खपत बिहार में प्रतिबंध के बावजूद हो रही है तो बेचने वाले और कम्पनी दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राणविजय साहू । अब तारांकित प्रश्न लिये जा रहे हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2780(श्री रणविजय साहू,क्षेत्र सं0- 135, मोरवा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री शाहनवाज, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना सं0-1418/आ0प्र0 दिनांक-17.04.2015 द्वारा मानवजनित सामूहिक दुर्घटना यथा-सड़क दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा के रूप में अधिसूचित करते हुए दिनांक-20.03.2015 से एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान अनुमान्य किया गया है।

प्रश्नगत मामले में दुर्घटना की तिथि (07.08.2012) उक्त अधिसूचना के प्रभावी होने से पूर्व का है । अतएव इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुद्रित है ।

अध्यक्ष : अब आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है या उनको सांप काट लेता है या वे पानी में डूबते हैं तो उनको सरकार द्वारा मुआवजा का प्रावधान है । लेकिन इसकी कोई समयसीमा नहीं है । हम देखते हैं कि उनको मुआवजा मिलने में 1 साल, 2 साल या 3 साल लग जाता है । सरकार की मंशा है कि उनके पीड़ित परिवारों की मदद करे लेकिन महोदय वे लगातार ब्लॉक हो, जिला कलेक्ट्रेट हो वहां पर भटकते रहते हैं तो क्या सरकार यह मंशा रखती है कि उन पीड़ित परिवारों को एक समयसीमा के अंदर मुआवजा दे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, यह प्रश्न दुर्घटना की तिथि 7 अगस्त, 2012 उक्त अधिसूचना प्रभावी होने के पूर्व का है अथवा इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है और माननीय सदस्य की जो दूसरी चिंता है तो हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो भी मुआवजा है हमलोग सही समय पर, त्वरित और सरल तरीके से देने का प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही आग्रह कर रहा हूं कि क्या मंत्री जी इसके लिए कोई समयसीमा निर्धारित करना चाहेंगे, क्योंकि यह पूरे बिहार का मामला है । यह केवल हमारे कन्स्टीचूएंसी का मामला नहीं है, बल्कि पूरे बिहार का मामला है और लोग भटकते रहते हैं । सरकार की मंशा है कि उन पीड़ित परिवारों की मदद करें, लेकिन यह कैसी मदद है जब वह पीड़ित परिवार घूमते रहते हैं ब्लॉक जाते हैं, जिला कलेक्ट्रेट जाते हैं और हमलोगों के पास भी आते हैं । इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय पर निश्चित रूप से संज्ञान ले ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे दीजिए ।

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उक्त प्रश्न में समयसीमा की कोई बात नहीं की है । फिर भी, मैं उनको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि भविष्य में जो भी मामला इस तरह का आयेगा तो पीड़ित परिवारों को सही समय पर मुआवजा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राम विशुन सिंह ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरावगी जी आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य, रणविजय साहू जी आप बोलें ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, हमारे मोरवा विधान सभा क्षेत्र के ताजपुर प्रखंड में कई ऐसे मामले हैं, दलित परिवार, महादलित परिवार जो गरीब हैं, एन0एच0 के किनारे मेरा प्रखंड है और वहां पर लगातार दुर्घटनाएं घटती रहती हैं । ऐसे कई मामले हैं जिनमें पीड़ित परिवारों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और लोग भटक रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि ताजपुर प्रखंड में मुआवजा से संबंधित जो लंबित मामले हैं उनको कब तक माननीय मंत्री जी देने का काम करेंगे ।

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सड़क दुर्घटना से संबंधित जो भी लंबित मामले हैं वे कोर्ट के अधीन लंबित हैं और हमलोग कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ये कोर्ट के निर्णय आने के बाद से कार्रवाई करेंगे ।

श्री शाहनवाज, मंत्री : जी, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संजय सरावगी जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में क्या गया है, कोर्ट का कोई आदेश है, ये सदन के अंदर कोर्ट के नाम पर बचने का प्रयास न करें । कोर्ट में कौन सा मामला लंबित है ।

अध्यक्ष : नेता विरोधी दल, हम मंत्री जी को बोल रहे हैं कि ये इसकी गहन छानबीन कर लेंगे ।

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको दिखवा लूंगा । माननीय सदस्य, संजय सरावगी जी आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या ?

श्री संजय सरावगी : जी, अध्यक्ष महोदय । माननीय मंत्री जी का जवाब इसमें जो है, ये कोर्ट का जो बोल रहे हैं वह 7 महीने पहले की बात है । इसमें इन्होंने आज जवाब दिया है कि सड़क दुर्घटना को 20 मार्च, 2015 से लागू है । सड़क दुर्घटना में मृतक को पैसा मिलेगा तो अध्यक्ष महोदय ये बतायें, हमलोगों को तो जानकारी है कि पिछले 7 महीनों में कोई भी सड़क दुर्घटना में पैसा नहीं मिल रहा है, जो आपदा विभाग से अधिसूचित हुआ था ।

अध्यक्ष : आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं । क्या अभी भी जो माननीय मंत्री जी ने 20 मार्च, 2015 से हवाला दिया है कि सबको अनुग्रह राशि सड़क

दुर्घटना मिलेगी । क्या अभी भी मिल रहा है यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ?

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है वह 07.08.2012 का है । प्रश्नगत मामले में दुर्घटना की तिथि-07.08.2012 है, उक्त अधिसूचना के प्रभावी होने से पूर्व का है । अथवा इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राम विशुन सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2781(श्री राम विशुन सिंह,क्षेत्र सं0- 197, जगदीशपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : (1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(2) डॉ0 विनोद प्रताप सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर को विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप के कारण विभागीय अधिसूचना सं0-172(9), दिनांक-12.04.2022 से निलंबित किया गया था । समीक्षोपरांत अधिसूचना सं0-583(9), दिनांक-21.07.2022 से निलंबन मुक्त करते हुए पूर्व पदस्थापित स्थल रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया ।

वर्तमान में वरीयतम चिकित्सक होने के कारण ही डॉ0 सिंह को अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर का प्रभारी बनाया गया ।

(3) विदित हो कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सामान्यत: स्थानांतरण नहीं किया गया है । जून, 2023 में इनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना पूरक प्रश्न पूछता हूं । महोदय, सरकार का जवाब आया है कि सरकार ने आंशिक स्वीकारात्मक कहा है कि यह बात सही है । डॉ0 विनोद प्रताप सिंह को वीर कुंवर सिंह के वंसज रोहित कुमार की चिकित्सा नहीं करने के कारण डॉ0 विनोद प्रताप सिंह को निलंबन किया गया था । विभागीय पत्रांक-172(9), दिनांक-12.04.2022 से निलंबन किया था और उनको 21.07.2022 से निलंबन मुक्त करके पुन: अनुमंडल हॉस्पिटल, जगदीशपुर में इनको प्रतिनियुक्त कर दिया गया है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस पदाधिकारी पर इनता भ्रष्टाचार है, वहां के सारे चिकित्सक, जगदीशपुर अनुमंडल के सी0एस0 को लिखकर, राज्य सरकार को लिखा कि यह अमानवीय डॉक्टर है । इनके व्यवहार के कारण 40 साल के नीचे की महिलाएं अनुमंडल हॉस्पिटल में इलाज करवाने

नहीं आती हैं, वैसे भ्रष्ट डॉक्टर को उस अनुमंडल हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा रखने की क्या जरूरत है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आश्वस्त करवा देना चाहता हूं कि जून के महीने में वैसे व्यक्ति को वहां से हटाने की प्रक्रिया चल रही है और वह हट जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मई-जून रुल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में ट्रांसफर पोस्टिंग का महीना है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उसको हम हटा देंगे ।

श्रीमती रेणु देवी : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा एक प्रश्न है कि....

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कुंदन जी, महिला सदस्या को प्राथमिकता देना हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है इसलिए माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जी आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्रीमती रेणु देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रभारी माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मई-जून में जब सरकार स्थानांतरण और पदस्थापन की जो नियमावली है उसमें 3 वर्ष है और आज यह भी है तो 5 साल है आप बोले मई-जून में हटायेंगे । ऐसे पूरे बिहार में जो 10 साल, 15 साल से बैठा हुआ लोग है उसका ट्रांसफर होगा या नहीं होगा । इसकी हम माननीय मंत्री जी से सूचना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी हमें स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमलोगों ने पूरे विभाग से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सभी लोग शांति बनाये रखें । माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछा है और माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, आपलोग जवाब सुनिये ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभाग ने पूरे बिहार के अस्पतालों की समीक्षा की और आखिर क्या वजह थी कि ये सभी डॉक्टर 10 सालों से, 15 सालों से एक ही जगह पर पदस्थापित थे और वर्तमान की सरकार ने इसको पकड़ा और जितने भी डॉक्टर हैं महोदय, जो 10 साल, 15 साल से एक ही जगह पर हैं उनको जून के महीने में नियमानुसार, उसकी समीक्षा की जा रही है और जो भी डॉक्टर हैं जो लंबे समय से एक जगह पर पदस्थापित हैं उनको बदली होगी

क्रमशः

टर्न-4/यानपति/31.03.2023

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (क्रमशः): और वही नहीं महोदय, सरकार ने वैसे डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई किया जो 15-15 वर्षों से अस्पताल नहीं जाते थे उनको डिसमिस किया गया और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को भरोसा दिलाता हूं कि ऐसे डॉक्टर, चूंकि सबलोग जानते हैं कि डॉक्टर की कमी है और विभाग ने कहा है कि डॉक्टर, नर्स से लेकर पूरे हॉस्पिटल में जो स्टाफ होते हैं सबकी बहाली होने जा रही है । डॉक्टर्स की भी कमी है महोदय लेकिन नियमानुसार वैसे भ्रष्ट अधिकारी और जो हैं, जिनको डिसमिस किया गया बाकी जो 10 से 15 साल से हैं, जून में नियम होता है, सरकार जून में सभी को हटाने जा रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री अजीत सिंह । सप्लीमेंट्री पूछिए । भूमिका में न जाइये, एकदम सटीक पूछिए । हालांकि जवाब मिल गया है ।

श्री अजीत कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, जी सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, हमारा यह कहना है कि सिर्फ एक विभाग का नहीं बल्कि सभी विभागों में ऐसे अधिकारी......

अध्यक्ष: सभी विभागों का मिस्लेनियस का मुद्दा नहीं है ।

श्री अजीत कुमार सिंह: जी, जिनपर आरोप लगा उनको भी जून में ही ट्रांसफर करेंगे और सामान्य तौर पर भी जून में ट्रांसफर करेंगे तो फिर आरोप का मतलब क्या होता है, आरोपित को तो पहले करना चाहिए ट्रांसफर ।

अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य श्री तारकिशोर बाबू ।

(व्यवधान)

आप शांति बनाए रखें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस उपाधीक्षक जगदीशपुर को निलंबित किया गया और पदच्युत भी किया गया, उसे पुनर्नियुक्ति कर दी गई तो क्या यह सामान्य प्रक्रिया तो जून माह में है ही लेकिन इनपर तो अनुशासनात्मक ट्रांसफर होना चाहिए, स्थानांतरण होना चाहिए था उसका जून माह से कोई लेना देना नहीं है महोदय, सामान्य प्रक्रिया है इनका प्रशासनिक स्थानांतरण होना चाहिए था और किन परिस्थितियों में पुनः उनकी नियुक्ति कर दी गई, जो उनपर आरोप थे उस आरोप के आलोक में उनपर क्या कार्रवाई की गई यह माननीय मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया है, यह स्पष्ट करें ।

अध्यक्ष: माननीय तारकिशोर बाबू, यह बड़ा ही गहन मामला है तो इसको बहुत पीछे से जांच करना पड़ेगा कि क्यों नहीं इसको पूर्व से ही हटा दिया गया ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: नहीं महोदय, जबसे भी मामला हो......

अध्यक्ष: आपने सही पूछा है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद: लेकिन इसमें सरकार को प्रशासनिक स्थानांतरण करना चाहिए था । सरकार जून माह के इंतजार में क्यों है यह हम जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय तारकिशोर बाबू हमारे अभिभावक भी हैं और गार्जियन मैं मानता हूं और खुद ये डिप्टी सी0एम0 रहे हैं, जब किसी अधिकारी पर आरोप लगता है तो विभाग उसकी जांच पड़ताल और जो विभागीय नियमानुसार है उसपर कार्रवाई होती है, आरोप लगा, विभाग ने उसके ऊपर कार्रवाई की उसके वरीय अधिकारियों ने जांच किया......

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप बैठ जाइये पासवान जी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: और जांचोपरांत इसमें लिखा हुआ है कि जांचोपरांत अधिसूचना संख्या-583(9), दिनांक-21.07.2022 से निलंबन मुक्त किया गया, यह सामान्य प्रक्रिया है, अगर किसी अधिकारी पर आरोप लगता है, विभाग उसकी जांच करती है और जांच के बाद कौन सा अपराध किया उसके हिसाब से विभागीय नियम बना हुआ है, रोस्टर है न यह महोदय ।

अध्यक्ष: आरोप लगते हैं, उसपर प्रक्रियात्मक कार्रवाई सरकार करती है और निष्कर्ष पर पहुंच कर कार्रवाई की जाती है, यह आपका कहना है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: आरोप लगते हैं, बरी होते हैं और जो माननीय सदस्य राम विशुन जी ने कहा है, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं मैंने सदन के माध्यम से उनको भरोसा दिलाया है कि मई-जून के महीने में इनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान जी । पूरक पूछिए, इसलिए कि इसपर बहुत समय चला गया ।

श्री सूर्यकान्त पासवान: महोदय, हां समय तो चला गया, पूरक ही मात्र है । महोदय, वर्षों से जो डॉक्टर एक ही स्थान पर जमे हुए हैं, 15 साल, 20 साल से हैं और पी0एच0सी0 जो हमारा सुदूर देहात में है उनका वहां पोस्टेड है महोदय, वह जिला के जो हमारे अस्पताल हैं वहां जमे हुए हैं, वहां नहीं जाते हैं महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां जो पोस्टेड डॉक्टर हैं कबतक वहां उनके जाने की व्यवस्था होगी और नहीं जाएंगे तो क्या कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, हालांकि जो प्रश्न हुए हैं उससे रिलेटेड यह चीज नहीं है, आपको अलग से प्रश्न लगाना चाहिए, प्रश्न देना चाहिए इससे संबंधित आपका मामला नहीं है इसलिए माननीय सदस्य, सरकार कहां से आपको जवाब देगी ।

माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार, ऑथराइज किए हैं माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी को ।

तारांकित प्रश्न सं0-2782 (श्री प्रमोद कुमार, क्षेत्र सं0-19 मोतिहारी)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (लिखित उत्तर): (1) आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के आलोक में बिहार राज्य में इन्टर्नशिप करने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को स्टाइपेंड दिये जाने के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट छात्रों से इन्टर्नशिप फीस नहीं ली जा रही है ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, यह जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं उनके इंटर्नशिप स्टाइपेंड का मामला है, मैं माननीय मंत्री जी से पहले यह जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के ज्ञापांक जिसमें नंबर दिया गया है फिर स्मार पत्र आया है इसमें क्या निर्देश दिया गया है, पहले यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्न के आलोक में स्पष्ट रूप से हमने बताया है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के आलोक में राज्य में इंटर्नशिप करने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को स्टाइपेंड दिए जाने के संबंध में प्रक्रियाधीन है, अब माननीय सदस्य को यह जानना है कि उन्होंने क्या दिशा-निर्देश दिया है, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को जो दिशा-निर्देश आए हैं, वह अवगत करवा दूंगा अभी फिलहाल मेरे पास वह नहीं है ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, सरकार बोल रही है कि प्रक्रियाधीन है, क्या प्रक्रियाधीन है, जिस पत्रांक, दिनांक की चर्चा है इसकी समीक्षा की गई होगी तब सरकार ने कहा होगा प्रक्रियाधीन है तो क्या है इस पत्र में, क्या प्रक्रियाधीन है यह तो माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि सरकार ने आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने क्या निर्देश दिया उस निर्देश के आलोक में प्रक्रियाधीन है तो क्या निर्देश दिया यह तो माननीय मंत्री जी बताएंगे तब न प्रक्रियाधीन क्या है यह बताएंगे ।

अध्यक्ष: स्थान ग्रहण किया जाय । माननीय मंत्री जी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: वही तो मैंने बोला कि क्या निर्देश हुआ है और उसमें जो है प्रक्रियाधीन, जब कोई निर्देश आएगा तो बिहार सरकार उसके आलोक में बैठकें

करती है, निर्णय लेना होता है, उसी को तो बोला जाता है कि प्रक्रियाधीन है तो वह आप जो......

अध्यक्ष: और इंटर्नशिप फीस भी नहीं ली जा रही है, यह भी बात है ।

श्री संजय सरावगी: अच्छा कबतक यह, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है अध्यक्ष महोदय लेकिन फिर भी यह प्रक्रियाधीन जो है, सालभर हो गया है लगभग, यह एक साल से ज्यादा हो गया, यह जो प्रक्रियाधीन है यह कबतक जो है इसके निर्देश का अनुपालन हो जाएगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सरावगी जी, माननीय मंत्री जी बात को बतला दिए हैं । आप सतत सजग हैं तो बात को समझिए कि सरकार क्या कह रही है, सरकार तो बहुत स्पष्ट बोल रही है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: इसमें बिहार सरकार को कोई निर्णय लेना पड़ता है महोदय उसमें एन0एम0सी0 की गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन की स्टडी की जा रही है, उसमें सरकार क्या कर सकती है, एन0एम0सी0 की गाइडलाइन देखने के अनुसार जो निर्णय होगा माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे ।

अध्यक्ष: स्थान ग्रहण किया जाय । माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2783 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0-38 झंझारपुर)</u>

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं था ।

अध्यक्ष: यह आपदा से स्वास्थ्य विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया है । स्वास्थ्य विभाग, अगर तैयार हों तो ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: महोदय, उत्तर तो हमने दे दिया है, ऐसे फिर से मैं पढ़ देता हूं ।

अध्यक्ष: उत्तर आपने दे दिया है ?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: उत्तर दे दिया है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, आज वेबसाइट पर 10.40 तक आपदा प्रबंधन में ही वह लिस्टेड था और उसमें उत्तर अप्राप्त था ।

अध्यक्ष: आपको उत्तर नहीं मिला है ?

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, नहीं मिला है ।

अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय मंत्री जी, उत्तर नहीं मिला है, पढ़ दिया जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि 15 अप्रैल, 2023 तक भुगतान का निर्देश सभी जिला पदाधिकारियों को दिया गया है, महोदय, इनका था कि 4200 मामले ऐसे हैं जिनको कोविड का मुआवजा नहीं मिला है । महोदय, और इनका जो था आंकड़ा, इनका कहना था महोदय कि 13099 लोगों को अनुदान राशि मिल गई है, सरकार

के अनुसार महोदय, अबतक 18999 सी0एम0आर0एफ0 मामलों में अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को अनुशंसा अग्रसारित की गई है ।

(क्रमशः)

टर्न-5/अंजली/31.03.2023

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (क्रमशः) : महोदय, जिसमें अब तक 14 हजार, हमने जो भेजा है आपदा विभाग को 18999 जिसमें 14941 मृतकों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है । शेष पात्र लाभार्थियों को 15 अप्रैल, 2023 तक अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु निदेश आपदा विभाग के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को दिया है । महोदय, इसमें टेक्निकल मामला आ जाता है बहुत सारे लोग हैं, क्यों पेंडिंग है वह मैं माननीय सदस्य को बताना चाह रहा हूं, किसी व्यक्ति की मौत हुई लेकिन उसका कोविड टेस्ट नहीं हुआ, इसमें नियम था कि कोविड टेस्ट आप करा लीजिए, उसके मोबाइल पर एस0एम0एस0 आता है उसको भी आधार माना गया है । कुछ ऐसे थे जिनकी मृत्यु अदर स्टेट में हो गई, अदर स्टेट में मृत्यु हुई लेकिन उसने भी कोविड का टेस्ट नहीं कराया, अब चूंकि आपदा विभाग मुआवजा देती है, तो हमलोगों ने आइडेंटिफाई कर के आपदा विभाग को भेज दिया । आपदा विभाग ने जिलाधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट मंगायी है कि आपके पास जो-जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह सब्मिट कीजिए, अब गांव के जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे कोविड का टेस्ट नहीं कराये और उनकी मृत्यु हो गई, बाद में उन्होंने क्लेम किया इसको लेकर के भी थोड़ी देरी हुई है और बिहार के सभी जिलाधिकारियों को 15 अप्रैल को हमलोगों ने पत्र लिखा है, वहां से रिपोर्ट आएगी जो बाकी बचे हुए हैं नियम संगत जो होगा उनको मुआवजा मिल जाएगा, महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुनील मणि तिवारी ।

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय...

अध्यक्ष : पूरक पूछेंगे ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूलतः आपदा प्रबंधन के लिए ही था क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तो सिर्फ सूची संकलित करके आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा, जो मंत्री जी ने स्वयं स्पष्ट किया और मंत्री जी के उत्तर में ही है कि लगभग चार हजार आवेदन अनुशंसा करके आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया है, मेरा मूल प्रश्न भी वही था, तो ये प्रश्न का उत्तर आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया है, मेरा उद्देश्य है, बिहार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि देश में चार लाख रुपये का मुआवजा अन्य राज्यों ने नहीं दिया है बिहार ने ही दिया है और अधिकांश लोगों को

दिया भी गया है । महोदय, शेष चार हजार, सभी के क्षेत्र में ऐसे विषय आए होंगे, वह पीड़ित परिवार समझ नहीं पा रहा है कि मुझको कितनी जगह जाना है, कितना भटकना है, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनकी मृत्यु बिहार से बाहर हुई है उनको बिहार सरकार नहीं देगी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा उनको नहीं मिलना है, जिनकी मृत्यु बिहार में हुई है, कोविड टेस्ट है सब की जानकारी कोविन पोर्टल पर अंकित है, यह विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गया, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि आप पुनः जांच करें कितने बाकी हैं तब ये आंकड़े लगभग आये हैं । 15 अप्रैल में इन्होंने कहा है कि इन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को कहा है, मैं यही सुनिश्चित कराना चाहता हूं कि जब इनके विभाग के हाथ में नहीं है, अनुशंसा इन्होंने भेज दी है क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि वे सारे पीड़ित, आश्रित जिनके कोविड अनुदान के तहत उनके मापदंड पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं वैसे सभी मामलों का निष्पादन 15 अप्रैल तक सरकार सुनिश्चित कर देगी ?

श्रीमती रेणु देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है ।

अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिए ।

श्रीमती रेणु देवी : महोदय, मैं माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कोरोना काल में जितनी भी मृत्यु हुई हैं उसको रेफर किया जाता है स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य विभाग में इतनी देरी होती है कि स्वास्थ्य विभाग से ही नहीं आता है आपदा विभाग को तो स्वास्थ्य विभाग कब तक इन 4200 लोगों को भेजेगी आपके पास और दूसरी बात है कि जो लोग बाहर में मरे हैं उनको भारत सरकार 50 हजार रुपया देती है, अपने बिहार सरकार से चार लाख रुपया नहीं मिलता है लेकिन वह भी 50 हजार बिहार में आपकी अनुशंसा पर उसको मिलता है तो वह पैसा कब मिलेगा और स्वास्थ्य विभाग में जाकर अटकता है क्योंकि मैं खुद आपदा मंत्री थी तो ऐसे मामले जब आते थे जनता दरबार में भी तो हमलोग बैठकर के सीधे-सीधे स्वास्थ्य विभाग से मिलते थे और स्वास्थ्य विभाग को बैठाकर उसको कहते थे कि कितनी जल्दी आप भेजेंगे कि हमारे पीड़ितों को पैसा उनके परिवार को मिल जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैंने अभी बताया कि वैसे केस लंबित हैं जिनकी मृत्यु हुई और कोविड टेस्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है । महोदय, स्वास्थ्य विभाग तो पुख्ता जानकारी लेगी न कि मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, एक्सीडेंट से हो गई, आपने आवेदन दिया कि मृत्यु कोविड से हो गई है, सरकार ने यह बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि कोविड टेस्ट अगर आपका हो जाता है और कोविड टेस्ट में यह आया है

कि ये पॉजिटीव हैं और इनकी मृत्यु हुई है, कुछ बहुत सारे केसेस हैं 4200 में जिनकी अदर स्टेट में मृत्यु हुई और उनका कागजात अभी आया है तो वह जो काउंट हमलोग कर रहे हैं कि जिनकी बाहर में ही मृत्यु हुई उनका भी पेपर, बिहार में जब लौटकर आये, उन्होंने पेपर सब्मिट किया कि मौत तो दिल्ली में कोविड से हो गई तो जब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे और माननीय डिप्टी सी0एम0 रही हैं उनको पता है कि आपदा विभाग में जब तक जिलाधिकारी से ब्लॉक स्तर से इसकी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, जब तक पूरा क्लीयर नहीं हो जाता है तब तक यह सरकार पैसा कैसे दे सकती है, जो गाइडलाइन है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा न हमको ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, एक मिनट । सरावगी जी, प्रश्नकर्ता भी अभी कुछ कहना चाहते हैं आप कहिए ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकर्ता आपका अंतिम पूरक होगा और माननीय सदस्यों का प्रश्न है इस पर ज्यादा समय हो गया, आप जानते हैं कि एक प्रश्न पर कितना ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए । इसलिए आप एक पूरक पूछें मंत्रीजी जवाब देंगे, मैं आगे बढ़ूंगा ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट पूरक है मंत्री जी ने कहा डॉक्यूमेंट पूरा, अभी इन्होंने कहा है कि चार हजार के आसपास के मामले अनुशंसा करके आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा है यानी डॉक्यूमेंट्स उनके सही हैं, मुआवजा मिलने का वे पात्र रखते हैं । मैं सिर्फ सरकार से यह जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने 15 अप्रैल की तिथि कही है, सुनिश्चित कर दें 15 नहीं करें, 30 अप्रैल ही कहें लेकिन ये कर दें कि वह पीड़ित परिवार निश्चिंत हो जाय कि मुझको अब कहीं नहीं दौड़ना है 30 अप्रैल तक या 15 अप्रैल तक राशि मेरे खाते में आ जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अंतिम है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, बिहार के सभी जिलाधिकारियों को यह अवगत करा दी गई है कि आपदा विभाग से संबंधित कोविड से जो मौत हुई है, जिनका मुआवजा बकाया है उसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके और रिपोर्ट सब्मिट करिये और जैसे ही उनके कागजात पूरे हो जायेंगे तो जिलाधिकारी को तो निर्देश दे दिया गया है और माननीय सदस्य को मैं भरोसा दिलाता हूं कि 4200 में जिनलोगों का पेपर सही होगा अविलंब उनका भुगदान कर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुनील मणि तिवारी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें । फिट केस होंगे तो उनको जल्द से जल्द भुगतान कर देने के लिए सरकार ने निर्देशित किया है, अगर सारी प्रक्रियात्मक कार्रवाई के बाद वे फिट केस होंगे तो मंत्री जी ने कहा है कि शीघ्र भुगतान करने का आदेश कलेक्टर को दिया गया है । माननीय सदस्य श्री सुनील मणि तिवारी ।

(व्यवधान)

अब क्या है महोदय ? अब क्यों आपको समय दें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक लाइन की बात है ।

अध्यक्ष : क्या सत्यदेव जी ?

श्री सत्यदेव राम : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कागज फिट होगा तो उनका मुआवजा दे दिया जाएगा । महोदय, मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म कर दे रहा हूं...

अध्यक्ष : फिर आप पीछे ले जा रहे हैं यह ठीक बात नहीं है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हनुमानपुरी मठिया के योगिन्द्र यादव का इलाज सिवान सदर में हुआ और उसी में उनकी मृत्यु हो गई और उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला और वे कौन कागज देंगे उनके पास जो इलाज हुआ है उसकी पर्ची है महोदय...

अध्यक्ष : आप बात सुनिये, आप जो कह रहे हैं आपको पूर्ण जानकारी है तो आप एक लिखित माननीय मंत्री जी को दे दीजिए, उस पर माननीय मंत्री जी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, दस सेकेंड ।

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है आपकी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिला पदाधिकारी की अनुशंसा की चर्चा की है ।

अध्यक्ष : व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा मत कीजिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला पदाधिकारी ने तीन महीने पहले जिन नामों की अनुशंसा की स्वास्थ्य विभाग में, दरभंगा जिला पदाधिकारी ने, स्पेसिफिक बोल रहा हूं उनका पैसा अभी तक नहीं गया है । जो जिला पदाधिकारी, दरभंगा ने कोरोना से मृत्यु होने की अनुशंसा की है क्या वे राशि माननीय मंत्री जी भिजवा देंगे अभी, तीन महीना अनुशंसा किये हुये हो गया है । यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : आप एक लिखित दे दीजिएगा ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, जिला पदाधिकारी की उन्होंने चर्चा की है । दरभंगा जिला पदाधिकारी से अनुशंसा किये हुए तीन महीना हो गया है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि जो इन्होंने भेजा है वह पत्र आप हमें दे दीजिए हम उसको दिखवा लेंगे और मोबाइल पर भेजिएगा तो नहीं होगा, हॉर्ड कॉपी दीजिए । आपके इतना हमलोग मोबाइल चलाना जानते हैं? हम तो पांच सौ रुपया वाला मोबाइल चलाते हैं ।

अध्यक्ष : संजय सरावगी जी बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं । माननीय सदस्य श्री सुनील मणि तिवारी ।

तारांकित प्रश्न सं0-2784 (श्री सुनील मणि तिवारी, क्षेत्र संख्या-14, गोविंदगंज)

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री रामप्रीत पासवान ।

तारांकित प्रश्न सं0-2785 (श्री रामप्रीत पासवान, क्षेत्र सं0-37, राजनगर, अ0जा0)

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री रामबली सिंह यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2786 (श्री रामबली सिंह यादव, क्षेत्र संख्या-217, घोसी)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लरसा पंचायत मुख्यालय में स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत है किंतु भूमि के अभाव में निर्माण कार्य नहीं किया गया है ।

जिला पदाधिकारी से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । इसके प्राप्त होने के पश्चात विहित प्रक्रियानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, समय को बचाइए ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जी, पूरक ही पूछ रहा हूं । महोदय, जहानाबाद प्रखंड का लरसा पंचायत है और वह पंचायत का मुख्यालय है लरसा गांव, जो अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित जातियों का गांव है और मेरा प्रश्न था कि वहां उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, सरकार का उत्तर आया है कि उपकेंद्र स्वीकृत है, भूमि जिला पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा तो मेरा पूरक है कि पंचायत सरकार भवन के लिए अभी हाल ही में जिला पदाधिकारी ने वहां जमीन उपलब्ध करायी है लेकिन स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए जमीन क्यों नहीं उपलब्ध हो रही है एक पूरक मेरा यह है महोदय ।

(क्रमशः)

टर्न-6/सत्येन्द्र/31-03-23

श्री रामबली सिंह यादव(क्रमशः) दूसरा है कि जिला पदाधिकारी कबतक भूमि उपलब्ध करायेंगे और कब से निर्माण कार्य शुरू होगा ? हम पूछ ही लेते है, तीसरा मेरा है महोदय कि लरसा गांव के निवासी जितेन्द्र यादव अपनी माँ स्वर्गीय तेतरी देवी के मरणोपरांत उन्होंने कोई मृत्यु भोज नहीं किया, कोई दान नहीं दिया और उन्होंने पूरे गांव के समक्ष घोषणा किया कि जो राशि मुझे मुत्यु भोज और दान में खर्च होगा उतनी राशि के हिसाब से हम स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जमीन लिख देंगे जिससे कि पूरे गांव के लोगों को इससे लाभ होगा तो तीसरा मेरा पूरक है महोदय कि यदि उनके द्वारा..

अध्यक्षः अब तीसरा कहां ?

श्री रामबली सिंह यादवः तीसरा ही है महोदय, दो ही पूछे हैं इसके पहले तो यदि उनके द्वारा भूमि दान ..

अध्यक्षः अब तीसरा से चौथा पर मत चल जाईयेगा ।

श्री रामबली सिंह यादवः देने के पश्चात् स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण कराना संभव है तो सरकार बताये कि कितना जमीन रजिष्ट्री करवाया जाय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था सदर प्रखंड, जहानाबाद के लरसा पंचायत मुख्यालय में स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं है, यदि हां तो सरकार कबतक लरसा गांव में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित करना चाहती है? हमने उत्तर में कहा है महोदय कि भूमि उपलब्धता के लिए जिलाधिकारी को सूचना दी गयी है। अनुरोध किया गया है, जैसे ही जमीन प्राप्त होता है तो प्रकिया अनुसार भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी जायेगी । अभी महोदय, मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में गये थे तो बिहार के कई ऐसे जिले थे जहां से मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण कई जगह पर अस्पतालों का कार्य बाधित हो रहा है या नहीं हो रहा है इसलिए अब जो है विभाग ने निर्णय लिया है और एक कमिटी भी बनायी है । उस कमिटी में जो माननीय सदस्य है, उसके बारे में बतला देना चाहता हूँ कि राजेश कुमार उप सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना श्री रमेन्द्र कुमार विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7 एवं 10, स्वास्थ्य विभाग । अब जो है इनकी जिम्मेवारी दी गयी है कि अगर किसी जिला से जिलाधिकारी के द्वारा बिलम्ब हो रहा है, लंबा टाईम हो रहा है और भूमि

नहीं मिल रहा है तो ये कमिटी जो है उस जिले में जाकर के फैसला ले लेगी कि हमको अस्पताल कहां बनाना है और हम इस फैसले के आलोक में अविलम्ब वहां काम लगवा देंगे ।

श्री रामबली सिंह यादव: महोदय, जमीन तो है वहां, मैं बता रहा हूॅ जमीन उपलब्ध है और सरकारी जमीन पर ही पंचायत भवन के लिए योजना बनी है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने एक नहीं, एक- दो- तीन आपने पूरक पूछ लिया । जरा सरकार के भी उत्तर को भी तो आप देखिये, सरकार नहीं न कह रही है । जमीन की उपलब्धता हो जाय तो प्रक्रियात्मक कार्रवाई कर के सरकार निर्माण कराने के लिए बिल्कुल तैयार है तो सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है उसको पढ़िये।

श्री रामबली सिंह यादव: महोदय, मैं तो बोल रहा हूॅ कि श्री जितेन्द्र यादव जमीन देने के लिए तैयार है, रजिष्ट्री करने के लिए । सरकार बतला दे कि कितना जमीन रजिष्ट्री करवा दिया जाय, जिसमें अस्पताल बन जायेगा ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री: महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे देना चाहता हूॅ। सरकार का जो प्रावधान है ,जिला में उसकी रजिष्ट्री जो है गर्वनर के नाम से करवा दीजिये और जब करा दीजिये तो उसके बाद हमको अवगत करा दीजिये, पत्र दे दीजिये लिखकर के, हमलोग तुरंत बनवा देंगे ।

अध्यक्ष: आपके प्रश्न का जवाब मिल गया ।

श्री मनोज मंजिल: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: नहीं, आपको नहीं समय मिलेगा, बैठिये ।

श्री रामबली सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्नकर्त्ता और सरकार के जवाब में अगर अंतर होता है तो पूरक बहुत सारे पूछे जाते हैं । आपने प्रश्न पूछा और सरकार ने बिल्कुल सकारात्मक जवाब दिया तो अब आप क्या पूरक पूछना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

लगता नहीं है, आप लोग सभी सजग सदस्य हैं । सरकार ने स्पष्ट जवाब दे दिया इसके बाद आप क्या पूरक पूछ रहे हैं ? माननीय सदस्य ,बैठिये स्थान ग्रहण कीजिये । आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मनोज मंजिल: अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान-सभा क्षेत्र अगिआंव में दर्जन भर मांझी टोलों में खसरा की बीमारी फैली है । तीन बच्चों की नगरी में, पसौर में मौत हो गयी है डॉक्टर की टीम..

अध्यक्ष: यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । शून्यकाल में ये सब मामले उठाये जाते हैं । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2787(श्री अरूण शंकर प्रसाद,क्षेत्र सं0-33,खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के कटैया गांव में महादलित टोला सहित पूरे गांव में चिन्हित स्थलों के नंगा तार/बांस बल्ले को हटाकर कॉभर युक्त तार लगाने हेतु आगामी आर0डी0एस0एस0 योजना अंतर्गत रिकन्डक्टरिंग का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य माह अगस्त, 2025 है ।

अध्यक्ष: श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' जी पूछेंगे । ये अधिगृत किये गये हैं । बचौल जी।

श्री हरीभूषण ठाकुर ''बचोल'' : उत्तर प्राप्त है । दलित, महादलित, पिछड़ों का टोला है और कहते हैं कि 25 अगस्त तक जो बांस बल्ला से तार ले जाया गया है, नंगा तार है उसमें कवर तार लगायेंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अभी योजना में कवर तार का हुआ है तो क्यों नहीं इस टोले में लगाया गया ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: उत्तर में मैंने दिया है कि काम प्रारम्भ हो चुका है और 25 अगस्त तक अंतिम डेट है सभी जगहों के लिए । आपका भी जल्द ही करवा दिया जायेगा ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : बांस बल्ला पर है, इसको अबिलम्ब करवा दिया जाय।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2788(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह,क्षेत्र सं0-221,नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: 1- वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2022 की गर्मी में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 21-22 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है । क्षेत्रीय स्तर पर किसी प्रकार के बाहरी दोष (यथा अर्थ फॉल्ट आदि) के कारण संयंत्रों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से कभी-कभी ट्रीपिंग की समस्या आ जाती है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि फीडर में उपयोग होने वाले कंडक्टर की कैपिसिटी एवं विद्युत शक्ति उपकेन्द्र में पावर ट्रांसफॉर्मर की कुल क्षमता के अनुसार फिजिब्लिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफॉर्मरों का अधिष्ठापन 11 के0वी0 फीडर पर किया जाता है ।

3- उपभोक्ताओं के हित में राज्य में फीडरों पर लोड में सुधार के लिए Feeder Segregation, Power Transformer Augmentation etc. संबंधित कार्य समय-समय पर विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है एवं विभिन्न स्वीकृत परियोजनाओं द्वारा भी पी0एस0एस0 का निर्माण कराया गया है, जिससे फीडरों पर लोड को कम करने का कार्य किया गया है ।

अध्यक्ष: श्री ऋषि कुमार जी को अधिकृत किया गया है । माननीय सदस्य, श्री ऋषि कुमार जी पूरक पूछिये?

श्री ऋषि कुमार: महोदय कोई पूरक नहीं है, संतुष्ट हैं जवाब से ।

अध्यक्ष: चलिये, धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मंडल ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 2789(श्री विजय कुमार मंडल,क्षेत्र सं0- 51,सिकटी)</u>

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री मिथिलेश कुमार ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2790(श्री मिथिलेश कुमार,क्षेत्र सं0- 28,सीतामढ़ी)</u>

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री सुनील मणि तिवारी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2791(श्री सुनील मणि तिवारी,क्षेत्र सं0- 14 गोबिन्दगंज)</u>

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2792(श्री मनोज कुमार यादव,क्षेत्र सं0- 16 कल्याणपुर)</u>

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री महा नंद सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2793(श्री महा नंद सिंह,क्षेत्र सं0- 214 अरवल)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सात निश्चय अन्तर्गत नवसंचालित पारामेडिकल संस्थानों में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के सृजित पद के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति करने हेतु सिविल सर्जन को प्राधिकृत किया गया है । तदालोक में इन संस्थानों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों द्वारा शैक्षणिक कार्य का संचालन किया जा रहा है ।

साथ ही आवश्यकतानुसार अतिथि डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर एवं व्याख्याता की सेवा मानदेय के आधार पर लेने हेतु भी प्राधिकृत किया गया है । डिमोन्स्ट्रेटर/ट्यूटर, व्याख्याता एवं प्राचार्य की नियमित नियुक्ति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिये ।

श्री महा नंद सिंह: महोदय, जवाब मिला है लेकिन जो सी0एस0 को जिम्मेवारी दी गयी है उसमें अरवल में ब्लड बैंक के इंचार्ज को पढ़ाने के लिए दिया गया है, नोडल पदाधिकारी बनाया गया है । पी0एम0आई0 को, ये जो पारा मेडिकल इंस्टीच्यूट है

इसमें छात्रों को पढ़ाने के लिए न तो वहां डिमोन्सट्रेटर, ट्यूटर, व्याख्याता इनलोगों की बहाली नहीं हुई है महोदय और उनलोगों का जो सिलवेस है ..

अध्यक्ष: समय खत्म हो गया है इसलिए क्षेत्रफल को बढ़ाईए नहीं, थोड़ा उसको सीमित कीजिये ।

श्री महा नंद सिंह: पूरक ही है महोदय, सिलेवस के ज्ञान वाले जो पदाधिकारी, ट्यूटर है, डिमोन्सट्रेटर हैं, व्याख्याता हैं उनकी बहाली सरकार कबतक करेगी ?

अध्यक्ष: मंत्री जी,आप जवाब दे दीजिये लेकिन प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो गया है इसलिए आप मुख्य जो है उसको बतला दीजिये।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री: माननीय सदस्य को मैं अवगत करा देता हूॅ महोदय कि जो उनकी चिंता है उसके आलोक में सरकार ने फर्मासिस्ट पद के लिए 1539, शल्य चिकित्सा सहायक के 1096, एक्सरे टेक्निनिशयन के 803 और ई0सी0जी0 टेक्निशियन के 163 पद का तकनीकी सेवा आयोग को भेज दी गयी है, वहां से जैसे ही नाम आयेगा, उनकी बहाली कर दी जायेगी।

अध्यक्ष: अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हैं, उसे सदन पटल पर रख दिये जायें ।

टर्न-7/मधुप/31.03.2023

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

आज सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, इन्हें पुत्री प्राप्त हुई है । सदन की तरफ से इन्हें बधाई देना चाहते हैं कि ये पिताजी बन गये हैं इसलिये अब जिम्मेवारी भी इनकी बढ़ गई है ।

अध्यक्ष : पूरा सदन और पूरा बिहार खुशी में डूबा हुआ है कि पुत्री पैदा ली है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, हम तमाम सदन की तरफ से इनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं और उसके दीर्घायु होने की हमलोग कामना करते हैं । पूरे सदन ने बधाई दी है ।

माननीय विद्युत मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें, माननीय मंत्री खड़े हैं । आप स्थान ग्रहण करें । नहीं, आप अपनी जगह लीजिये अख्तरूल ईमान साहब, मंत्री जी की बात पहले इनको पढ़ लेने दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गये, उनको भी तो बधाई दीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गये, उनको भी तो बधाई दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी दादा हो गये तो ये और ज्यादा दिन जिन्दा रहें और पोती से सेवा-सत्कार लेते रहें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, भारत सरकार द्वारा 2023-24 में लागत के आधार पर 24.10 प्रतिशत की वृद्धि कर विद्युत दर तय किया गया । महोदय, इसका मुख्य कारण है, 24.10 प्रतिशत वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बिजली क्रय की लागत में वृद्धि है । आयातित कोयले - अब आयातित कोयला किनके द्वारा हो रहा है ? यह दुनिया जानती है, सर्वविदित लोग हैं । आयातित कोयले - अनिवार्य उपयोग । अडानी साहब विदेश से कोयला आयातित करते हैं और भारत सरकार का निर्णय है कि उस कोयले का उपयोग करना अनिवार्य है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये । आप बात तो सुनिये, मिनिस्टर साहब क्या घोषणा कर रहे हैं।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जिसके चलते 24.10 प्रतिशत वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है । महोदय, 2023-24 में बिजली दर 5.82 रू0 प्रति यूनिट हो जायेगा जो अभी 5.12 रू0 प्रति यूनिट है । लगभग 11 प्रतिशत अधिक बिजली दर बढ़ेगा । दो वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत संचरण की दर में भी अप्रत्याशित वृद्धि की गई है । अंतर्राज्यीय प्रेषण की दर में वर्ष 2021-22 में लगभग 39 प्रतिशत वृद्धि की गई है। 2020-21 तक यह दर केवल 38 प्रतिशत था जो 39 प्रतिशत कर दिया गया है ।

महोदय, इसी बिजली दर के चलते जो न्यूज आया था, उसमें उपभोक्ताओं को करीब-करीब 35-36 प्रतिशत की वृद्धि दर का मामला था और नेता विरोधी दल के नेतृत्व में ये लोग पूरा हंगामा कर रहे थे - बिजली दर वापस करो, बिजली दर वापस करो ।

महोदय, मैं एक और जिक्र करना चाहता हूँ, बाद में अपनी बात रखूँगा । महोदय, मैं आंकड़ा रखना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें । आप सदन के सभी माननीय सजग सदस्य हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2023 में 8895 करोड़ रू0 अनुदान में अप्रत्याशित वृद्धि करते हुये 4219 करोड़ रू0 का अतिरिक्त अनुदान देते हुये कुल 13 हजार करोड़ रू0 की बड़ी राशि की व्यवस्था 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से की गई है और बिजली का जो रेट पिछले चार साल में था पॉचवें साल भी वही रहेगा । बिहार की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आभार प्रकट करना चाहते हैं । इतना बड़ा निर्णय किसी भी सरकार ने लेने का काम नहीं किया, ये बधाई के पात्र हैं ।

महोदय, जहॉं उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी बिजली दर हमसे ज्यादा है लेकिन हम अपने उपभोक्ताओं को उससे भी सस्ती बिजली दे रहे हैं, यह मुख्यमंत्री जी के कारण है । इसलिये मेज थपथपा कर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया जाय और बहुत-बहुत बधाई के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ ।

(थपथपी)

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, एक बात समझ लीजिये । अब ये लोग बोल रहे थे तो हमको आश्चर्य हुआ था, साथी थे । ये लोग भूल क्यों गये थे ? हमलोगों को तो मिलता है, रेट ज्यादा न मिलता है भाई, उस ज्यादा रेट पर यहॉं बिजली मिलता है । हमलोग बराबर कहते थे कि एक ही तरह का रेट होना चाहिए - वन नेशन वन

टैरिफ । वह तो कोई माना नहीं और यहाँ पर हुआ, कितना हमलोग यहाँ पर बिजली का सब लगवाये, सब तो आप लोग जानते ही हैं और हमलोगों ने हैंड-ओवर किया सेन्टर को । यह सब किये लेकिन इसके बाद आप जान लीजिये कि यहाँ का तो बिजली बिल लाख कहने पर भी ज्यादा हो रहा था । आप लोग सब साथ ही थे तब न यह हमलोग माँग कर रहे थे, आज आप यह कह रहे हैं ।

अब आप समझ लीजिये कि अभी तो ये बताये कि आपका बिहार में प्रति यूनिट पिछले साल तक था 5.12 रू0 । अब इस बार बढ़कर हो गया है बिहार का 5.82 रू0 प्रति यूनिट । अब आप सोच लीजिये, 5.82 रू0 प्रति यूनिट । आप दूसरे जगह का जान लीजिये, गुजरात का रेट क्या है ? केन्द्र से जो मिलता है सबको, हमलोगों के लिए है 5.82 रू0 प्रति यूनिट और गुजरात में है 3.74 रू0 प्रति यूनिट, सबसे अमीर राज्य में है ।

(व्यवधान)

सुनिये न भाई, इतना सस्ता उनको देते हैं ।

अध्यक्ष : शांति-शांति । गंभीरता से सुनिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : पहले बात होता ही न था, आज क्यों नहीं बोलियेगा । अपना बाहर बोलते रहिये, वह तो ठीक ही है, बोलते रहने में कोई दिक्कत नहीं है । हम यह कह रहे हैं कि असली बात को जान लीजिये ।

महाराष्ट्र में है 4.32 रू0 प्रति यूनिट । बताइये, देश का सबसे अमीर राज्य और उसको मिल रहा है 4.32 रू0 प्रति यूनिट और हमलोगों को मिलता है 5.82 रू0 प्रति यूनिट । इतना ज्यादा रेट, पिछले साल 5.12 रू0 प्रति यूनिट और उससे बढ़कर हो गया इतना । इसी में हमलोगों ने आपस में बैठकर किया कि यह इतना रेट बढ़ रहा है, वह जो सवाल है, जो कमिटी है उसका तो काम है न कि जो रेट आता है, उस रेट के आधार पर वह डिसीजन लेता है लेकिन उसके बाद सरकार निर्णय लेती है और आप भूल क्यों जाते हैं, सरकार निर्णय लेती है, और ज्यादा मदद लोगों को देने का निर्णय लेती है । इस बार भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम लोगों का पैसा बढ़ने नहीं देंगे, जो रेट था वही रहेगा । अपनी तरफ से हमलोग कितना करेंगे, पिछली बार का समझ लीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखिये । माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप जान लीजिये और ये बता दिये । यही जो साल आज के दिन खत्म हो रहा है, अब तक था 8895 करोड़ रू0, अब आज जो हम लोगों ने फैसला कर लिया है कैबिनेट से, अब इस बार जो हम लोगों को, राज्य सरकार को

लोगों को जो मदद देनी पड़ेगी, वह है 13114 करोड़ रू0 हमलोगों को देना है । लेकिन रेट तो हमलोगों को देना पड़ेगा, खरीदते हैं वह तो पैसा देना ही पड़ता है । इसके बाद लोगों को कम में ही, जितना रेट में हमलोग दे रहे थे, वही तय रहेगा लेकिन हम बात करेंगे कि यहाँ आप लोग बोलते हैं, थोड़ा-बहुत सारे बिहार के लोगों को एकजुट होकर माँगना न चाहिए कि सब जगह का रेट एक ही तरह का करो । आप बोल दीजिये, हम कितना अपना रेलवे का दे दिया । आपको पता है ? श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब हम थे, मेरे अनुरोध पर यह हुआ बाढ़ में और आकर श्रद्धेय अटल जी ने उसका शिलान्यास किया । उसके बाद आप बताइये कि बनकर तैयार हो गया, कितना ज्यादा है, उसका कितना बार जा-जाकर यह प्वायंट, वह प्वायंट, सबका उद्घाटन अभी है और दूसरे जगहों का भी जितना हमलोग बनवा रहे थे वह सबको, इनकी राय थी, सब कहकर हमने कहा कि ठीक है, सब केन्द्र सरकार को हमलोग समर्पित कर दिये । अब बताइये साहब, इतना हम उनकी मदद कर रहे हैं और उसके बाद भी हम बार-बार कहते हैं, जब मीटिंग होती है तब यह कहते हैं, जब कभी भी आज तक मीटिंग हुई, जब भी मुख्यमंत्रियों के लेवेल पर बुलाते हैं उसमें भी हम यही कहते हैं कि एक ही रेट पर सभी राज्यों को मिलना चाहिए लेकिन अब सुनते ही नहीं हैं । आप लोगों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अपना जो बोलना है बोलते रहिये लेकिन अंदरूनी तौर पर आप लोग भी उन लोगों को कहिये । ...क्रमशः...

टर्न-8/आजाद/31.03.2023

..... क्रमशः .....

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ये भाई, अगर आप राज करना चाहते हैं तो जरा यह सब करियेगा तब न आपको फायदा मिलेगा । यह सब चीज कहिए सबलोग, इसीलिए यह चिन्ता मत कीजिए । आपलोग पहले हमारे साथ थे, हमलोग कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं और हमलोगों ने एक-एक घर तक बिजली को पहुँचा दिया है, हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं । हमलोगों ने किस तरह से बिजली पहुँचा दी इतनी गरीबी के बावजूद भी । पहले हमारे पास कितनी कम बिजली थी और अब कितनी अधिक बिजली हो गयी और 2018 का जो हमलोगों ने तय कर दिया था, उसमें दो महीना पहले हर घर बिजली इनके नेतृत्व में पहुँचा दी गयी । यह सब काम तो हो ही रहा है, सब चीज तो किया ही जा रहा है, इसमें कहीं और ज्यादा करेंगे । आपलोग, सब लोग रहे हैं न भाई, अभी क्यों खड़ा होकर रोज बोल देते हैं कि रेट बढ़ा दिया, जबकि आप ये सब चीज जानते थे । जो रेट बढ़ाता है, वह तो

संवैधानिक रूप से उसको अधिकार है बढ़ाने का, उसको देखने का और तब वह तय करता है । उसको हमलोग थोड़े मानते हैं, उसके बाद भी हमलोग उसको कम पर देते हैं । यह रह जाता है कि रेट यह है लेकिन आपसे रेट इतना कम हम ले रहे हैं । हमलोग करते हैं न भाई, आप भूल क्यों जाते हैं, इसलिए यह सब बात मत बोलिए, अपने राज्य में, एक गरीब राज्य है और आपको अमीर राज्य का भी कहानी बता दिये । अब जरा मध्य प्रदेश का भी जान लीजिए, मध्य प्रदेश का .....

(व्यवधान)

पहले कहां थे, फिर बीच में कहां गये, फिर कहां चले गये, आप ऐसे बोलते रहते हैं, चुप रहिए ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए । जब माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और गंभीर बात बता रहे हैं तो आप बैठे रहिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अब आप समझ लीजिए, आपको महाराष्ट्र का बताये, गुजरात का बता रहे हैं, राजस्थान का भी, इनको 4.46 रू0 प्रति यूनिट है, मध्यप्रदेश को 3.49 रू0 प्रति यूनिट है । आप बोलिए, हमलोगों का कितना हो गया 5.82 रू0 प्रति यूनिट तो बिहार का जरा सा ख्याल न रखना चाहिए जी । यह इतना गरीब राज्य है तो गरीब राज्य को थोड़ा इसको भी तो सोचना चाहिए । इसीलिए हमलोगों ने तय कर लिया और इन्होंने आपको बता दिया कि 8895 करोड़ रू0 की जो राहत थी, अब इस बार बढ़ाकर के हमलोगों ने तय कर दिया है, आज ही केबिनेट करके अंतिम दिन था, चूँकि कल से लागू होगा, इसलिए आज ही निर्णय कर लिया गया कि 13114 करोड़ रू0 का राहत दिया जायेगा लोगों को और आज इसीलिए इसकी घोषणा कर रहे हैं । आप सब लोगों को इसके बारे में एकजुट होकर के इसका स्वागत करना चाहिए कि समुचा राज्य कर रहा है, इसमें कुछ इधर उधर बोलने का नहीं है । मिलकर के एक साथ कहियेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा । हम इतना ही कहेंगे और इसको कर दिया गया है । आज आपने मौका दे दिया तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद । अब माननीय नेता जब बोल ही दिये तो अब कौन सी चीज कहना है? आप धन्यवाद दे दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को भी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने विषय को रखा कि हर घर बिजली पहुँचाये, हमलोग साथ थे तो बिजली पहुँचाये और केन्द्र की उसमें कितनी भागीदारी थी, यह भी थोड़ा सदन को जानकारी देनी चाहिए । दूसरा महोदय, जो आप कह रहे हैं कि यहां रेट ज्यादा है तो रेट ज्यादा है

तो आपके स्टेट के अन्दर संयोग से बड़े भाई छोट भाई की सरकार 32 साल, 33 साल से है । नेतृत्व आप ही कर रहे हैं, आपका कोई थर्मल पावर अपने स्तर पर चलाने में सक्षम क्यों नहीं हुआ, क्यों सेंट्रल को आपने सुपुर्द किया, क्यों रेट बढ़ा, इन सारे विषयों का जिक्र होना चाहिए......

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एक मिनट ।

अध्यक्ष : धन्यवाद दे दीजिए आप ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : बैठिए-बैठिए । जरा बैठिए, सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : आप धन्यवाद दे दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : पहले सुन तो लीजिए ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आपने जो सवाल उठाया, उसका उत्तर सुन लीजिए । आप उत्तर तो सुनिए ।

अध्यक्ष : इनकी बात सुन लीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आप विपक्ष को बोलने नहीं दीजियगा ......

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आप प्रश्न उठा दिये .....

अध्यक्ष : देखिए, यह गलत बात है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आपने जो सवाल उठाया, उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ । आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ कि क्यों सुपुर्द किये हम ।

अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं ? बहुत भूमिका में मत जाइए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, हम भूमिका नहीं करते हैं, आसन का संरक्षण विपक्ष को चाहिए ।

अध्यक्ष : बिल्कुल, आसन का संरक्षण है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अच्छी बात बोली है, उसके लिए हमलोग उनको धन्यवाद भी देते हैं लेकिन सच पूरा बताना चाहिए, आधे-अधूरे सच से कंफ्यूजन होते हैं । बिहार की जनता को हम भ्रमित नहीं कर सकते हैं । हर घर बिजली पहुँचाने में सेंट्रल की भी भूमिका रही और एन0डी0ए0 की सरकार में आपलोग काम किये थे, यू0पी0ए0 की सरकार में नहीं हुआ था और बिजली बिल ....

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से जानते हैं और पूरी बात वे बोलते हैं । जो भी बात बोलते हैं वे काफी गंभीर होकर बात बोलते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, 35 परसेंट की वृद्धि का प्रस्ताव आखिर क्यों ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें, शोरगुल नहीं । माननीय सदस्य श्री महबूब साहेब, स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : विपक्ष की आवाज दबाकर के सत्ता अपनी बात कैसे रख पायेगी ।

अध्यक्ष : आपकी कहीं आवाज नहीं दबायी जा रही है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : उन्होंने बोला, मैं नहीं समझता हूँ तो वे बतायेंगे डिटेल्स में । इसमें ऐसे सेंट्रल का है, हमारा स्टेट का प्रोडक्शन इतना है, मेरे थर्मल पावर इतना-इतना बन्द हो गया, इतना थर्मल पावर से दूसरे स्टेट में बिजली का दर घटता है, ये डिटेल्स में बताये, नहीं तो इसपर ये बहस करा लें, दो घंटा का बहस करा लें सदन के अन्दर ।

अध्यक्ष : अब तो हो ही गया, कह दिये । माननीय महबूब साहेब ....

श्री महबूब आलम : महोदय, रात तीन बजे आते हैं, छः बजे आते हैं महोदय, फिर नौ बजे आते हैं महोदय तो इस शून्यकाल का क्या महत्व रहेगा महोदय ? शून्यकाल लिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । आवश्यकता होगी तो समय बढ़ाया जायेगा सदन की इजाजत से । प्रभारी मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जरा एक मिनट । नेता विरोधी दल ने यह कहा कि आपने अपना थर्मल पावर क्यों सुपुर्द कर दिया ? मैं बताना चाहता हूँ, ये उस समय भी मंत्री थे । जब बिहार का बटंवारा हुआ महोदय, 110 मेगावाट की दो यूनिट बरौनी और 110 मेगावाट की दो यूनिट मुजफ्फरपुर, इतना ही बिहार के हिस्से में मिला और कहलगांव भी पहले भारत सरकार का था, बाढ़ भी भारत सरकार का है। एन0टी0पी0सी0 भारत सरकार का ऑरगाइनेजेशन है, कोयला भारत सरकार के जिम्मे है, रेल भारत सरकार के जिम्मे, कोयला ठीक से नहीं मिलती थी और रेल भी टाईम पर नहीं मिलता था और बिजली का दर बढ़ता । इसीलिए हमने सुपुर्द कर दिया भारत सरकार को लेकिन आज जो भारत सरकार से बिजली खरीदते हैं हम, बाढ़ से भी बिजली मिलती है, वह भी महंगे दाम पर है और पॉंच रिजन में बिजली को बांटा गया है महोदय, नौर्थ इस्टर्न रिजन, इस्टर्न रिजन, वेस्टर्न रिजन, नौर्दन रिजन, सरदन रिजन । इस्टर्न रिजन में है बिहार, बंगाल, उड़िसा, झारखंड और सबसे महंगी बिजली चूँकि जो थर्मल पावर पहले बना, उसका कॉस्ट कम था, वही मैंने

जिक्र किया था, जरा पढ़िए एसेम्बली के लाईब्रेरी में । जब फ्रेट इक्यूलाईजेशन का प्रस्ताव भारत सरकार ने किया था कि बिहार का कोयला तमिलनाडु राज्य जायेगा, महाराष्ट्र जायेगा और उद्योग चलेगा । अनुग्रह बाबू का पूरा भाषण पढ़िए, बहुत ज्ञान होगा । उन्होंने इसका तीव्र विरोध किया था बिहार की उपेक्षा का, इसी कारण हमलोगों ने थर्मल पावर हैंडओवर कर दिया और कोई कारण नहीं है क्योंकि उनसे भी हम बिजली खरीदते हैं और भारत सरकार का इस्टर्न रिजन, जब वन नेशन वन टैक्स हो गया । हम कहते हैं कि भारत माता की जय तो बिहार भारत माता का हिस्सा है कि नहीं तो दूसरे राज्यों में सस्ती बिजली और हमें महंगी बिजली क्यों ? यहां भाषण दे रहे हैं, याद रखिए कि हर घर बिजली के मामले में मैं आज भी कह रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने अद्‌भूत काम किया 90-10 के मामले में और 12000 करोड़ का पैकेज देकर के हर घर बिजली के मामले में जो सहायता किया, वह अनुकरणीय है । आप तो 2014 में कहते थे कि बिजली आयी, बिजली आयी, इसीलिए चुप रहिए ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सी0ए0जी0 का रिपोर्ट ले होगा । प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत मैं, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के प्रतिवेदन ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखता हूँ ।

महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

टर्न-9/शंभु/31.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त

प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के ''वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)'' तथा ''विनियोग लेखे'' को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 31 मार्च, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री संजय सरावगी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता । आज सदन में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निर्धारित हैं जिसमें गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-19(1) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, आपने बोला था कि शून्यकाल में उठाने का समय देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का शून्यकाल है ।

श्री संजय सरावगी : आपने बोला था अध्यक्ष महोदय कि समय पर उठाइयेगा । आपका नियमन हुआ था अध्यक्ष महोदय, इसको पढ़वा दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए, शून्यकाल को पढ़वाने दीजिए । मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव को नियमानुसार नहीं रहने के कारण अमान्य कर दिया है । इसलिए अब शून्यकाल होगा माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

(व्यवधान)

शून्यकाल

श्री मनोज मंजिल : महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा उर्दू टी0इ0टी0 पास 12 हजार अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत कटआफ कम करके रिजल्ट जारी करने के आदेश के बावजूद रिजल्ट जारी नहीं किया गया, विगत 8 सालों से अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अविलम्ब उर्दू टी0इ0टी0 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग करता हूँ ।

श्री संजय सरावगी : आप बोले थे कि समय पर उठाइयेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अच्छा, बैठ जाइये, मैं आपको पढ़वाउंगा । पहले आप बैठ जाइये । मैं पढ़वा दूंगा आप बैठ जाइये । इसको हो जाने दीजिए ।

(व्यवधान)

अब आप बैठिये न । आप स्थान ग्रहण कीजिए । आप पढ़िये । आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य । माननीय अजीत बाबू, आप स्थान ग्रहण कीजिए न।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, पटना के ऑनलाइन परीक्षा केन्द्रों पर 2-2 लाख में परीक्षा केन्द्रों के बिकने की खबर आज समाचार पत्र में आया है । स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ है, यह कारोबार पटना में 7-8 वर्षों से चल रहा है । पहले भी बी0पी0एस0सी0 और कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा में धांधली की खबर आ चुकी है । राज्य सरकार के अधीन बिजली बोर्ड, खाद्य आयोग एवं अन्य परीक्षा में पैसा लेकर इसी सेटिंग से नौकरी दी गयी है, मेधा का हनन हो रहा है । अत: आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए इस विषय पर सदन में चर्चा की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महबूब आलम साहब, अपना शून्यकाल पढ़ें । आप बैठ जाइये, हो गया ।

श्री महबूब आलम : महोदय, प्रेरक कर्मी शिक्षा विभाग में सेवा देने के साथ-साथ सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभायी है । उनकी सेवा समाप्त कर दी गयी है । मैं उन्हें शिक्षा विभाग में शिक्षक या अन्य कर्मी के रूप में नियोजित करने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मंजु अग्रवाल जी, जरा आप बैठ जाइये । बोलिये अख्तरूल इमान साहब ।

श्री अख्तरूल इमान : महोदय, मेन्स जो स्कॉलरशिप है सर उसके रिभेलीडेशन के लिए 5 हजार बच्चे हमारे वहां सिंचाई भवन के सामने में बेहाल खड़े हैं ।

अध्यक्ष : क्यों ?

श्री अखतरूल ईमान : वो रिभेलीडेशन का मामला माइनोरिटी विभाग में हो रहा है आज अंतिम डेट है और बुरा हाल है । सर, 5 हजार बच्चे हैं उसका कोई उपाय किया जाय । वहां का हाल जरा देखवा लिया जाय सर, विधान सभा की ओर से उनका बुरा हाल है सर ।

अध्यक्ष : ठीक है स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, ये केन्द्र सरकार की योजना.......

अध्यक्ष : अब हो गया, मैंने आपको समय दे दिया तो बैठ जाइये आप । श्रीमती मंजु अग्रवाल, अपने शून्यकाल की सूचना को पढ़ें ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखंड आमस के ग्राम आमस कासमा मेन रोड से ग्राम मंझौलिया तक सड़क का निर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री रामचन्द्र प्रसाद : महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखंड का निबंधन कार्यालय लहेरिया सराय (सदर दरभंगा) था जिसे वर्तमान में निबंधन कार्यालय बहेड़ा कर दिया गया है जो भौगोलिक एवं यातायात के दृष्टिकोण से बिलकुल सही नहीं है । अत: मैं सरकार से मांग करता हूँ कि निबंधन कार्यालय को पुन: लहेरिया सराय (सदर दरभंगा) किया जाय ।

श्री ललन कुमार : महोदय, मैं सरकार से पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन भागलपुर के पीरपैंती से बाबूपुर भाया बाखरपुर सड़क में चौखंडी ढाब के पास के पुराने और अत्यंत जर्जर हो चुके पुलों के स्थान पर नये पुल के निर्माण करने की मांग करता हूँ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, प्रदेश में कार्यरत महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी प्रखंड स्तरीय के0आर0पी0 (की रिसोर्स परसन) मुख्य श्रोत व्यक्ति जो 2009 से अब तक सरकार के महत्वाकांक्षी योजना को सफल करते आ रहे हैं । उन्हें मानदेय एवं सरकारी सुविधाएं देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, भारत सरकार के गाइड लाइन एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अन्य राज्यों में आरा मशीन की खरीद बिक्री हो रही है, लेकिन बिहार में नहीं हो रही है । अत: सरकार से मांग करती हूँ कि बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह आरा मशीन की खरीद बिक्री हो ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, उजियारपुर (समस्तीपुर) थाना कांड सं0-309/22 दुष्कर्म और हत्याकांड को दबाने और अपराधकर्मियों को बचाने के खिलाफ 4 दिनों से भाकपा माले कार्यकर्त्ता अनशन कर रहे हैं, उनकी स्थिति काफी नाजुक है । अपराधकर्मियों की तत्काल गिरफ्तारी और बचाव करनेवाले थाना अध्यक्ष को मुअत्तल करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूँ ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, अरवल बस स्टैंड से जनकपुर धाम, एस0पी0 आवास होते हुए बैदराबाद तक जानेवाली सड़क जर्जर है । नगर परिषद् क्षेत्र में यह सड़क ग्रामीण कार्य विभाग की है, जो उपेक्षित है । सरकार से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उक्त सड़क के निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज नगर परिषद् क्षेत्र के आसपास के किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों को बेचने हेतु बिक्रमगंज में चबुतरा सह शेड निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, बथनाहा विधान सभा के मध्य विद्यालय, मझौलिया भवन विहीन है । विद्यालय में पेयजल, शौचालय, चहारदीवारी विहनी एस्बेस्टस युक्त विद्यालय जर्जर अवस्था में है । दो हजार अनुसूचित जाति एवं अन्य समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित है ।

अत: जनहित में विद्यालय के निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब समय नहीं बचा है इसलिए शून्यकाल को समाप्त किया जाता है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण सुनिये, मैं समझता हूं कि शून्यकाल के लिए शून्यकाल समिति है, जिन माननीय सदस्यों के शून्यकाल बच गए हैं अगर आपलोगों की सहमति हो जायेगी तो कार्यवाही के लिए उन सूचनाओं को हम शून्यकाल समिति में भेज देंगे ।

(सभा की सहमति हुई)

(व्यवधान)

अब 12:30 बज चुके हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं इसलिए आज की सूचीबद्ध ध्यानाकर्षण सूचनाएं अगली तिथि को ली जायेंगी ।

अब सभा की कार्यवाही 02:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब गैर सरकारी संकल्प लिये जायेंगे ।

क्रमांक-1 : श्री बीरेन्द्र कुमार,स0वि0स0

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार जायसवाल प्राधिकृत किये गये हैं, वे भी नहीं हैं ।

क्रमांक-2 : श्री निरंजन कुमार मेहता,स0वि0स0

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड अन्तर्गत विषवारी पंचायत के सुरसर नदी पर पुल का निर्माण करावे । ''

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल से एक तरफ विषवारी ग्राम अवस्थित है जिनकी संपर्कता शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाइ0 अन्तर्गत निर्मित एल0ओ0-36 ग्वालपाड़ा से विषवारा पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ कृषि योग्य भूमि है । अभिस्तावित पुल स्थल से स्ट्रीम 6 कि0मी0 एवं डाउन स्ट्रीम में 5 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जगह जो है इस तरफ मधेपुरा बार्डर है और सुरसर नदी के पश्चिमी छोर पर सहरसा बोर्डर है सोनवर्षा विधान सभा और इससे अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि एक तरफ माननीय मंत्री महोदय भी स्वीकार कर रहे हैं कि पी0एम0जी0एस0वाइ0 नदी के किनारे तक हमलोग बनवाये हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दया से और इस पुल के बन जाने से मेरा एक आग्रह सुना जाय जब पुल बन जायेगा तब दोनों जब जुड़ेगा मधेपुरा और सहरसा का बोर्डर पंचायत का नाम ले रहे हैं पचलख, दुर्गापुर, बरसिंघा, अमौजा, ग्वालपाड़ा, सरसंडी, झंझरी, ललिया, बलिया बासा, इसवारी, ग्वालपाड़ा, तेफरा, भलुवाही, तिलाठी, पहाड़पुर, सुथनियां, दुर्गापुर, बेरठ, रिंगबा, गमहरा इत्यादि 32 पंचायतों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा । इसलिए मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि इसपर जरूर विचार करके इस पुल

को बनवा दिया जाय ताकि लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी । बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-3 : श्री राजेश कुमार सिंह,स0वि0स0

श्री राजेश कुमार सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के नागरिकों का देश के अंदर किसी राज्य में असामयिक निधन दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर मृतक के आश्रितों/उत्तराधिकारियों को उचित सहायता/मुआवजा की राशि भुगतान हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।''

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अभी कौंसिल में हैं, वहां से आयेंगे तब जवाब देंगे ।

क्रमांक-4 : श्री भूदेव चौधरी, स0वि0स0

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बांका जिलान्तर्गत धोरैया विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली दो नदियाँ चाँदन एवं गेरूआ नदी बालू उठाव के कारण काफी गहरी गेरूआ नदी एवं रजौन प्रखंड के चाँदन नदी पर चैक डैम का निर्माण करावे।''

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बांका जिला के धोरैया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रजौन प्रखंड के पश्चिमी छोर से चांदन नदी एवं धोरैया प्रखंड के पूर्वी छोर से गेरूआ नदी बहती है । धोरैया विधान सभा अन्तर्गत चांदन नदी पर इकोरिया बीयर निर्मित है जिसका सी0सी0ए0-29254 हे0 औलरेडी है । इसके अतिरिक्त इसके 19.82 कि0मी0 निम्न प्रवाह में घोखा बीयर निर्मित है जिसका सी0सी0ए0-14730 हे0 है । सिंचाई वर्ष 2021 में चांदन नदी पर निर्मित इकोरिया बीयर जो प्रखंड बांका में है, से निश्चित नहर प्रणाली द्वारा रजौन एवं धोरैया प्रखंड में खरीफ में 14545 हे0 के विरूद्ध 14545 हे0 और रबी में जो लक्ष्य था 4774 वह सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी । अल्प वर्षापात के कारण सिंचाई वर्ष 2022 में चांदन नदी पर निर्मित एकोरिया बीयर से निश्चित नहर प्रणाली द्वारा रजौन एवं धोरैया प्रखंड में खरीफ लक्ष्य से कम हमलोग सिंचाई दे पाये थे । प्रश्नगत नदी की चौड़ाई अधिक है साथ ही नदी से अतिरिक्त बालू उठाव के कारण नदी काफी गहरी हो गयी है । चांदन एवं गेरूआ नदियों से अतिरिक्त बालू उठाव पर नियंत्रण रखने हेतु जिला पदाधिकारी, बांका से कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल बांका के पत्रांक-466, दिनांक-25.05.2023 द्वारा अनुरोध किया गया । प्रश्न

स्थल पर चेक डैम के निर्माण से संबंधित अभी हमने दिया है विभाग को । तकनीकी एवं आर्थिक संभाव्यता अध्ययन हेतु मुख्य अभियंता, भागलपुर को निदेशित किया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है । इसलिए आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री भूदेव चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव वापस लेने के पक्ष में हूँ किन्तु मैं अपनी व्यथा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ । मेरा धोरैया विधान सभा क्षेत्र ही दोनों नदियों के बीच में है पूरब में गेरूआ है पश्चिम में चांदन नदी है । इतनी गहरी हो गयी है कि किसान अब तड़प रहा है । 84 मौजा के किसान की चिरप्रतिक्षित मांग है । जब समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे, माननीय सिंचाई मंत्री गये थे तो वहां भी बांका के लोगों की आवाज यही थी तो हमारी इच्छा है चूंकि चांदन नदी और गेरूआ नदी पर अगर प्रोटेक्शन वाल भी बन जाता है तो ये जल जीवन हरियाली जो संचालित हो रहा है एक तो ये मजबूत हो जायेगी दूसरा जो हर घर नल का जल उसका बोरिंग वगैरह फेल कर रहा है, चापाकल का लेवेल नीचे जा रहा है । इसलिए हम यही माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि कम से कम धोरैया रजौन में जो दो नदियां हैं वहां प्रोटेक्शन वाल भी अगर हो जाय, गाइड वाल भी हो जाय तो मुझको लगता है कि पानी का संचय हो जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दिया है इसलिए आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री भूदेव चौधरी : बिलकुल प्रस्ताव वापस ले रहा हूँ और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि माननीय मंत्री जी इसपर पुनर्विचार करेंगे । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, सिंचाई मंत्री जी का आज जन्मदिन है इसलिए बधाइ र्की आपसे भी अपेक्षा है और सदन से अपेक्षा है ।

अध्यक्ष : चलिए पूरे सदन की ओर से मंत्री जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई ।

क्रमांक-5 : श्रीमती गायत्री देवी, स0वि0स0

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखंड के मनपौर से विशनुपुर सड़क का पक्कीकरण करावे।''

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 2.40 कि0मी0 है । इस पथ के सर्वे छूटे हुए बसावट अन्तर्गत परिहार बेला पी0डब्लू0डी0 पथ से मुशहर टोला बिशनपुर पथ के नाम से कर लिया गया है । जिसका सर्वे आइ0डी0-19731 है । तद्नुसार अग्रेषित कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

टर्न-10/पुलकित/31.03.2023

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, संकल्प वापस तो लेना ही पड़ता है । महोदय, सीतामढ़ी और परिहार विधान सभा में जो जगह है, मनपौर से विशनुपुर के बीच मुसहर टोला है, वहां पर कच्ची सड़क है । इस सड़क पर दस साल पहले मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना से दो पुल बने थे लेकिन सड़क नहीं बनी थी । महोदय, 30,000 की आबादी है और जनता को कठिनाई बहुत हो रही है । मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष में सड़क का निर्माण करा देंगे और समय-सीमा बता दें कि कबतक करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी और आपने सुन लिया है। क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहती है ?

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव वापस तो लेना ही है लेकिन मंत्री जी, समय-सीमा तो बता दें, कब तक बना देंगे, वहां जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है। मंत्री जी, समय-सीमा तो तय कर दें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार सिंह, आप अपनी सूचना पढ़ चुके हैं । माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग ।

<u>क्रमांक-3 : श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

श्री शाहनवाज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत मामले में वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राज्य आपदा रिस्पोंस निधि की राशि से मृतक के परिजन को भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानदर वर्तमान में चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाता है । साथ ही, अनुग्रह अनुदान का भुगतान उस राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है जहां पर आपदा, दुर्घटना घटित हुई है, भले ही मृतक किसी भी राज्य का निवासी हों ।

अत: उपरोक्त प्रावधान के आलोक में भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा नोटिफाइड नेशनल डिजास्टर के कारण मृतक के परिजन को

अनुग्रह अनुदान का भगुतान हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से सिफारिश किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

अत: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मोहिउद्दीन नगर विधान सभा के मोहनपुर ब्लॉक के अंतर्गत रसलपुर गांव के चार सहनी परिवार के लोग जब राजस्थान में गये थे....

अध्यक्ष : आपने अपने प्रस्ताव में ये सब लिखा है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : तब उनकी मौत हो गयी । महोदय, मैं और कुछ बोल रहा हूं उसे सुन लिया जाए । महोदय, चार लोगों की डूबकर मौत हो गयी, हमलोगों को भी जानकारी नहीं है कि बिहार का कोई मजदूर बाहर काम करने के लिए जाता है और उसकी डूबकर मौत हो जाती है । इसमें उस गरीब के लिए क्या हो सकता है, अभी माननीय मंत्री महोदय से जानकारी मिली है । इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

<u>क्रमांक-6 : श्री विद्या सागर केशरी, स0वि0स0</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश यादव जी, आपको अधिकृत किया गया है, इसलिए अपना संकल्प पढ़िये ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलान्तर्गत एन0एच0 57 के फारबिसगंज कॉलेज चौक से आर0डब्लू0डी0 की 10 नं0 सड़क, जो हरिपुर, मुसहरी, झिरवा, मधुलता होते हुए अररिया जिला की सीमा डाक बंगला तक की सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहित कर चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं ढक्कन सहित नाले का निर्माण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । पथ अधिग्रहण की नयी नीति पत्रांक- 1548 (एस), दिनांक-25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज अनुमंडल है, वहां घनी आबादी है और अभी ट्रैफिक का घनत्व भी काफी अधिक है । महोदय, इसमें पथ निर्माण विभाग को अधिकृत करने के साथ-साथ इसके चौड़ीकरण और नाले निर्माण से संबंधित भी बातें हैं । महोदय, यह काफी लम्बी सड़क है, हम चाह रहे थे कि यह अररिया जिला की सीमा को भी जोड़ता है । इसको पथ निर्माण ले लेता तो अच्छा रहता लेकिन ग्रामीण विभाग भी अगर इसे बनाये तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उसका चौड़ीकरण करावें ट्रैफिक घनत्व को देखते हुए और जो भी रोड बने वह नाले के साथ बने, नहीं तो उस रोड का कोई महत्व नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और आपको जानकारी हुई है । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी चौड़ीकरण की बात नहीं किये हैं, नवीनीकरण की बात कहे हैं ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव वापस लेना ही पड़ेगा, संख्या बल के आधार पर वापस लेना है तो लेना ही पड़ेगा लेकिन हमारा आग्रह है कि उस सड़क का चौड़ीकरण तो कर दें । सरकार इतना भी नहीं कर सकती है तो फिर क्या करेगी ? मंत्री जी कह दें कि हम चौड़ीकरण करवायेंगे और नाले का निर्माण करावायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये, इस पर बहस नहीं होती है, जो आपको कहना था वह आप कह दिये । माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, ये ग्रामीण सड़क हैं, पथ निर्माण विभाग का अलग नॉर्म्स होता है और ग्रामीण कार्य का अपना अलग नॉर्म्स होता है । ये सड़क चूंकि ग्रामीण कार्य विभाग की है । महोदय, अगर इस सड़क को पथ निर्माण विभाग से बनायेंगे तो उसे ट्रांसफर करना पड़ता है क्योंकि वह नॉर्म्स फोलो करेगा नहीं । इसलिए माननीय मंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि जो पत्रांक-1548, दिनांक-25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग जो स्वामित्व वाले पथ का उन्नयन स्वयं करायेगा तो उसमें हो जायेगा । ये जो प्रक्रिया है उसके अनुसार होगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : ठीक है, हम अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर कि चौड़ीकरण हो जाए ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-7 : श्री सुधाकर सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-8 : श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0

श्री तारकिशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी में स्थित गोगाबिल झील को पर्यावरण एवं पर्यटकीय दृष्टि से सरकार विकसित करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प वन विभाग को हस्तांतरित हुआ है ।

अध्यक्ष : वन विभाग को हस्तांतरित है । माननीय सदस्य का गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, इसको अभी दिखवा लेते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, एक ही माननीय मंत्री जी कई विभाग के जवाब देते रहेंगे तो यही स्थिति होगी । पांच विभाग तो पहले से ही इनके पास थे, और इनका अपना कृषि विभाग भी था, अब वन, पर्यावरण विभाग भी ले लिये । कैसे सरकार चलेगी ?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मेरी मेहनत, मेरी विद्वानता पर हमेशा इनको तकलीफ होती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ । फिर सरकार की जरूरत क्या है, पूरे कैबिनेट की जरूरत क्या है ?

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपसे हम चाहेंगे कि धन्यवाद दीजिये कि ये जितने मिनिस्टर्स हैं । कम से कम जो सवाल होते हैं, उनका किसी न किसी रूप में अधिकृत होकर के वे जवाब तो दे रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहिए।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, जानकारी का अभाव रहता है, पूरा डीप तक नहीं जा पाते हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैंने कहा....

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर कोई प्रस्ताव रखते हैं या कोई प्रश्न करते हैं, पूरक करते हैं तो सरकार की तरफ से उसका उत्तर दिया जाता है । उत्तर के तथ्यों पर नजर रखें, गौर उत्तर पर करें, मंत्री के चेहरे पर क्यों गौर करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप इसे दिखवा लें ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, अभी थोड़ी देर में मैं उनको अवगत करा दूंगा ।

अध्यक्ष : इस संकल्प को अंत में लिया जायेगा ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : आपकी व्यवस्था क्या है ?

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी संकल्प दूसरे विभाग में हस्तांतरित नहीं होता है । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, वह नियम, परम्परा से प्रतिकूल है । सरकार आन्सरेबल है, कोई न कोई माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, विद्वान मंत्री आगे भी बैठे हुए हैं, इसका कोई न कोई जवाब दे देते । महोदय, गैर सरकारी संकल्प किसी भी माननीय सदस्या का हों । चाहे इधर के माननीय सदस्य का हो या उधर के माननीय सदस्य का, इस अपेक्षा से गैर सरकारी संकल्प करते हैं कि इसका निस्तार हो जायेगा । महोदय, सरकार को उत्तर देना चाहिए, दूसरे विभागों पर जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती है ।

टर्न-11/अभिनीत/31.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने स्वयं ग्रहण कर लिया है और मैंने यह भी कहा कि अभी इस संकल्प का अंत नहीं हो रहा है, आज ही अंत में माननीय मंत्री इसका जवाब देंगे ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, क्या आप इसका जवाब दे रहे हैं ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : जी महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, दीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, यह कटिहार जिलांतर्गत मनिहारी में स्थित गोगाबिल झील को पर्यावरण एवं पर्यटकीय दृष्टिकोण से सरकार विकसित करावे, ऐसा माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी का संकल्प है । महोदय, सरकार इसको दिखवायेगी और चूंकि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कितना वायेबुल है, तब पर्यटन विभाग इस पर विचार या दो विभागों के आपसी समन्वय से इस बात पर विचार, इसका जवाब दिया जा सकता है लेकिन अभी तत्काल सरकार का यही जवाब है कि इसको सरकार दिखायेगी और पर्यटन विभाग तथा पर्यावरण विभाग दोनों से उस पर राय मांगी जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कृपया अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया है । क्या आप अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, यह प्रश्न कोई विवाद का नहीं है, यह बिहार के विकास का एक अभियान है, तो हम चाहेंगे कि सदन में इस सत्र के अंत में ही इसका जवाब मिल जाये लेकिन सरकार पूरी तैयार होकर जवाब दे । सरकार भी चाहती है कि अच्छा हो और हम भी चाहते हैं कि अच्छा हो ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं । यह गैर सरकारी संकल्प है और गैर सरकारी संकल्प आज से ही नहीं, बराबर इस तरह से होते रहे हैं । माननीय प्रभारी मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री आलोक कुमार मेहता जी ने कहा कि मैं इसको दिखवा लूंगा । जब उन्होंने दिखवा लेने की बात कही है तो उन्होंने वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि अंत में ही जवाब हो लेकिन एक बार विभाग से विधिवत..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संकल्प वापस लीजिए । आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं न ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।
माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो इस गंभीरता को अवश्य समझेंगे कि सरकार हमेशा तैयार है । सरकार एवर अलर्ट है । आपने जो प्रश्न किया है उसको सरकार बिल्कुल देख रही है । चूंकि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, आपने लिखा है इसमें कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से और पर्यटकीय दृष्टिकोण से, दानों दृष्टिकोण देखने की बात आपने कही है । दोनों विभागों के समन्वय से ही यह हो सकता है और दोनों की राय ली जायेगी । कहीं भी पर्यटन स्थल विकसित होता है तो वहां पक्षी अभ्यारण्य, पक्षियों का आवागमन कैसा है, वहां का कलायन्मेंट कैसा है, वहां जल उपलब्धता कैसी है, इन तमाम चीजों का महोदय अध्ययन करना होता है । सरकार माननीय सदस्य की बातों को ध्यान में रखेगी और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं । बोलिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, हम जिस गोगाबिल झील की बात कटिहार स्थित मनिहारी प्रखंड के संदर्भ में कर रहे हैं । महोदय, पर्यावरण की दृष्टि से विकसित होने के बाद ही यह पर्यटकीय स्वरूप लेगा और इस गोगाबिल झील में सबसे अच्छी बात यह है कि 300 विभिन्न प्रजातियों के पक्षी हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में आते हैं । महोदय, एक इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय लोगों ने 143 एकड़ जमीन स्वयं दान की है इस अभ्यारण्य को विकसित करने के लिए । महोदय, हमलोग इतना ही चाहते हैं कि सरकार इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित करे । यहां विदेश के भी लोग जनवरी के महीने में आते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर बहुत समय गया । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं..

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, जो समय गया है वह राज्य के लिए गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, राज्य के लिए गया है । माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट आपको..

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्रीजी को विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है । इसलिए हम स्थानीय होने के नाते सिर्फ जानकारी दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, हम तो वापस लेंगे, यह तो प्रक्रिया का अंग है । महोदय, हम जानकारी दे रहे हैं, हम कोई प्रति प्रश्न नहीं कर रहे हैं पूरक के माध्यम से । महोदय, उसमें सरकारी जमीन मात्र 74 एकड़ है, 143 एकड़ दिया है और वसुधैव कुटुंबकम् की धारणा से जितने भी प्रवासी पक्षी आते हैं उसको एक बड़ा अभ्यारण्य स्थल के रूप में स्थानीय लोगों ने विकसित किया है । इसलिए महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना ही आग्रह है कि सरकार के लिए और राज्य के लिए वह एक अनूठा अभ्यारण्य है । सरकार उसको विकसित करे जिससे पर्यटकीय स्वरूप बेहतर ढंग से हो सके और मैं जानता हूं कि, माननीय मंत्रीजी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और निश्चित तौर पर हमने जो बातें कही हैं उसको वे करेंगे और इसी आलोक में मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ।

<u>क्रमांक-9 : श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिला के चिरैया प्रखंड के सरौगढ़ ग्राम पंचायत के अकौना सरौगढ़ ग्राम में सिकरहना नदी के बांध पर चिन्हित स्थान पर स्लूईस गेट का निर्माण करावे ।"

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत चिरैया प्रखंड के सरौगढ़ ग्राम सिकरहना नदी के बायें किनारे अवस्थित है । इसमें सरौगढ़ से पटजिलवा तक तीयर सिकरहना सिजुआ लूप 12 किलोमीटर तक लंबाई में तटबंध निर्मित है । इस तटबंध में कुल आठ अदद बिन्दुओं पर एंटी फ्लड स्लूईस निर्माण हेतु स्थान चिन्हित कर छूटा हुआ है जिसमें प्रश्नगत स्थल अकौना सरौगढ़ ग्राम भी सम्मिलित है । विभागीय पत्रांक- 1638, दिनांक- 28.03.2023 द्वारा उक्त स्थलों का निरीक्षण कर एंटी फ्लड स्लूईस निर्माण एवं अन्य कार्य के संदर्भ में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस बांध के बने हुए 20 साल हो गये हैं और वह जो छोड़ा गया है उसके चलते सैकड़ों गावों में पानी फैल जाता है । हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाती है इसलिए मंत्रीजी से आग्रह हैं कि कबतक उसको करा देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी ने आपको जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है । मैं आपसे चाहूंगा कि क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, इन्होंने स्थिति कहां स्पष्ट की है ?

अध्यक्ष : बिल्कुल, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है । उन्होंने पढ़ा, आपने सुना नहीं ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, यह तो बीस साल से चल रहा है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, वह तो लेंगे ही लेकिन मंत्रीजी हमको यह बता दें..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आप प्रस्ताव वापस लेंगे तो इतना समय क्यों लगा रहे हैं ?

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : नहीं महोदय, बहुत समय कहां ले रहे हैं । हम तो यह जानना चाहते हैं माननीय मंत्रीजी से कि यह बीस साल में नहीं बना तो कितने दिनों में बनेगा ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है । क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं लेकिन माननीय मंत्रीजी आश्वस्त करें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

क्रमांक-10 : श्री मोहम्मद अंजार नईमी, स0वि0स0

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलांतर्गत बहादूरगंज टेढ़ागाछ मुख्य सड़क का चौड़ीकरण करावे ।"

महोदय, यह पथ निर्माण विभाग का है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ट्रेजरी बैंक आसन को गाईड करेगा ? महोदय, ट्रेजरी बैंक आसन को गाईड करे और आसन देखे, यह सदन की गरिमा..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, कोई ट्रेजरी बैंक आसन को गाईड नहीं करता है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह आसन कमजोर नहीं है । आसन कहीं से गाईड नहीं होगा लेकिन कोई अगर बढ़िया सुझाव देना चाहते हैं तो उनको भी सुनना मेरा पुनीत कर्त्तव्य बनता है ।

टर्न-12/हेमन्त/31.03.2023

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ बहादुरगंज टेढ़ागाछ पथ की लम्बाई 28.50 किलोमीटर एवं चौड़ाई 3.05 मीटर है । पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य दिसम्बर, 2021 में पूर्ण किया गया । तकनीकी सम्भाव्यता, संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप चौड़ीकरण पर विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : महोदय, प्रतिदिन इसमें दुर्घटनाएं घटती रहती हैं । हम चाहेंगे कि इसको जल्द-से-जल्द करवाया जाय । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-11 : श्री आनन्द शंकर सिंह, स0वि0स0

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद विधान सभा अन्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के रजोई में पुलिस थाना का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला का ग्राम रजोई वर्तमान में मुफस्सिल थाना के अन्तर्गत आता है । रजोई पैतृक थाना मुफस्सिल से

पूर्व उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है । आवागमन हेतु पक्की सड़क एवं यातायात का साधन उपलब्ध है । मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अन्तर्गत रजोई एवं उसके आसपास के 12 गांवों में विगत पांच वर्षों में हत्या के दो एवं लूट का एक कांड प्रतिवेदित हुआ । उक्त अपराध आंकड़ों से स्पष्ट है कि रजोई में विधि-व्यवस्था नियंत्रण में है, क्षेत्र शांतिपूर्ण है । वर्तमान में रजोई में अलग से थाना खोलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लें ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, मुफस्सिल थाना का जो एरिया है वह कम-से-कम 25 किलोमीटर जी0टी0 रोड हाईवे से और लोगों को बहुत दिक्कत होती है । मैं रजोई में थाना खोलने की बात नहीं कर रहा हूं, उस थाने को दो पार्ट में करने की बात कर रहा हूं, जो कि 15-20 किलोमीटर से लोग आते हैं उनको दिक्कत न हो । देव का भी कुछ पार्ट है, औरंगाबाद का पूरा उसमें पार्ट है । तो बहुत लंबी दूरी पड़ती है ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री आनन्द शंकर सिंह : महोदय, मैं चाहता हूं कि उस पर विचार करें । रजोई में थाना खोलने की बात मैंने नहीं की । मुफस्सिल थाना को दो पार्ट में करने की बात की ।

अध्यक्ष : आप वापस ले रहे हैं ?

श्री आनन्द शंकर सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-12 : श्री राजेश कुमार सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-13 : श्री मोती लाल प्रसाद, स0वि0स0

श्री मोती लाल प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत बैरगनिया नगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बैरगनिया के चाहरदीवारी सह गेट का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैरगनिया का भवन नवनिर्मित है । राज्य के सभी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों में चहारदीवारी का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से कराया जाना है । इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैरगनिया की चाहरदीवारी के साथ गेट का निर्माण कार्य भी विहित प्रक्रियानुसार कराया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मोती लाल प्रसाद : महोदय, छः महीने पूर्व इसी सदन में मैं गैर सरकारी संकल्प लाया था, तो उस समय भी यही जवाब था कि विहित प्रक्रिया में कार्रवाई की जा रही है और आज भी वही जवाब है । तो हमको लगता है कि कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है । तो एक समय-सीमा बता दी जाय ताकि जनता को हम लोग बता सकें कि उस समय तक बन जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह गैर सरकारी संकल्प है । आपने अपने प्रस्ताव को पढ़ दिया ।

श्री मोती लाल प्रसाद : महोदय, थोड़ी स्थिति स्पष्ट कर दें ।

अध्यक्ष : आप वापस ले रहे हैं ?

श्री मोती लाल प्रसाद : महोदय, वापस तो लेना है ही, थोड़ी स्थिति स्पष्ट करवा दी जाय ।

अध्यक्ष : स्थिति स्पष्ट हो गयी है । आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मोती लाल प्रसाद : महोदय, इनकी विहित प्रक्रिया कब समाप्त होगी ?

अध्यक्ष : विहित प्रक्रिया की बात अलग है । आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मोती लाल प्रसाद : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-14 : श्रीमती रश्मि वर्मा, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-15 : श्री जय प्रकाश यादव, स0वि0स0

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अन्तर्गत नगर पंचायत में N-57 फोरलेन के पास एक आधुनिक बस स्टैण्ड का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नरपतगंज प्रखंड के अन्तर्गत पंचायत N-57 फोरलेन के पास आधुनिक बस स्टैण्ड निर्माण कराने का फिलहाल अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, नरपतगंज बड़ा बाजार है, फोरलेन पर है । एक तरफ थाना है, दूसरी तरफ ब्लॉक है और बीच में वहां से दरभंगा, पंजाब, दिल्ली हरियाणा के लिए बड़ी गाड़ियां खुलती हैं और सब फोरलेन पर खड़ी रहती हैं । महोदय, एक्सीडेंट हमेशा हुआ करता है, दुर्घटनाएं हमेशा हुआ करती हैं । तो एक

बस स्टैंड का विचार नहीं हो सरकार का, तो और क्या हो सकता है, रोज मरते रहेगा आदमी ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार ने अपनी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है, आपने सुन लिया है। क्या आप अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, सरकार विचार भी तो करे । भविष्य में ही बनायेंगे, लेकिन विचार तो करे ।

अध्यक्ष : कंडिशनल इसमें नहीं होता है । आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री जय प्रकाश यादव : चाहते तो नहीं हैं, लेकिन वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : चाहने में ही अच्छा है ।

श्री जय प्रकाश यादव : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-16 : श्री छत्रपति यादव, स0वि0स0</u>

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला-खगड़िया के बखरी बस स्टैंड एवं कमलपुर(मथुरापुर) पुराने टमटम पड़ाव के बीच रेल लाईन पर मानव रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कराने हेतु रेल मंत्रालय से सिफारिश करे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिलान्तर्गत बखरी बस स्टैंड एवं कमलपुर पुराने टमटम पड़ाव के बीच में आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु पूर्व-मध्य रेलवे हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर फिर एक पत्राचार करके इसको बनवाने के लिए कार्रवाई की जाय विभाग की तरफ से ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

<u>क्रमांक-17 : श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-18 : श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0</u>

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड के 37 पंचायतों से 14 पंचायतों को अलग कर मनिहारी को प्रखंड का दर्जा दिलावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आयुक्त प्रमंडल मुजफ्फरपुर द्वारा जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर से कुढ़नी प्रखंड के मनिहारी को नये प्रखंड का दर्जा दिये जाने संबंधी प्रस्ताव को अपनी अनुशंसा सहमति सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया है । आयुक्त प्रमंडल मुजफ्फरपुर से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रखंड सृजन संबंधी आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, कुढ़नी प्रखंड बिहार का सबसे बड़ा 37 पंचायत का प्रखंड है। सरकार की जनकल्याणकारी योजना जन-जन तक नहीं पहुंच पाती है । यहां तक कि हरिशंकर पंचायत, कुढ़नी प्रखंड के सबसे पूर्वारी ओर पर है । वहां से लगभग 20 किलोमीटर प्रखंड में आने के लिए जनता को काफी कठिनाई होती है और इस तरह से लगभग 14 पंचायत के लोगों को परेशानी होती है ।

टर्न-13/धिरेन्द्र/31.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लेना ही है, अगर सरकार हमको यह कह दे चूँकि वर्ष 2015 से हम विधायक हैं तब से हमेशा गैर-सरकारी संकल्प ला रहे हैं और सरकार का यही प्रस्ताव...

अध्यक्ष : यह एक प्रक्रिया है । आप वापस लेना चाहते हैं ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, मंत्री जी आश्वासन दे दें कि जल्द करा देंगे तो हम वापस ले लेते हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी को जो जवाब देना था उन्होंने दे दिया । आप संकल्प वापस लेना चाहते हैं?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : ठीक है । हुजूर का आदेश है तो हम वापस ले लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-19 : श्री शम्भुनाथ यादव, स॰वि॰स॰</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-20 : श्री हरिनारायण सिंह, स॰वि॰स॰</u>

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल आर॰डब्ल्यू॰डी॰ हरनौत के नगरनौसा प्रखंड के

चण्डी-दनियावाँ एन॰एच॰-30 ए के रामघाट से ग्राम बोधी बिगहा होते रामपुर पथ जिर्णोद्धार करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ का निर्माण शीर्ष पी॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ अंतर्गत एन॰एच॰-30 ए चण्डी-दनियावाँ पथ से रामपुर नाम से करवाया गया था जिसकी लंबाई 2.590 किलोमीटर है । सम्प्रति पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है जिसकी मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरिनारायण सिंह ।

श्री हरिनारायण सिंह : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-21 : श्री विनोद नारायण झा, स॰वि॰स॰

श्री विनोद नारायण झा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड अन्तर्गत परौल से एकतारा वाया महाराजपुर पथ एवं विशुनपुर से बररी पथ को पक्कीकरण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ दो पथों से संबंधित है । परौल से एकतारा वाया महाराजपुर पथ, इस पथ की लंबाई 3.60 किलोमीटर है जिसका सर्वे छूटे हुए बसावट के अंतर्गत मोबाईल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आई॰डी॰-23761 है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

विशुनपुर से बररी पथ, इस पथ की लंबाई 2.17 किलोमीटर है जिसका सर्वे छूटे हुए बसावट अंतर्गत मोबाईल ऐप से किया गया है, जिसका सर्वे आई॰डी॰-26219 है । तद्नुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा ।

श्री विनोद नारायण झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दो पथ हैं, बहुत सारे पथ बने हैं, सरकार का दावा सारे पथों को बना लेने की भी है लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि एक ही पंचायत में, एकतारा और परौल पथ है एकतारा पंचायत में लेकिन बरसात के महीने

में वहाँ जाने में 10 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है, बीच में एक नहर है पथ नहीं बना, पुल नहीं बना और दूसरा जो विशुनपुर से बररी पथ है, इस पर हाईस्कूल भी है और इस पर एक धार्मिक स्थल भी है लेकिन अभी तक सरकार की ओर से यह बार-बार जवाब आता है, इस बार तो थोड़ा पॉजिटिव जवाब आया है कि सर्वेक्षण कराया जा रहा है । पहले इसका जवाब आता था, मैं मंत्री भी रहा हूँ, उस समय में भी सरकार कहती थी कि इस गाँव की संपर्कता हो चुकी है लेकिन स्कूल की ही संपर्कता नहीं हुई है तो मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार आप कृपया बैठाये नहीं, मंत्री जी को उठाये कि एक बार कहें कि वे इस पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे और शीघ्र तो हेत-हेत मजबूत है, जितना दिन है वे ले सकते हैं लेकिन इन्होंने जो जवाब दिया वह जवाब बहुत लंबा है । इसलिए मैं निवेदन करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति है सभी छूटे हुए बसावट को सड़क निर्माण करना है और जो छूटे हुए बसावट हैं उसको सरकार मोबाईल ऐप से कोट कर, सर्वे कर और यहाँ पर सबमिट हो जाता है । महोदय, जैसे ही निधि की उपलब्धता हो जायेगी तो इनका ही नहीं, पूरे बिहार में जितने भी छूटे हुए बसावट हैं, सभी सड़कों का निर्माण कराना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री विनोद नारायण झा : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-22 : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, स॰वि॰स॰</u>

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, मुझे अधिकृत किया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, पढ़िये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जंक्शन तथा हाजीपुर जंक्शन से वनस्थली विद्यापीठ (बालिका आवासीय विद्यालय) राजस्थान के निकटस्थ रेलवे स्टेशन वनस्थली निवाई तक परिचालित एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जंक्शन तथा हाजीपुर जंक्शन से वनस्थली विद्यापीठ (बालिका आवासीय विद्यालय) राजस्थान के निकटस्थ रेलवे स्टेशन वनस्थली निवाई तक परिचालित एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-2001,

दिनांक-23.03.2023 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

जिस माननीय सदस्य का संकल्प होगा, उन्हीं को अपना संकल्प पढ़ना चाहिए । मैं समझता हूँ कि संकल्प पढ़ने के लिए दूसरे को ऑथराईज नहीं किया जाता है ।

क्रमांक-23 : श्री मिश्री लाल यादव, स॰वि॰स॰

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के अलीनगर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तारडीह प्रखंड के ठेंगहा पंचायत के ग्राम-भेड़िया राही के कमला नदी में पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल देवनावन, मुसहरी से भेड़िया राही पथ अवस्थित है । उक्त पथ-सह-पुल निर्माण हेतु डी॰पी॰आर॰ एम॰एम॰जी॰एस॰वाई॰-एन॰डी॰बी॰ के अंतर्गत तैयार किया गया है, जिसकी तकनीकी समीक्षा की जा रही है । तद्नुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, सरकार का उत्तर सकारात्मक है लेकिन सरकार इस सदन में...

अध्यक्ष : अब इसमें लेकिन शब्द नहीं जोड़िये ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, कई बार से जवाब दे रही है कि इस पुल को बनाने की ओर प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है । महोदय, तो यह कब तक पुल बना देंगे ? आपका संरक्षण भी चाहेंगे । उस सदन में भी और इस सदन में भी मैंने बराबर इस सवाल को रखा है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपके गैर-सरकारी संकल्प पर, सरकार ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है तो मैं माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव जी से चाहूँगा कि क्या आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, यह तो प्रक्रिया है लेकिन वे जो भेड़िया राही पुल...

अध्यक्ष : आप जब प्रक्रिया जान ही रहे हैं तो इसमें ज्यादा विलम्ब करने की क्या जरूरत है।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, प्रत्येक साल 5-10 लोग डूब कर मर जाते हैं, लोग लाख-लाख रुपया चँदा ले कर चचरी बनाते हैं लेकिन आजादी के बाद से वह पुल आज तक बन नहीं पाया है ।

अध्यक्ष : आपने गैर-सरकारी संकल्प को पढ़ दिया । अब, क्या आप अपना गैर-सरकारी संकल्प वापस लेना चाहते हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । मंत्री जी को और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

अध्यक्ष : पूरा का पूरा संरक्षण है । आप अपना गैर-सरकारी संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, लेना तो है ही । आपका संरक्षण चाहिए, इसमें सरकार को और स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए ।

अध्यक्ष : सरकार तो स्थिति स्पष्ट कर ही दी है ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, थोड़ा सहयोग चाहिए...

अध्यक्ष : पूरा स्पष्ट कर दी है । आप आपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, आप पर तो बहुत उम्मीद है...

अध्यक्ष : मैं कह रहा हूँ कि आप अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, कब तक बना देंगे ?

अध्यक्ष : कब तक नहीं, जब तक सरकार...

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, मुझे पता है कि डी॰पी॰आर॰ भी तैयार हो गया है, प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे चल रही है, सरकार कुछ और प्रयास करे कि जल्द बन जाये ।

अध्यक्ष : उसके लिये की गई प्रक्रिया के संबंध में सरकार ने आपको बतला दिया है । इसलिए आप अपना संकल्प वापस लीजिये ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, भेड़िया राही पुल चर्चित पुल है, आपसे उम्मीद है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-14/संगीता/31.03.2023

क्रमांक-24 : श्रीमती अरूणा देवी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-25 : श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल', स0वि0स0

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी प्रखंड के विद्यापति जन्म स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में विद्यापति जन्म स्थली विस्फी के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 46.80 लाख रुपये की राशि पब्लिक कन्वेंशन घाट का विकास, लाइब्रेरी का रेनोवेशन, साईट का विकास इत्यादि कार्य किया गया है । साथ ही उक्त स्थल पर पर्यटकीय सुविधा मुहैया कराने हेतु जिला पदाधिकारी, मधुबनी से उक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में पूरी विवरणी, नक्शा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, निर्माणोपरान्त रख-रखाव, व्यवस्था सहित अन्य स्पष्ट मंतव्य के साथ विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त पर्यटकों की सुविधा हेतु पर्यटकीय मापदंडों तथा पर्यटकों की संख्या, पर्यटकीय विकास की संभावनाएं एवं निधि की उपलब्धता आदि के आलोक में अग्रेषित निर्णय लिया जाएगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री हरिभूषण ठाकुर 'बचोल' : अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि धार्मिक पर्यटक और पर्यटक में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं और विद्यापति जी की वह जन्मस्थली है, मंत्री जी उसको विकसित करवा दें । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-26 : श्री राम सिंह, स0वि0स0

श्री राम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बगहा से बिहार की राजधानी पटना तक सीधी ट्रेन की परिचालन कराने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बगहा से पटना तक की सीधी ट्रेन परिचालन हेतु पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है ।

श्री राम सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो स्वीकृत हो गया है ।

अध्यक्ष : हां, वह तो हो ही गया ।

श्री राम सिंह : महोदय, यह स्वीकृत हो गया तो कहिए कि स्वीकृत हो गया, धन्यवाद है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने स्वयं कहा, आप सुन ही लिए । माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-27 : श्री जनक सिंह, स0वि0स0

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के अनाथ बच्चे-बच्चियों को गोद लेकर भरण-पोषण एवं पठन-पाठन की व्यवस्था करने हेतु नीति का गठन करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य के अनाथ, परित्यक्त, अभियर्थित बच्चे-बच्चियों को संबंधित जिला के बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बाल देख-रेख संस्थानों में आवासित कराया जाता है । इन बच्चों को किशोर न्याय, बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित 2021) बिहार किशोर न्याय बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण नियमावली, 2017 एवं दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के आलोक में दत्तक ग्रहण हेतु इच्छुक माता-पिता को गोद दिए जाने की प्रक्रिया की जाती है । यह नीति जो माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किए हैं वह पहले से बिहार सरकार के द्वारा की गई है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो उत्तर आया है लेकिन हम सब जब बाहर निकलते हैं गांव-गलियारा, खेत-खलिहान, विद्यालय तो वहां हम सब देखते हैं कि अनाथ बच्चे ऐसे ही पड़े हुए हैं और मुझे 1981 की एक फिल्म याद आती है लावारिस, जिसके डायरेक्टर प्रकाश मेहरा थे और उसमें गीत किशोर कुमार जी ने गाये थे और नायक थे हमारे श्रद्धेय अमिताभ बच्चन जी और उसमें यही कहा गया था कि- एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाकर दिल ने माना, माना वह बात सही थी जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारों, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारों, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यारों...

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री जनक सिंह : सर, हम तो वापस ले लेंगे लेकिन आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि आप इस सदन में श्रद्धेय लोहिया जी के भी हमारे सभी अनुयायी हैं और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी के भी अनुयायी हैं और हमारे साम्यवाद के भी अनुयायी हैं और तीनों ने यही कहा था कि गरीबों के हित में हमें सोचना चाहिए इसलिए सरकार, आपके माध्यम से हम यह जानना चाहते हैं कि राज्य के अंदर जो हमारे अनाथ बच्चे हैं, आप इसी शहर में निकलिए और चले जाइए जो केनाल है और देखिए उस केनाल के सामने...

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री जनक सिंह : किस तरह से पड़े हुए हैं । महोदय, मैं तो...

अध्यक्ष : आपने खुदा को भी याद कर लिया अब क्या बाकी है ...

श्री जनक सिंह : लेकिन सरकार गरीबों के हित में कुछ करना नहीं चाहती है, कहना नहीं चाहती है...

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : हां महोदय, हम कुछ कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : कहिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उनका तो मात्र इतना ही प्रस्ताव था कि सरकार जो है बच्चों को गोद लेने की नीति बनावे, ऑलरेडी सरकार इसकी नीति बनायी हुई है और ये जिस जमाने के गाने की बात कह रहे हैं ये नीतीश सरकार की राज है न, इसमें कोई अनाथ अगर इनको नजर आता है तो उसको हमलोग गोद लेने के लिए, पालन-पोषण के लिए तैयार हैं ।

श्री जनक सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, सरकार के जवाब से और सरकार की कार्रवाई से श्री जनक सिंह इतने प्रसन्न हो गए कि वे खुदा को भी याद कर दिए । अब सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-28 : श्री रत्नेश सादा, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-29 : प्रो0 विनय कुमार चौधरी, स0वि0स0</u>

प्रो0 विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला के बेनीपुर विधान सभा क्षेत्र का भू-भाग जलजमाव से प्रभावित जिससे

किसानों की जमीन से जलजमाव समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के बेनीपुर विधान सभा के अन्तर्गत दो अदद प्रखंडों यथा- बेनीपुर एवं बहेरी अंतर्गत चौरों में अतिवृष्टि होने पर जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है । बाढ़ अवधि के दौरान कुछ चौरों से पानी स्वत: निकल जाता है एवं शेष चौरों के निचले भू-भागों में जल-जमाव की स्थिति उत्पन्न रहती है जो काफी पुराने एवं प्राकृतिक चौर हैं । वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दरभंगा कमिश्नरी में, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला में बाढ़ जल-जमाव एवं सिंचाई हेतु इन्टीग्रेटेड प्रबंध योजना की तैयारी की जा रही है । उक्त हेतु ई0ई0ओ0आई0बी0 हो गया है और मई से यह काम शुरू हो जाएगा और प्रश्नगत क्षेत्र में जल-जमाव से समाधान के लिए भारत सरकार को भेजे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, तो हमलोग बजट में भी कहे थे कि हमलोग तो लगातार सिल्ट पॉलिसी बने माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री जी दोनों गए थे कलकत्ता में, वहां भी बात उठी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को उठाते रहे हैं लेकिन भारत सरकार ने अभी तक कोई फाइनल कोई सिल्ट पॉलिसी नहीं बनाया है लेकिन तब तक तो हमलोग बैठ नहीं सकते हैं तो उसका स्टडी करा रहे हैं और उसका फिर चौर पॉलिसी ला रहे हैं उसी में से उसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य चौधरी जी, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट...

प्रो0 विनय कुमार चौधरी : एक मिनट सर, एक मिनट । यहां पर सर 25 चौर है, हम लिखकर लाए हुए हैं 25 चौर हमारे यहां है और ये सिर्फ हमारे यहां ही नहीं, महोदय के विधान सभा क्षेत्र में भी कई चौर होंगे इसीलिए बिहार सरकार से इस काम के लिए हमको नहीं कहना है इसपर केंद्र सरकार नीति बनावे, यह प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र को भेजे और वह इसकी नीति बनावे इसलिए महोदय से आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र को भी ध्यान में रखकर इसको अस्वीकृत करके केंद्र को यह प्रस्ताव भेजने का प्रयास कीजिए ।

टर्न-15/सुरज/31.03.2023

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : केन्द्र में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने कहा आज तक तो हमलोग कोई ऐसा प्रस्ताव भेजे नहीं । सिल्ट पॉलिसी को लेकर

के 2016 से जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली में भी और पटना में भी दोनों जगह इस पर सेमिनार हुआ । सिल्ट पॉलिसी बने इसकी बात हुई और लगातार हमलोग लिखते रहें कि जहां-जहां जल जमाव है, सिल्ट है उसको निकालने के लिये और उसके बाद से कितना पत्र, कितनी बार हमलोग जाते रहें, इस बात को 7 साल हो गया । जल शक्ति मंत्रालय ने हमलोगों से ओपेनियन भी मांगा था, वह भी बिहार सरकार ने भेज दिया । अभी तक भारत सरकार ऑलरेडी हमलोगों का है उनके पास अभी तक कोई पॉलिसी लेकर नहीं आयी है और चौर के लिये मैंने कहा था कि चौर में कुछ प्राकृतिक चौर है उसको तो हमलोग कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ जो चौर का डेवलपमेंट हुआ, रोड बन गया, ब्रिज बन गया, उसकी वजह से बहुत जगह जल-जमाव हो गया है । ऐसी जगह के लिये हमलोग चौर पॉलिसी ला रहे हैं कि कैसे उसका पानी का निकास किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

प्रो. विनय कुमार चौधरी : महोदय, हम सिल्ट की बात नहीं कर रहे हैं...

अध्यक्ष : राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर से...

प्रो. विनय कुमार चौधरी : महोदय, जल-जमाव की बात है और राज्य सरकार से तो हम कुछ मांग ही नहीं कर रहे हैं । यह तो सिर्फ केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजना है इसलिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, नहीं तारकिशोर बाबू, चौधरी जी को जो आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है । उनको पूरा राज्य सरकार पर भरोसा है ।

प्रो. विनय कुमार चौधरी : पूरा भरोसा है राज्य सरकार पर । यह बहुत बड़ा चौर है....

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

प्रो. विनय कुमार चौधरी : तारकिशोर बाबू आपके क्षेत्र में भी है । यह सब क्षेत्र में है, यह बहुपरियोजना है इसलिये यह केन्द्र सरकार के पास जाये । आपके यहां भी है, आपसे आग्रह है कि इसको स्वीकृत करके केन्द्र को भेजें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जो कहा उसके आधार पर आप अपने प्रस्ताव को वापस लीजिये।

प्रो. विनय कुमार चौधरी : महोदय, आपका आदेश होगा तो वापस लेंगे ही लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि इसको केन्द्र को...

अध्यक्ष : पूरा सदन और सरकार गंभीरता से आपकी बात को सुन लिया है इसलिये मेरा कहना है कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

प्रो. विनय कुमार चौधरी : महोदय, हम आपके आदेश का अनुपालन हंड्रेड परसेंट करेंगे लेकिन मेरा आग्रह है कि आप अपने...

अध्यक्ष : आपकी सारी बातें जो आपने कही है वह प्रोसीडिंग में आ गयी है इसलिये प्रस्ताव वापस लीजिये ।

प्रो. विनय कुमार चौधरी : महोदय, आप अपने क्षेत्र को देखते हुये भी निर्णय लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-30 : श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0

श्री गोपाल रविदास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत बैरिया (सम्पतचक) बस स्टैंड से अनिशाबाद भाया-फलवारी शरीफ होते हुये जानीपुर-अकबरपुर तक आने-जाने के लिये बस की सुविधा प्रदान करावे ।''

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन मुख्य बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पत्रांक-1061, दिनांक-23.03.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि आप महबूब नहीं हैं, इनके मुंह से सुना था कि आप पूरे सदन के महबूब हैं आपको ये कितना मानते हैं ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : पटना नगर बस सेवा अंतर्गत गांधी मैदान से एम्स भाया फुलवारी शरीफ मार्ग पर प्रतिदिन 20 बसों का फेरों में संचालन किया जा रहा है । पटना साहिब भाया धनकी मोड़ राजेन्द्र नगर टर्मिनल पटना, जंक्शन, गांधी मैदान तक आने-जाने वाले यात्रियों को कनेक्टिंग परिवहन सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है । प्रस्तावित मार्ग अधिसूचित नहीं है । मार्ग अधिसूचित होने के उपरांत निगम के द्वारा बैरिया बस स्टैंड से अनिशाबाद भाया-फुलवारी शरीफ होते हुये जानीपुर-अकबरपुर तक सीधी बस सेवा प्रारंभ करने की कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, पटना से अनिशाबाद तक की रूट जाती है । फुलवारी की अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान है और वहां लाखों दर्शन करने के लिये सूफी संत आते हैं और मात्र अनिशाबाद से अकबरपुर तक जाना है...

अध्यक्ष : ठीक है प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, आपकी कृपा और संरक्षण होता । एक बस ही तो देना है कहां ज्यादा देना है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-31 : श्रीमती वीणा सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-32 : श्री बागी कुमार वर्मा, स0वि0स0

श्री बागी कुमार वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिला के करपी प्रखंड अंतर्गत ग्राम जोन्हा एवं देवकली के बीच नाला में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण, नाबार्ड योजना से करावे ।"

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम जोन्हा को सम्पर्कता देने हेतु हैबिटेशन एप से सर्वे किया गया है जिसका सर्वे आई0डी0-30991 है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेसित कार्रवाई की जा सकेगी । ग्राम देवकली में जी0टी0एस0एन0वाई0 अंतर्गत निर्मित देवकली से भदासी खेदरूबिगहा पथ से संपर्कता प्राप्त है । ग्राम जोन्हा के देवकली के बीच में एलिजमेंट में कोई नाला अवस्थित नहीं रहने के कारण इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री बागी कुमार वर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-33 : श्री कुमार शैलेन्द्र, स0वि0स0

श्री कुमार शैलेन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखंड के थाना बिहपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेलवे स्टेशन केबिन से अरसंडी, लत्तीपुर चौक, निरंजन नगर होते हुये जाह्नवी चौक, बरारी घाट के रेल लाईन पर रेल का परिचालन बंद होने के कारण अटल पथ, पटना की भांति सड़क का निर्माण करावे ।"

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल पर सड़क निर्माण तकनीकी सम्यता प्राप्त कर समीक्षोपरांत अग्रेसित कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, ये रेलवे की जमीन है और एक छोर पर वीरपुर बिहपुर एन0एच0 106 जो कोसी नदी पर पुल बन रहा है और दूसरे छोर विक्रमशीला सेतु पर प्रस्तावित अपना एक सेतु बनने वाला है और यह अगर बन जाता है अटल पथ की तरह तो जो रोज दुर्घटना हो रही है । महोदय, हमारे अजीत शर्मा जी भी यहां बैठे हुये हैं उस जमीन का अवैध कब्जा हो रहा है और अटल पथ की तरह अगर बाईपास बन जाता है तो उस क्षेत्र के लिये दोनों एन0एच0 से जुड़ जायेगा और ये

बिल्कुल अवैध कब्जा हो रहा है इसलिये हम माननीय मंत्री महोदय से चाहते हैं कि इसको भारत सरकार को कम से कम अनुशंसा कर दें, जिसके लिये यहां अधिग्रहण किया गया है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, हमने उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि तकनीकी सम्यता प्राप्त कर समीक्षोपरांत अग्रेसित कार्रवाई हम करेंगे । माननीय सदस्य से आग्रह है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, आपका संरक्षण चाहते हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । महोदय, तब तक जो अवैध कब्जा हो रहा है बिहार सरकार के अधीन है । तब तक उस अवैध कब्जा को हटवाने का आश्वासन दें । मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं कि संकल्प वापस ले लूंगा । महोदय, संकल्प वापस लेना ही है, आपका सम्मान करना...

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, एक बार तो कम से कम...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है और मैंने कहा कि शर्त के आधार पर कोई कार्रवाई गैर सरकारी संकल्प में नहीं होती रही है न, आज होगा इसलिये आपसे कहेंगे कि आप अपना संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : ठीक है महोदय, आपकी संख्या बल है, आप दबाब में कहेंगे...

अध्यक्ष : संख्या बल का यहां सवाल नहीं है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार ।

इसमें प्राधिकृत करने की कोई व्यवस्था नहीं है जनक बाबू । अच्छा पढ़ लीजिये, पढ़िये ।

<u>क्रमांक-34 : श्री प्रेम कुमार, स0वि0स0</u>

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं गया के माननीय विधायक श्री प्रेम कुमार जी का गैर सरकारी संकल्प है ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया नगर निगम क्षेत्र में जाम की समस्या से निजात हेतु गया बोधगया रोड में घुघड़ीटाड़ के पास एवं सिकारिया मोड़ से रामपुर होते हुये गया रेलवे स्टेशन तक फ्लाई ओवर ब्रीज का निर्माण करावे ।''

टर्न-16/राहुल/31.03.2023

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलांतर्गत घुघड़ीटाड़ के पास एन0एच0-82 पर फोरलेन गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ पथ निर्माण कार्य प्रगति पर है । गया-बोधगया पथ अंतर्गत घुघड़ीटाड़ से बोध गया फोरलेन निर्माण हेतु तकनीकी संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा । सिकारिया मोड़ से रामपुर-गया रेलवे स्टेशन बाद में सिकरिया मोड़ से काशीनाथ मोड़ एन0एच0-83 की लेफ्ट ऑवर पोजिशन जिसका सी0आर0आई0एफ0 मद के तहत फोरलेन निर्माण हेतु एकरारनामा की कार्रवाई की जा चुकी है । निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा । फोरलेन के निर्माण के पश्चात् जाम की समस्या से निजात मिल जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिये हो गया ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न के फ्लाई ओवर ब्रिज की जो बात कह रहे हैं वहां जाम लगा रहता है और जिस तरह से रक्त के एकत्रीकरण से रक्ताचाप होता है, अर्थ के एकत्रीकरण से अर्थाचाप होता है उसी तरह से प्रतिदिन जाम जो लग रहा है जिसके चलते प्रतिदिन दुर्घटनाएं घट रही हैं वहां पर इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह जांच करा लें अगर वहां प्रतिदिन जाम रहता है तो वैसी स्थिति में सरकार...

अध्यक्ष : सरकार ने वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है । इसलिए सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

आप स्थान ग्रहण करिये । प्रेम कुमार जी का गैर सरकारी संकल्प था । अब आप स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय सदस्य श्री युसुफ सलाहउद्दीन ।

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, बार-बार भाई वीरेन्द्र बोल रहे हैं उनको मना कीजिये ।

अध्यक्ष : आप बैठिये न, भाई वीरेन्द्र से आपकी बात होती रहती है हम देखते हैं । बैठिये-बैठिये । श्री युसुफ सलाहउद्दीन । दोनों खूब बतियाते हैं आप लोग ।

(व्यवधान)

नहीं, युसुफ सलाहउद्दीन साहब अपना गैर सरकारी संकल्प पढ़ रहे हैं ।

क्रमांक-35 : श्री युसुफ सलाहउद्दीन, स0वि0स0

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर जनहित में वैशाली एक्सप्रेस (12553/12554) का ठहराव किये जाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस (12553/12554) का ठहराव किये जाने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में विभागीय पत्रांक-2116, दिनांक-27.03.2023 द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु महाप्रबंधक, पूर्व-मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

क्रमांक-36 : श्रीमती संगीता कुमारी, स0वि0स0

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

क्रमांक-37 : श्री देवेश कांत सिंह, स0वि0स0

श्री पवन कुमार जायसवाल : अधिकृत हैं अध्यक्ष महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आगे से नियम बदला जायेगा तो कोई दिक्कत नहीं है । आप तो गार्जियन हैं, चल रहा है तो क्यों...

अध्यक्ष : श्री पवन कुमार जायसवाल ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सिकरहना अन्तर्गत बलुआ-लालाटोला लौखान के बीच एवं खजुरी बखरी से बड़हरवा सिसहनी रोड के बीच आर0सी0सी0 पुल निर्माण की स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य

प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा मुख्य अभियंता-3 को पत्रांक-909, दिनांक-20.09.2022 के आलोक में उक्त पुलों का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, अभिस्ताव दो पुलों के निर्माण से संबंधित है । बलुआ-लालाटोला लौखान के बीच पुल निर्माण, अभिस्तावित पुल स्थल पर 4058 मीटर लंबाई के उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु राज्य योजना अन्तर्गत डी0पी0आर0 प्राप्त हो गया है । खजुरी बखरी से बड़हरवा सिसहनी रोड के बीच पुल निर्माण, पुल स्थल पर 36.01 मीटर लंबाई उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु राज्य सरकार योजनान्तर्गत डी0पी0आर0 प्राप्त हो गया है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबा विषय नहीं है इसका ऑलरेडी वर्ष 2013 में टेंडर हुआ था, राशि भी पहले की होगी तो हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि टेंडर पहले हुआ था किसी कारणवश 7-8 साल विलंब हो गया । माननीय मंत्री जी वित्तीय वर्ष 2023-24 में ही इसको अगर करा देंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों के गार्जियन हैं और सब लोग आपकी बात मानते हैं तो हम कैसे नहीं मानेंगे लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि वापस नहीं लेंगे तब क्या होगा ?

अध्यक्ष : तब वही होगा कि यह प्रस्ताव फिर किसी काम का नहीं रह जायेगा ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके आश्वासन पर हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-38 : डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-39 : श्री सतीश कुमार, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-40 : श्री दामोदर रावत, स0वि0स0

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 333 पर अवस्थित गिद्धौर बाजार में अक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति से निजात दिलाने हेतु एक बाईपास सड़क का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-333 के किलोमीटर 74 पर गिद्धौर बाजार अवस्थित है, एन0एच0-333 के 62.00 किलोमीटर से किलोमीटर 75.00 तक का पथांश 2 लेन है । गिद्धौर बाजार में घनी आबादी एवं बाजार होने के कारण कभी-कभी जाम की समस्या उत्पन्न होती है । राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-333 के किलोमीटर 00 से किलोमीटर 115 तक पथांश में चौड़ीकरण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए कंसलटेंट, परामर्शी चयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परामर्शी के प्रतिवेदन के आधार पर गिद्धौर बाजार में चौड़ीकरण, बाईपास निर्माण का विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लें ।

श्री दामोदर रावत : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के आलोक में मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-41 : श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बाजपट्टी प्रखंड के बाजपट्टी टॉवर चौक से कुम्भा जाने वाले पथ में शिकाऊ नदी पर बने संकीर्ण एवं जर्जर पुल जगह में नया पुल निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, पुल से संबंधित है इसीलिए आर0सी0डी0 को ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिलांतर्गत प्रश्नगत पथ रसलपुर बाजपट्टी गाड़ा पथ के 20वें किलोमीटर में अवस्थित शिकाऊ नदी पर बने पुल के स्थान पर नये उच्च स्तरीय आर0सी0पी0 पुल का निर्माण तकनीकी संविदा संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

टर्न-17/मुकुल/31.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से आग्रह करते हुए अपना संकल्प वापस लेता हूं कि ये शीघ्र करवा दें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-42 : श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0</u>

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसलिए माननीय सदस्य शर्मा जी से कहता हूं कि ये प्रस्ताव वापस ले लें इसका दो कारण है । एक तो इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ही नहीं और वह इसलिए नहीं है कि राज्यकर्मियों की ही मांग पर उनकी सेवा शर्तें केन्द्रीय कर्मियों की तरह लागू की गई हैं और केन्द्र में भी सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष है इसलिए उसी हिसाब से यहां 60 वर्ष है । इसलिए जब बढ़ेगा तो देखा जायेगा, अभी तो आप बहुत ही संवेदनशील सदस्य हैं इसको वापस ले लीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि भारत सरकार के जनगणना विभाग से जो जीवन सारणी 2016-20 के अक्टूबर, 2022 में जारी की गयी है उसके अनुसार औसत आयु 70 वर्ष हो गयी है जबकि वर्ष 2006-2010 में 66 वर्ष थी । राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु वर्ष 2005 में 60 वर्ष निर्धारित की गयी है इसलिए औसत आयु में 4 वर्ष की बढ़ोतरी को देखते हुए इसे 62 वर्ष किया जाय यह मेरी मांग है और हम इसको वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-43 : श्री दिलीप राय, स0वि0स0

श्री दिलीप राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी प्रखंड के हरदिया पंचायत के रामपुर घाट पर नदी में पुल बनवावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के एलिजमेंट पर नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित बसावट रामपुर, एस.एच. -52 ऊपरी कमतौल पथ से एक दूसरे तरफ अवस्थित बसावटों तथा बाजीदपुर-रामनगर यादव टोला, रामपुर रविदास टोला को शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्माणाधीन रामपुर-बाजीदपुर पथ से संपर्कता प्राप्त हो जायेगी । सम्प्रति पुल स्थल के एक तरफ के बसावट को एकल सम्पर्कता प्राप्त है, दूसरी तरफ बसावट को निर्माणाधीन पथ से सम्पर्कता प्राप्त हो जायेगी । अत: प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री दिलीप राय : अध्यक्ष महोदय, जी वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-44 : श्रीमती वीणा भारती, स0वि0स0

श्रीमती वीणा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज प्रखंड के कोरिया पट्टी पूरब एवं कोरिया पट्टी पश्चिम पंचायत से जादिया होते हुए मधेपुरा जिला के वीर बांध सीमा तक 4 किलोमीटर सुरसर नदी के दोनों ओर सुरक्षात्मक बांध का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सुरसर नदी पर कोई भी बांध निर्मित नहीं है । उल्लेखनीय है कि पूर्वी कोसी कमान क्षेत्र के धारों के पुनर्स्थापन कार्य के अंतर्गत सुरसर धार एवं उनसे संबंधित लिंक ड्रेनों के साथ इनटिग्रेटेड स्कीम तैयार करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है । एक बार

वह आ जायेगा तो फिर हमलोग इस पर आगे विचार करेंगे । इसलिए माननीय सदस्या से आग्रह है कि ये अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्रीमती वीणा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरसर नदी से हमारे विधान सभा क्षेत्र में 4 किलोमीटर तक बस्ती बरसात में पानी फैलने से तबाह हो जाती है । किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है । इसलिए मैं अपने...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने अपने संकल्प में दिया है, इसलिए आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्रीमती वीणा भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, मैं पूरे सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि आज गैर सरकारी संकल्प की संख्या 152 है और आप चाहते होंगे कि आपका गैर सरकारी संकल्प आप पढ़ सकें और सरकार उस पर कुछ जवाब दे सके । अगर एक ही गैर सरकारी संकल्प पर ज्यादा समय जाया कीजिएगा तो मैं समझता हूं कि दिक्कत हो जायेगी । इसलिए संकल्प को पढ़िए और पढ़ने के बाद से सरकार अगर कुछ कह देती है तो निश्चित रूप से प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम पूरक सूचना देना चाहते हैं कि अभी जो इसके निष्पादन की गति है, जिस गति से हमलोग चल रहे हैं समय देखा जाय तो करीब पौने 8, 8 बजे तक चलने की उम्मीद है । इसलिए सरकार भी आसन और सदस्यों की अनुगृहित होगी, अगर आपने जो कहा है उस पर हमलोग थोड़ी गंभीरता से अमल करें ।

अध्यक्ष : इसलिए सदन के जो माननीय सदस्यगण हैं उनको मैंने कहा और जानकारी भी दी कि इस पर थोड़ा विशेष समय न गंवाया जाय । मैं समझता हूं कि जो बातें हुई हैं उस पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जायेगा ।

<u>क्रमांक-45 : श्री मो0 नेहालउद्दीन, स0वि0स0</u>

श्री मो0 नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला औरंगाबाद में रफीगंज विधान सभा के रफीगंज रोड से तेतरिया तक पक्की सड़क का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रफीगंज रोड से चेब इस पथ की कुल लम्बाई 5.30 किलोमीटर है जिसकी मरम्मति बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के अंतर्गत कराया गया है, सम्प्रति पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । तेतरिया मोड़ से तेतरिया इस पथ का निर्माण पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत रफीगंज रोड से तेतरिया पथ के नाम से कराया गया था । सम्प्रति पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है जिसकी मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के अंतर्गत प्राप्त है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेसित कार्रवाई की जा सकेगी । वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मो0 नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इस पथ की लम्बाई 5.30 किलोमीटर है, एक्चुअली यह 7 किलोमीटर का पथ है । 7 किलोमीटर का रोड उसमें जोड़ते हुए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मो0 नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं, इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-46 : श्री विनय कुमार, स0वि0स0</u>

श्री विनय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के गुरारू प्रखंड अन्तर्गत गुरारू बाजार स्थित सूर्य मंदिर से बन्दौला होते हुए मंझार तक (लगभग-14 कि0मी0) सड़क का जीर्णोद्धार करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ पूर्व से पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित है जिसकी लम्बाई 12.30 किलोमीटर है । अभिस्तावित पथ की मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेसित कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संकल्प को वापस ले लूंगा लेकिन मेरा कहना है कि वह 12 किलोमीटर इतनी जर्जर स्थिति में है कि एक-एक फीट का गड्ढा है उसको प्राथमिकता के आधार पर माननीय मंत्री जी बनवाने का कष्ट करें तो मैं अपना प्रस्ताव वापस जरूर ले लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-47 : श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स0वि0स0

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैश्य जाति के अन्तर्गत 'कमलापुरी वैश्य' उपजाति को केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में दर्ज कराने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

टर्न-18/यानपति/31.03.2023

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, विभागीय परिपत्र संख्या-13623, दिनांक-10.09.2015 द्वारा राज्य सरकार के अंतर्गत पिछड़े/अति पिछड़े वर्ग की सूची प्रचारित की गई है । इस सूची में पिछड़े वर्ग की सूची, अनुसूची-2 के क्रमांक-20 पर बनिया के अंतर्गत निम्न प्रविष्टि है, बनिया मतलब सूढ़ी, मोदक, मायरा, रोनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कलार, एराकी, ब्याहुत कलवार, कमलापुरी वैश्य, माहरी वैश्य, बंगी वैश्य, बंगाली बनिया, बर्नवार, अग्रहरी वैश्य, वैश्य पोद्धार, कसोधन, गंधबनिक, बाथम वैश्य, गोलदार पूर्वी पश्चिमी चंपारण हेतु विलोपित, यह सूची में है इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह संतुष्ट हो जायं ।

अध्यक्ष: अब तो सब चीज सुन ही लिए ।

श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव: मंत्री जी के आश्वासन के बाद मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-48 : श्री जितेन्द्र कुमार, स0वि0स0

श्री जितेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावाँ प्रखंड मुख्यालय में जिला परिषद् द्वारा जिला परिषद् की जमीन पर परिसदन का निर्माण करावे ।''

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में उक्त जिला परिषद् की जमीन पर जिला परिषद् के स्तर से परिसदन निर्माण के संदर्भ में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से चाहेंगे कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई लंबित नहीं है इसलिए प्रस्ताव को वापस लीजिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार: महोदय, मैं केवल संज्ञान में देना चाहता हूं महोदय, यह जो जवाब आया है बिल्कुल गलत है, भ्रामक है । महोदय, वहां तीन साल पूर्व टेंडर हो चुका है, मैं जानता हूं महोदय, मैं गवाह के रूप में दे रहा हूं, तीन साल पूर्व टेंडर हो चुका है, संवेदक भी तय हो चुके हैं और मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई प्रस्ताव ही नहीं है, बड़ा अजीब सा लग रहा है महोदय, गुमराह कर रहे हैं । जवाब मांगा जाय कि तीन साल पूर्व टेंडर हुआ है और प्रक्रिया में है वहां के डी0डी0सी0 से मैंने बात किया है ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभीतक विभाग में हमें ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, अगर माननीय सदस्य को इसकी डीटेल जानकारी है कि टेंडर......

अध्यक्ष: आप दिखवा लीजिए ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री: महोदय, हम दिखवा लेते हैं और इनके पास अगर उस तरह की पुष्ट जानकारी है......

श्री जितेन्द्र कुमार: अभी फोन करके, नालंदा जिला में टेलीफोन करके मालूम कर लीजिए ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको जो जानकारी है, जो कार्रवाई वहां पर हुई है और आपने गैर सरकारी संकल्प दिया है, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो मैं इस आसन से कहना चाहता हूं कि आप जो वस्तुस्थिति है उसको लिखकर के मंत्री जी को दे दें ।

श्री जितेन्द्र कुमार: महोदय, मंत्री जी सरकार हैं और वहां के डी0डी0सी0 से मालूम कर सकते हैं, टेलीफोन करके मालूम कर सकते हैं, हमारा संकल्प क्या है ।

अध्यक्ष: हो गया, संकल्प को वापस लीजिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार: महोदय, लेकिन यह जवाब की सच्चाई आनी चाहिए ।

अध्यक्ष: अच्छा आ जाएगी, आप लिखकर के दे दीजिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिमा कुमारी । माननीय सदस्य श्री ऋषि कुमार जी को अधिकृत किया गया है ।

क्रमांक-49 : श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स0वि0स0

श्री ऋषि कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिमा कुमारी जी का गैर सरकारी संकल्प इस प्रकार है, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार विधान सभा के सदस्यों को देय चार लाख रुपये यात्रा कूपन/हवाई यात्रा की अधिसीमा के अन्तर्गत बिहार विधान सभा के सदस्यों को डीजल/पेट्रोल की प्रतिपूर्ति को भी अनुमान्य करने का प्रावधान करावे ।"

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्यों को जो वह सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं उसके लिए तो अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है 25 रुपये प्रति कि0मी0, तो यह उसको भी इसमें एडजस्ट या सामंजित अगर कराते हैं तब तो माननीय सदस्यों को उधर रेल या हवाई यात्रा करने के लिए जो सुविधा उपलब्ध है यह तो उसी का क्षरण हो जाएगा, इसलिए अच्छा है न कि यह अलग से मिलता है, वह अलग से मिलता है इसलिए हम माननीय सदस्य को कहेंगे कि इसको वापस ले लें ।

श्री ऋषि कुमार: महोदय, क्योंकि यह सारे माननीय सदस्यों का मामला है तो इस प्रस्ताव को मैं वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । क्षरण करानेवाला काम नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार ।

क्रमांक-50 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-51 : श्री कुंदन कुमार, स0वि0स0

श्री कुंदन कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य में दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के धारा-79 के तहत दिव्यांग आयोग का गठन करते हुए राज्य आयुक्त की नियुक्ति, रोजगार सृजित करने एवं धारा-24 के तहत अन्य राज्यों की भांति बिहार राज्य में भी दिव्यांग जनों को पेंशन 3000/-(तीन हजार रुपये) निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव पारित करावे ।"

श्री मदन सहनी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-79 के तहत राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है । उक्त धारा के तहत दिव्यांग आयोग के गठन का कोई प्रावधान नहीं है, वरन इस धारा में राज्य में दिव्यांगजनों के हितार्थ राज्य आयुक्त नि:शक्तता की नियुक्ति का प्रावधान है, वर्तमान में श्री रमेश कुमार झा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य आयुक्त नि:शक्तता के प्रभार में हैं । राज्य सरकार अपनी क्षमता के अनुसार दिव्यांगों को नियमानुसार रोजगार

प्रदान करती है, सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है । साथ ही मनरेगा के तहत उन्हें शारीरिक क्षमता और नियम के अनुकूल रोजगार सृजन का प्रावधान है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-24 के तहत दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के निमित्त राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के भीतर 400 रुपया प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है तथा दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ राज्य कार्य किया जाता है, वर्तमान में 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार जी अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ।

श्री कुंदन कुमार: अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजनों को 400 रुपये महीने का पेंशन दिया जाता है लगभग 13 रुपये कुछ पैसे हर रोज के हिसाब से इस 13 रुपये में आज की तारीख में दिव्यांगजनों का क्या होगा महोदय, यह बहुत संवेदनशील मामला है, सरकार संवेदनशील हो जाय इसको बढ़ाने का कम से कम काम करे । पूरा-पूरा, करीब-करीब कई दिनों तक यह गांधी मैदान में बैठे रहे, आंदोलन करते रहे, सरकार की तरफ से कोई गया नहीं महोदय, यह बहुत संवेदनशील है । इसपर सरकार जवाब दे कि इसको बढ़ाना चाहिए सरकार को, चार सौ रुपये महीने में क्या होता है ।

अध्यक्ष: समय की बड़ी कमी है, माननीय सदस्य कुंदन जी, अपना प्रस्ताव आप वापस लीजिए । आपने पढ़ दिया, सुना दिया ।

श्री कुंदन कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना संवेदनशील है कि मैं प्रस्ताव वापस तो नहीं लूंगा आप इसपर वोटिंग करा दीजिए ।

अध्यक्ष: वोटिंग कराइयेगा ?

श्री कुंदन कुमार: जी, मैं प्रस्ताव वापस नहीं लूंगा ।

अध्यक्ष: आपका प्रस्ताव किसी काम का रह जाएगा क्या भविष्य में, भविष्य में आप इसको एकदम खत्म कर देना चाहते हैं ।

श्री कुंदन कुमार: अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से मैं प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-52 : श्रीमती रेखा देवी, स0वि0स0

श्रीमती रेखा देवी: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी विधान सभा में स्थित धनरूआ प्रखंड के दौलतपुर, गुलरिया विगहा के पास दरधा नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ दौलतपुर बसावट है जिसे पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित मुसनापुर मसौढ़ी पथ से दौलतपुर पथ जिसकी लंबाई 3.43 कि0मी0 है इससे संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के दूसरी तरफ निम्न बसावट है जिसकी संपर्कता स्थिति न्यूनतम है, रसलपुर, रसलपुर बसावट को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित मसौढ़ी मुसनापुर पथ से रसलपुर पथ की संपर्कता प्राप्त है । गुलरिया बिघा एवं बच्चू टोला, गुलरिया बिघा एवं बच्चू टोला को संपर्कता प्राप्त करने हेतु हेवीटेशन एप से सर्वे कराया गया है ।

(क्रमशः)

टर्न-19/अंजली/31.03.2023

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (क्रमशः) : महोदय, जिसका सर्वे आई0डी0-21668 है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रसित कार्रवाई की जाएगी । अवस्थित पुल स्थल के अपस्ट्रीम में पांच किलोमीटर एवं डाउन स्ट्रीम में पांच किलोमीटर पर पुल निर्मित रहने के कारण इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, संकल्प वापस लीजिए । जवाब दे दिये हैं वापस लीजिए ।

श्रीमती रेखा देवी : महोदय, प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-53 : श्री राजवंशी महतो, स0वि0स0

श्री राजवंशी महतो : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिलान्तर्गत चेरियावरियापुर प्रखंड एवं भगवानपुर प्रखंड के मध्य बूढ़ी गंडक नदी के चेरिया घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित चेरिया गांव को शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित सूर्यपुरा चौक से जयरामपुर पथ होते हुए चेरिया घाट तक पथ से एवं दूसरी तरफ अवस्थित बरियारपुर गांव को पंचायत स्तर से निर्मित पी0सी0सी0 पथ द्वारा एन0एच0-55 से संपर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग चार किलोमीटर की दूरी पर एवं डाउन स्ट्रीम में सात किलोमीटर की दूरी पर पुल निर्मित है । पुल स्थल के दोनों तरफ बसावटों के विभिन्न पथों से एकल संपर्कता प्राप्त है । अतएव प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संकल्प वापस लीजिए ।

श्री राजवंशी महतो : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । माननीय सदस्य डॉ0 सी0एन0 गुप्ता । श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' जी प्राधिकृत हैं । पढ़िए । आप प्राधिकृत हैं ।

क्रमांक-54 : डॉ0 सी0एन0 गुप्ता, स0वि0स0

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : जी महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के छपरा जंक्शन से पाटलिपुत्रा स्टेशन तक छपरा जिला से पटना तक आने-जाने हेतु सुबह एवं शाम में यात्री के लिए ट्रेन परिचालन हेतु रेल मंत्रालय को सिफारिश भेजे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के जंक्शन से पाटलिपुत्रा स्टेशन तक एवं छपरा जिला से पटना तक आने-जाने हेतु सुबह एवं शाम में यात्री के लिए ट्रेन परिचालन हेतु रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । माननीय सदस्य, बचोल जी आपका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल' : जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री प्रेम शंकर प्रसाद ।

क्रमांक-55 : श्री प्रेम शंकर प्रसाद, स0वि0स0

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गोपालगंज जिला अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र बैकुंठपुर का भौगोलिक दृष्टिकोण के मद्देनजर छात्र/छात्राओं को उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय की स्थापना करावे।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं हैं । गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर विधान सभा क्षेत्र मूलतः गोपालगंज सदर अनुमंडल के बैकुंठपुर, सिधवलिया एवं बरौली प्रखंड का क्षेत्र है । गोपालगंज सदर अनुमंडल में पूर्व से गोपालगंज कॉलेज, गोपालगंज एवं महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है ।

अतः गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : महोदय, मैं तो प्रस्ताव वापस लूंगा, लेकिन आपका संरक्षण चाहता हूं बैकुंठपुर विधान सभा और आपके सिवान जिले के कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया, कुछ प्रखंड ऐसे हैं जो सिवान जिला से भी और छपरा यूनिवर्सिटी से भी और गोपालगंज से और हमारे बैकुंठपुर की दूरी 70 किलोमीटर है । छात्र चले जाते हैं लेकिन छात्राओं को जाने में, उनकी पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत होती है, इन सारी उन लोगों की तकलीफों को देखते हुए मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि अगर संभव हो तो इस पर गौर किया जाय, इस पर ध्यान दिया जाय ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार की नीति नहीं है । जब इस तरह की नीति बनेगी तो विचार करेगी सरकार ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : महोदय, जी मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-56 : श्री संतोष कुमार मिश्र, स0वि0स0

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखंड के कथराई पंचायत को पुनर्गठित कर घनी आबादी, बड़ा बाजार, प्लस टू स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, ए0एड कॉलेज एवं थाना वाले परसथुआ ग्राम को ग्राम पंचायत बनावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से प्राप्त गैर सरकारी संकल्प के संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 यथा संशोधित की धारा-11 के अनुसार ग्राम पंचायत का क्षेत्र या नाम अगली जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित होने से पूर्व नहीं बदला जा सकेगा । वर्णित परिस्थिति में अगली जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित होने के उपरांत कथराई पंचायत को पुनर्गठित करते हुए परसथुआ ग्राम पंचायत गठित करने का विचार किया जा सकता है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि अपना प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपको वापस लेने में तो दिक्कत नहीं होगी ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं होगी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-57 : ई0 शशि भूषण सिंह, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

क्रमांक-58 : श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव । उन्होंने रामबली सिंह यादव जी को प्राधिकृत किया है । पढ़िए ।

क्रमांक-59 : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुदय यादव जी का गैर सरकारी संकल्प है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह एन0एच0-83 से डिहुरी, परसबिगहा, जमुआवॉ पथ में परसबिगहा थाना के पास दरघा नदी में पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, यह पुल से संबंधित संकल्प है । यह पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग । पुल से संबंधित है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, हम उसको दिखवा लेते हैं ।

अत: माननीय सदस्य से अभी आग्रह करता हूं कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लीजिए । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम दिखवा लेंगे ।

श्री रामबली सिंह यादव : जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मैं इसका थोड़ा सा महत्व बता दे रहा हूं कि दरघा नदी के...

अध्यक्ष : मैंने तो कहा है कि समय की बड़ी कमी है, इसलिए सब का हो जाय ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, यह पुल अति आवश्यक है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-60 : श्री रामबली सिंह यादव, स0वि0स0</u>

श्री रामबली सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जहानाबाद जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी का भवन एवं डॉक्टरों/कर्मचारियों का जर्जर आवास का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसी का भवन एवं डॉक्टर कर्मचारी का आवास मरम्मती योग्य है । अब आगामी वित्तीय वर्ष में जीर्णोद्धार की कार्रवाई कर दी जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप संतुष्ट हो गए, संकल्प वापस लीजिए ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, जी बिल्कुल हो गये । हम घोसी की महान जनता की ओर से और अपनी ओर से माननीय मंत्री जी को और सदन को आभार व्यक्त करते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, जर्जर आवास का निर्माण समझ में नहीं आया ।

अध्यक्ष : वही मरम्मत होगी । माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ ।

क्रमांक-61 : श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल के मुख्यालय पालीगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना करावे ।"

टर्न-20/सत्येन्द्र/31-03-23

श्री चन्द्र शेखर,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की वर्त्तमान नीति के अनुसार सम्प्रति सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है। पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल में पूर्व से एम0डी0 कॉलेज नौबतपुर, ए0एम0 कॉलेज विक्रम एवं जी0जे0 कॉलेज रामबाग बिहटा अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय के रूप में संचालित है । अतः पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल के मुख्यालय पालीगंज में डिग्री कॉलेज की स्थापना की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य वापस लीजिये ।

श्री संदीप सौरभ: अध्यक्ष महोदय, एक दो लाईन कह दे रहे हैं। एक तो बिहटा और नौबतपुर, ये पालीगंज अनुमंडल में है ही नहीं, विक्रम में कॉलेज है लेकिन सरकार तो यह डायलॉग कई साल से दे रही है कि हम सारे अनुमंडल में डिग्री कॉलेज बना रहे हैं तो तीन या चार ही बिहार में ऐसे अनुमंडल थे जहां डिग्री कॉलेज नहीं थे, उसके अलावा सभी जगह पहले से है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पालीगंज का जो इलाका है विक्रम उसके सबसे उत्तरी हिस्से में कॉलेज है, पालीगंज का इलाका दुल्हिन बाजार के बाद है और उसकी 40-50 कि0मी0 की दूरी पड़ती है वहां से तो सरकार इस पर सोचे । ऐसे ही बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति खराब है । राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख बच्चों के ऊपर महोदय 27 कॉलेज है और बिहार में सिर्फ 6 कॉलेज है...

अध्यक्ष: वापस लीजिये ।

श्री संदीप सौरभ: ..एक लाख बच्चों पर तो सरकार अपनी नीति को बदले हम तो जान रहे थे कि वह नीति नहीं है । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक- 62 : श्री निरंजन राय, स0वि0स0

श्री निरंजन राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गायघाट विधान-सभा क्षेत्र के बन्दरा प्रखंड के पिलखी पुल चौक से पीयर-तेपरी होते हुए सैदपुर हाट से केवटसा-मुन्नी,लोहरखा होते हुए जांता-कांटा से अनुमान नगर चौक एन0एच0-57 तक तीन जिलों को जोड़ने वाली सड़क का ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर सड़क का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत है । पथ अधिग्रहण की नई नीति पत्रांक 1548 दिनांक 25-2-20 के आलोक में ग्रामीण कार्य के द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्ययन स्वयं कराया जाना है । संभाव्यता फिजिब्लिटी प्राप्त कर अधिग्रहण पर विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो संकल्प दिया, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया । हम समझते हैं कि आप संतुष्ट हो गये होंगे ।

श्री निरंजन राय: संतुष्ट है लेकिन इसमें दो लाईन कहना है, काफी बड़ी आबादी है इस लाईन में, लाखों लोग इस रास्ते से प्रतिदिन गुजरते हैं और यह तीन जिलों को जोड़ने वाली मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर का प्रमुख सड़क है इसलिए इसको हर हालत में बनना चाहिए ।

अध्यक्ष: आप वापस लीजिये ।

श्री निरंजन राय: वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-63 : श्री विनय बिहारी, स0वि0स0

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिम जिलान्तर्गत बगहा पुलिस जिला को महर्षि वाल्मिकी जी के नाम पर महर्षि वाल्मिकी नगर को राजस्व जिला बनावे ।"

अध्यक्ष: सामान्य प्रशासन विभाग । माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वर्त्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 93/2029 सी0डी0 दिनांक 2-1-23 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 65 दिनांक 25-01-23 द्वारा प्रशासनिक इकाई की सीमा में दिनांक 30-06-2023 तक परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश

संसूचित है । इस प्रकार बगहा को महर्षि वाल्मिकीनगर राजस्व जिला बनाने हेतु सम्प्रति प्रस्ताव नहीं है । चूंकि जनगणना हो रहा है इसलिए वापस ले लीजिये ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है, 5226 वर्ग कि0मी0 का एरिया है और आम जनता को काफी परेशानी होती है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: सुनिये जरा, आपके तर्को पर मैं नहीं जा रहा हूॅ । भारत सरकार जनगणना करवा रही है इसलिए 30 जून तक सभी निकायों पर, नये गठन पर रोक है यही मैंने कहा ।

अध्यक्ष: रोक लगी हुई है इसलिए प्रस्ताव वापस ले लीजिये । रोक की जो तिथि निर्धारित है जब खत्म होगा उसके बाद ..

श्री विनय बिहारी: महोदय, दो लाईन मैं कह देता हूॅ –

''रह गयी आवाज शंखनाद करते करते,
मैं थक गया हूॅ साहब फरियाद करते करते।''

मैं अपना संकल्प वापस लेता हॅू।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ।

<u>क्रमांक 64 : श्री अरूण शंकर प्रसाद, स0वि0स0</u>

श्री अरूण शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित 27 एकड़ का वभनदई तालाब को अमृत सरोवर के तर्ज पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करावें।''

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित 27 एकड़ का वभनदेई तालाब के किनारे में वर्त्तमान में दो फीट पानी एवं बीच में 6 से 7 फीट पानी है । ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस तालाब का पानी कभी नहीं सुखता है । अत: इस तालाब का जीर्णोद्धार कार्य संभव नहीं है। जिला पदाधिकारी,मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सौन्दर्यीकरण कार्य के रूप में पौधारोपण की योजना ग्राम पंचायत समिति से पारित कराकर तालाब के भिंड से अतिक्रमण को हटाते हुए कराया जा सकेगा । विभागीय पत्रांक संख्या 1667/999 दिनांक 28-03-23 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को अतिक्रमणमुक्त कराने हेतु निर्देशित किया गया है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, अमृत सरोवर की योजना पर काम चल रहा है पांच एकड़ तक के तालाब के लिए चूंकि इसका रकबा पांच एकड़ से अधिक है और ऐसे तालाबों को लघु जल संसाधन विभाग उसके कार्य को देखती है और वह मुख्यालय में अवस्थित है, बीच बाजार में स्थित है, इस पार भी बाजार है और उस पार भी बाजार है, वह सौन्दर्यीकरण के लायक है महोदय वह एक पर्यटक स्थल बन जायेगा स्वतः, अगर इसको लघु जल संसाधन विभाग लेकर अपने स्तर से इसको विकसित करा दे, इसका जीर्णोद्धार करा दे और इसका सौन्दर्यीकरण करा दे यही तो मैंने कहा है महोदय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य के संकल्प के जवाब में मैंने स्पष्ट रूप से दिया है कि ये अमृत सरोवर मनाठी की बात कह रहे हैं तो माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि अमृत सरोवर के लिए कोई अलग से भारत सरकार फंड नहीं देती है, उसमें कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है और माननीय सदस्य की जो इच्छा है उस अनुसार दिखवा लेंगे, अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसादः महोदय, प्रश्न से अलग चले गये माननीय मंत्री जी, इस संकल्प से अलग चले गये इसलिए मैं सिर्फ एक लाईन का अनुरोध करता हूॅ महोदय, मैं लघु जल संसाधन विभाग से कह रहा हूॅ चूंकि अमृत सरोवर में यह नहीं आता है इसलिए लघु जल संसाधन विभाग इसको विकसित करवा दे । यही हमारी इच्छा है और वहां के जनता की इच्छा है महोदय । इसी के साथ आपके कहने से पूर्व मैं अपना संकल्प वापस लेता हूॅ ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ ।

क्रमांक-65 : श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0

अध्यक्षः अधिकृत हैं श्री विनय बिहारी जी ।

श्री विनय बिहारीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूॅ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्णियां जिला में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पूर्णियां पूर्व प्रखंड के रानीपतरा सर्वोदय आश्रम तक गांधी स्मारक को गांधी सर्किट से जोड़कर जीर्णोद्धार करावे।"

अध्यक्षः माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी पूर्णिया से उक्त स्थल के विकास हेतु विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही है । प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पर्यटकों के सुविधा हेतु पर्यटकीय मापदंड तथा पर्यटकों की संख्या, पर्यटकीय विकास की संभावनाएं तथा निधि की उपलब्धता आदि के

आलोक में अग्रेत्तर निर्णय लिया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह करता हूँ ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, मेरे संकल्प में दो बातें है एक तो गांधी सर्किट से जोड़ना है तो उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं बताया । इसमें दो बात है एक उसका जीर्णोद्धार कराया जाय और दूसरा गांधी सर्किट से जोड़ा जाय, मेरा तो प्रश्न यह है।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री :महोदय, माननीय सदस्य ने सुना नहीं । हमने कहा कि जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से इनके प्रश्न के सभी चीज का जवाब हमने मांगा है । गांधी सर्किट से जुटेगा या उसका विकास होगा, वहां से पत्र प्राप्त हो जायेगा तो हमने तो कहा ही है कि पैसे की उपलब्धता रहेगी तो हमलोग करेंगे।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ।

श्री विनय बिहारी: उचित, अच्छा जवाब मिलने के लिए मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-21/मधुप/31.03.2023

<u>क्रमांक-66 : श्रीमती ज्योति देवी, स0वि0स0</u>

अध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी ने श्रीमती मंजु अग्रवाल को प्राधिकृत किया है । मंजु अग्रवाल जी, आप प्रस्ताव कीजिये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाराचट्टी विधान सभा क्षेत्र की माननीय विधायिका श्रीमती ज्योति देवी जी के गैर सरकारी संकल्प को पढ़ती हूँ ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिला के बाराचट्टी के मनहर अम्बेदकर आवासीय विद्यालय के बगल में स्थित 167 ब्रिगेड में फायरिंग से बुमेर पंचायत स्थित गुलवेर गॉंव के 21 मृतकों और घायलों के परिजनों को मुआवजा दिलावे और फायर रेंज को वहॉं से हटावे ।''

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि डेबरी डुमरी फिल्ड फायरिंग रेंज गया जिला के डोभी एवं बाराचट्टी थाना अन्तर्गत अवस्थित है । वर्ष 2009 से 2022 तक 18 व्यक्तियों की मृत्यु से संबंधित घटनाएँ पुरानी हैं । वर्तमान में 08.03.2023 को बाराचट्टी थाना अन्तर्गत गुलवेर गॉंव में विस्फोट की हुई घटना के 3 मृतक एवं 3 घायल हुये व्यक्तियों के परिवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास

योजना का लाभ तथा 5 डिसमिल जमीन का लाभ देने की कार्रवाई की जा रही है। 3 मृतकों के परिवार को पारिवारिक लाभ योजना कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ भी दिया गया है । इस घटना के मृतक एवं घायलों के परिवार को मुआवजा का लाभ देने हेतु आर्मी के पदाधिकारियों सहित 6 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है । समिति की अनुशंसा के आलोक में मुआवजा का भुगतान रक्षा प्राक्कलन डिफेंस इस्टीमेट से पेयेबल होगा ।

उल्लेखनीय है कि इस फायरिंग रेंज की अधिसूचना की अवधि अगस्त तक है । हालिया घटना के आलोक में मैनोवर फिल्ड फायरिंग एण्ड अल्टरनेटिव प्रैक्टिस ऐक्ट, 1938 में फिल्ड फायरिंग के दौरान जान-माल की सुरक्षा तथा मुआवजा के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु गृह विभाग (विशेष शाखा) बिहार के पत्रांक 3175 दिनांक-07.03.2023 एवं पत्रांक 3900 दिनांक-27.03.2023 द्वारा स्टेशन कमांडर, राँची मिलिट्री स्टेशन, राँची को लिखा गया है ।

अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि कृपया प्रस्ताव वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : मंजु जी, प्रस्ताव वापस ले लीजिये । हो गया, आप वापस ले लीजिये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : जी । लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जिस समय भारत सरकार एन0ओ0सी0 मिलिट्री को दी थी उस समय आबादी बहुत कम थी और अभी बहुत सारा गाँव बसा हुआ है और बाराचट्टी की जनता काफी भय के साये में जी रहे हैं। तत्काल वहाँ से फायर रेंज को हटावें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 2023 तक ही अवधि है, अब वह खत्म होगा ही ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है ।

<u>क्रमांक-67 : श्री रीतलाल राय, स0वि0स0</u>

श्री रीतलाल राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिला के अनुमंडल कार्यालय, सोनपुर के पत्रांक-280 दिनांक-24.07.2021 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर द्वारा जिलाधिकारी, सारण को समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में पटना जिला के दानापुर प्रखंड के पंचायत मानस पुराना पानापुर एवं कासिमचक को मिलाकर एक ओ0पी0 बनावे ।"

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिला अंतर्गत अकीलपुर थाना पूर्व में पटना अंतर्गत था जिसे सरकार के स्तर से उस क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा हेतु पटना जिला से पृथक करते हुए सारण जिला में समायोजित किया गया। मानसपुर पानापुर एवं कासिमचक अकीलपुर थाना में 4-10 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित हैं । बिहार सरकार, गृह विभाग आरक्षी शाखा के अधिसूचना संख्या- 2 थाना 21029/2017 गृह आरक्षी 7891, पटना दिनांक- 03.10.2017 के आलोक में अकीलपुर थाना का प्रशासनिक नियंत्रण पटना जिला से हटाकर सारण जिला में निर्धारित किया गया है ।

उपरोक्त वर्णित वर्तमान में व्यवस्था में कोई परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य से प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह किया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रीतलाल राय : अध्यक्ष महोदय, पत्रांक-280 दिनांक-24.07.2021 को सरकार के माध्यम से ही सदन के माध्यम से जवाब दिया गया था, अकीलपुर थानान्तर्गत अकीलपुर पंचायत दिघवारा के साथ सोनपुर प्रखंड के कसवर पंचायत के 3 वार्ड, रसलपुर पंचायत के 4 वार्ड एवं बरियातपुर पंचायत के 2 वार्ड तथा गंगा के उस पास अवस्थित है एवं भौगोलिक दृष्टिकोण में समान है जो मिलाकर एक ओ0पी0 बनाया जा सकता है तथा दानापुर प्रखंड के पंचायत मानस पुरानी पानापुर एवं कासिमचक को मिलाकर एक अलग ओ0पी0 बनाया जा सकता है जो पटना पुलिस जिला से सम्बद्ध हो ।

महोदय, यह जवाब सदन के माध्यम से हमको 2021 में मिला था । अभी तक कुछ नहीं किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रीतलाल राय जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बातें कही गयी हैं, उसपर आप अपना विचार दिये हैं । मंत्री जी ने जो कार्रवाई करना चाहिए, वह उन्होंने जानकारी दे दी । मैं अब चाहूँगा कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री रीतलाल राय : अध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का होता है तब जब हमारी सरकार के द्वारा प्रतिनिधि भेजकर, जब घटना-दुर्घटना होती है तो संवेदना व्यक्त किया जाता है । साथ-साथ मुआवजा की राशि भी दी जाती है और उसी परिवार के बच्चा से बूढ़ा तक का, जिस व्यक्ति के साथ घटना घटती है और उसके पोस्टमॉर्टम के लिए 5 कि0मी0 के बजाय उसको 65 कि0मी0 जाना पड़ता है तो उसको कैसा महसूस होता होगा ?

महोदय, अंग्रेजों के जमाना से हमारे यहाॅ जिस तरह का भौगोलिक बनावट है उसके अनुसार थाना का विस्तार हुआ है । पहले हमारे यहाॅ दानापुर थाना था, आवश्यकता पड़ी तो शाहपुर ओ0पी0 बना फिर थाना में तब्दील हुआ, उसके बाद में अकीलपुर ओ0पी0 बना और जब आवश्यकता पड़ी तो थाना में तब्दील हुआ, फिर हमारे यहाॅ रूपसपुर ओ0पी0 बना जो बाद में रूपसपुर थाना के रूप में तब्दील हुआ । आज क्यों नहीं बनाया जा सकता है जब ओ0पी0 की आवश्यकता है तो ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री रीतलाल राय : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात को समझा जाय । वहाॅ के लोगों को जो दुख है, अगर दुख को प्रकट नहीं किया जायेगा आपके पास और निवारण नहीं होगा तो लोग झाड़ू मारकर हमलोगों को भगा देगा । हमलोग सदन में किसलिये आये हैं ? अगर आये हैं तो उसका काम नहीं होगा, जवान बेटा मरता है, जवान पति मरता है किसी का तो उसका जवाब कौन देगा, उसको 5 कि0मी0 के बजाय 65 कि0मी0 पोस्टमॉर्टम के लिये जाना पड़ता है । यहाॅ डॉक्टर पोस्टमॉर्टम नहीं करता है, कहता है कि हम पोस्टमॉर्टम नहीं करेंगे, हमको केस का जवाब देने के लिए, गवाही देने के लिए सारण जिला जाना पड़ेगा । ऐसी स्थिति में हमलोग क्या करें ?

अध्यक्ष महोदय, इसके निवारण की आपसे अपेक्षा है और गार्जियन हमारे मंत्री महोदय भी हैं, सभा के अध्यक्ष महोदय भी गार्जियन हैं । हम चाहेंगे कि आपलोग इस समस्या का निवारण करें और पूरे सदन के सहयोग से इस समस्या का निवारण हम चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपनी भावना को व्यक्त कर दिया । यह गैर सरकारी संकल्प है, इसलिये मैं आपसे चाहूॅगा कि आपको जो कहना था आपने कह दिया, आप अपने गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लीजिये ।

श्री रीतलाल राय : अध्यक्ष महोदय गार्जियन हैं, मंत्री महोदय अभिभावक हैं, आप भी अभिभावक हैं, सदन में कई-एक भी अभिभावक के रूप में यहाॅ मौजूद हैं । हम सभी से आग्रह करते हुये आप लोगों के उपर छोड़ देते हैं कि आप लोग क्या करेंगे, जो करना है वह कीजिये, मुझे मंजूर है ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-22/आजाद/31.03.2023

क्रमांक-68 : श्री मनोज मंजिल, स0वि0स0

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखंड अगिआंव, संदेश और सहार में सोन नदी में बालू के घाट से प्राप्त राजस्व से 50 प्रतिशत क्षेत्र के शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी में खर्च करावे ।"

डॉ0 रामानन्द यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि खान एवं खनिज विकास और विनियम अधिनियम 1957 तथा संशोधित धारा 15 के उप धारा-4 और धारा 15(क) सगठित धारा-9(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2018 का गठन किया गया ।

उक्त नियमावली के तहत बालू, पत्थर की वार्षिक बंदोबस्ती राशि एवं ईट भट्ठों का समेकित स्वामित्व की राशि 2 प्रतिशत राशि जिला समाहर्त्ता द्वारा खनिज फाउंडेशन के मद में जमा कराया जाता है । इस राशि का उपयोग जिला समाहर्त्ता के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मार्गदर्शिका के अनुसार खनन प्रस्तावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कल्याण परियोजनाओं शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा एवं पेय जलापूत्ति आदि के लिए किया जाता है । उक्त राशि से अगिआंव, संदेश और सहार प्रखंड में बालू खनन से प्रभावित क्षेत्रों में समाहर्त्ता के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विकास कार्य कराया जा सकता है परन्तु प्राप्त राजस्व के 50 प्रतिशत राशि क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं के बेहतरी में खर्च करने पर सरकार का अभी कोई विचार नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, तरारी, सहार से लेकर के किरकिरी, अजीमाबाद, संदेश से लेकर के कोईलवर तक राजनेता, बालू माफिया और अधिकारी के गठजोड़ से भोजपुर जिला के सोन नदी में मौत के कुँऐ बनाये जा रहे हैं । अभी हाल ही में चार बच्चों की मौत हो गई उन कुँओं में, सड़क जाम होता है । बालू ट्रक से लोगों की जान जाती है, मरीज तड़प करके जाम में फंस कर मर जाता है । मेरा कहना है कि सोन नदी सरकार को करोड़ों-करोड़ रू0 का राजस्व देता है और उस क्षेत्र के निवासी अपनी जान देते हैं । इसके बावजूद उस सोन नदी के किनारे बसे जो गांव हैं- मेहदौरा, मिल्कीटोला, अजीमाबाद, डेढुआ पैसे के अभाव में उन गांवों में एक भी स्कूल नहीं हैं । उस क्षेत्र के उर्दू मध्य विद्यालय, अजीमाबाद में बच्चों को पानी

पीने के लिए, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है । किरकिरी के स्कूल में चापाकल नहीं है, चिल्हड़ का अस्पताल जर्जर है, नहर की उड़ाही नहीं हो रही है, बच्चों को खेलने के लिए .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय की कमी है ....

श्री मनोज मंजिल : महोदय, प्लीज महोदय, बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान नहीं बन रहा है और 2 प्रतिशत ऊँट के मुँह में जीरा, इसीलिए उस क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में नौजवानों की बहाली की तैयारी के लिए बच्चों को खेलने के लिए कम से कम 50 अगर नहीं तो 25 प्रतिशत सरकार खर्च करने के नीति पर विचार करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो नीति निर्धारित है, उसी नीति के तहत जो फैसला है, उसको माननीय मंत्री जी ने आपके गैर सरकारी संकल्प के जवाब में दिया है । मैं चाहूंगा कि आपको जो कहना था, आपने कहा सदन में, अब आप अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लीजिए और अन्य सदस्यों को भी अवसर दीजिए ।

श्री मनोज मंजिल : बिल्कुल महोदय, बस अंतिम । विनम्र आग्रह के साथ सरकार से और हाऊस से भी कि यह बहुत संवेदनशील मामला है, बालू के लूट का खेल चल रहा है.....

अध्यक्ष : कृपया बढ़ाया जाय ।

श्री मनोज मंजिल : लेकिन उस क्षेत्र के सिंचाई, स्कूल और स्वास्थ्य का विकास नहीं हो रहा है। सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम .....

अध्यक्ष : अब वापस लीजिए ।

श्री मनोज मंजिल : सरकार कम से कम 25 प्रतिशत खर्च करने पर विचार करे । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ । थैंक यू महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-69 : श्री नीतीश मिश्रा, स0वि0स0</u>

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि ''वह मधुबनी जिला के झंझारपुर एवं फुलपरास अनुमंडल के आमजनों को जिला मुख्यालय तक सुगम आवागमन हेतु भदुआर घाट एवं खैरा के मध्य कमला नदी पर उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 पूलिया का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, ट्रांसफर है पथ निर्माण विभाग को पुल का मामला है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग । पुल बनवाने का मामला उसमें आ गया है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, अभी माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसमें अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है । हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि अभी वे प्रस्ताव वापस ले लें और पत्र के माध्यम से विभाग को दे दें, उसको हमलोग देखवाते हैं ।

श्री नीतीश मिश्रा : संक्षेप में अध्यक्ष महोदय । यह प्रस्ताव तो मैं लेकर आया हूँ । इसका उद्देश्य है गैर सरकारी संकल्प का कि सदस्य अपना लिखकर देते हैं .....

अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव तो है ।

श्री नीतीश मिश्रा : प्रस्ताव है तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि लिखकर दे दें, विभाग में यह प्रस्ताव है और यह तीन अनुमंडलों के लिए लाईफ लाईन होगा और लगभग 8 प्रखंड इससे लाभान्वित होंगे । बिहार का पहला निजी विश्वविद्यालय संदीप यूनिवर्सिटी के बच्चों का भी आना-जाना है । मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इसका सर्वेक्षण करा लें । अगर इसकी वायबिलिटी पाते हैं तो सरकार डी0पी0आर0 बनाकर निर्माण करा दे, इस भरोसे के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-70 : श्री पंकज कुमार मिश्र, स0वि0स0</u>

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अन्तर्गत मोरसंड पंचायत के गौरीगामा टोला वार्ड नं0-15 में लखनदेई नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित गौरीगामा टोला वार्ड नं0-15 को एन0एच0-77 से पंचायत स्तर से निर्मित्त पी0सी0सी0 पथ के द्वारा एवं दूसरे तरफ अवस्थित चकदेनाई को शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत निर्मित्त रून्नीसैदपुर से चकदेनाई पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम से लगभग 6 कि0मी0 की दूरी पर एवं डाऊन स्ट्रीम से 0.80 कि0मी0 की दूरी पर निर्मित्त है । सम्प्रति पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावट को एकल सम्पर्कता प्राप्त है । अत: प्रश्नाधीन पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : आग्रह कीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अत: आग्रह है कि माननीय सदस्य प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं......

अध्यक्ष : प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : महोदय, माननीय मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि 10-12 पंचायत हमारा इससे प्रभावित है इस पुल के कारण और बार-बार हमने पत्र भी लिखकर दिया है और आज तक इसपर कोई विचार नहीं हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसपर विचार करें और उसमें कम से कम 50हजार लोगों का मामला है, इसलिए इसको देखवाने का कष्ट करें । इसलिए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-71 : मुहम्मद इजहार असफी, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुहम्मद इजहार असफी जी का गैर सरकारी संकल्प है, इसके लिए मोहम्मद अनजार नईमी को अधिकृत किया गया है ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन विधान सभा के प्रखंड-कोचाधामन, पंचायत-मजगमा वार्ड संख्या-15, झाड़ीबाड़ी जाने वाली मार्ग में मरया नदी (धार) पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल धनपुरा परहालपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 रोड से झाड़ीबाड़ी पथ के एलाईनमेंट में अवस्थित है जो झाड़ीबाड़ी बसावट को जोड़ती है । उक्त पथ सह पुल के निर्माण हेतु छूटे हुए बसावट के तहत विभागीय ऐप के द्वारा सर्वे कार्य करा लिया गया है । इसका सर्वे आई0डी0-20456 है । तदनुसार समीक्षोपरान्त एवं निधि उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: वर्णित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, यह काफी आवश्यक है, इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-72 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

टर्न-23/पुलकित/31.03.2023

क्रमांक-73 : श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मधेपुरा अंतर्गत प्रखंड चौसा के अधीन ग्राम पंचायत लौवा लगान पूर्वी में बिन्द टोली से खलीफा टोला तक जाने वाली पथ को मुख्यमंत्री ग्राम टोला सम्पर्क योजना में सम्मिलित कर शीघ्र पक्कीकरण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की जो सड़क हैं, विभागीय एक्ट के द्वारा सर्वे करा ली गयी है । जिसका सर्वे आई0डी0- 30667 है, समीक्षोपरांत एवं निधि उपलब्धता के आधार पर अग्रेसित कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह हैं वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण पथ है और बिन्द टोली से 1/4 किलोमीटर की दूरी खलीफा टोला की है । महोदय, जाने का रास्ता नहीं है और बरसात में रोगी को खटिया पर उठाकर लोग अस्पताल ले जाते हैं । माननीय मंत्री महोदय ने सकारात्मक जवाब दिया है । मैं चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर इस पथ का पक्कीकरण करावें । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-74 : श्री अवधेश सिंह, स0वि0स0

श्री अवधेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह उत्तर बिहार के हाजीपुर से पटना की प्रतिदिन आवागमन की बड़ी आबादी को सुगम यात्रा हेतु हाजीपुर पटना के बीच मेट्रो रेल सेवा का परिचालन करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वर्तमान में हाजीपुर से पटना के बीच मेट्रो रेल सेवा परिचालन संबंध में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के बीच नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह हैं कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री अवधेश सिंह : महोदय, अगर प्रस्ताव रहता तो यह संकल्प लाने की हमें जरूरत नहीं रहती क्योंकि पटना बगल में है और उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं । पुल की जो स्थिति है कभी जाम और पर्यावरण दृष्टिकोण से भी अगर मेट्रो से हाजीपुर जुड़ता है तो पर्यावरण और प्रदूषण के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो सकता है । हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री जी से कि प्रस्ताव नहीं है तो उसको लाने की कृपा करें, कष्ट करें ।

अध्यक्ष : आपने आग्रह किया, अब अपना प्रस्ताव पास लीजिये ।

श्री अवधेश सिंह : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-75 : श्री विजय सिंह, स0वि0स0</u>

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलान्तर्गत बरारी, कुर्सेला एवं समेली प्रखंड के बंद पड़े राजकीय नलकूपों को चालू करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला के बरारी प्रखंड के अंतर्गत कुल 31 नलकूप हैं, जिसमें 15 चालू हैं एवं 16 बंद है । बंद योजनाओं में से तीन असफल है । ग्राम पंचायतों के द्वारा 6 योजनाओं को चालू करने की कार्रवाई की जा रही है । शेष 7 बंद नलकूपों का डी0पी0आर0 तैयार कराया गया है । कुर्सेला प्रखंड के अंतर्गत एक नलकूप योजना है, जो वर्तमान में बंद है । उक्त योजना का डी0पी0आर0 तैयार कराया गया है । समेली प्रखंड के अंतर्गत कुल 12 नलकूप योजनाओं में से 5 योजना चालू हैं तथा 7 बंद है । ग्राम पंचायत द्वारा तीन योजनाओं को चालू कराने की कार्रवाई की जा रही है । शेष चार नलकूपों का डी0पी0आर0 तैयार कराया गया है । जिन नलकूपों का डी0पी0आर0 तैयार कराया गया है उन्हें विभागीय प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से चालू कराया जा सकेगा ।

अत: वर्णित परिस्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कार्रवाई हो रही है ।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटवन का समय है इसलिए यथाशीघ्र ठीक हो जाए । मैं सदन की सहमति से अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-76 : श्री भाई वीरेन्द्र, स0वि0स0</u>

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-353 का दुरूपयोग कर जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध अकारण दर्ज किये जाने वाले मुकदमें संबंधी प्रदत्त शक्तियों में संशोधन हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है शायद माननीय सदस्य जो कहना चाह रहे हैं इस प्रस्ताव में स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 353 की चर्चा की है और संविधान के अनुच्छेद 353 में आपातकाल लगाने पर उसका शासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह उसका जिक्र है। जो अनुच्छेद 352 के तहत देश में या देश के किसी भाग में आपातकाल लगाने का प्रावधान संविधान में है । यह अनुच्छेद 352 लगा देने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे केन्द्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती है, संसद की शक्तियां बढ़ जाती है, यह उसका जिक्र है । शायद माननीय सदस्य जो कहना चाह रहे थे इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया है । जो माननीय सदस्य कहना चाह रहे हैं वह अलग से स्पष्ट लिखकर दे देंगे, सरकार उस पर विचार करेगी, अभी इस प्रस्ताव को माननीय सदस्य वापस ले लें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि हमलोग जनप्रतिनिधि हैं । जनता की आवाज है और जनता की समस्याओं को लेकर कभी सड़क पर धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं और हर जनप्रतिनिधि को 353 की धारा लगा दी जाती है । उसको फिर हाईकोर्ट जाना पड़ता है तभी उसको एंटीसिपेटरी बेल मिलती है । हर चीज में उसका पूरा का पूरा नियम है । अनुच्छेद 353 की उद्घोषणा का प्रभाव ।

जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब-

(क) संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीति से प्रयोग करें,

(ख) किसी विषय के संबंध में विधियाँ बनाने की संसद की शक्ति के अंतर्गत इस बात के होते हुए भी वह संघ सूची में प्रगणित विषय नहीं है, ऐसी विधियाँ बनाने की शक्ति होगी जो उस विषय के संबंध में संघ को या संघ के अधिकारियों

और प्राधिकारियों को शक्तियाँ प्रदान करती हैं और उन पर कर्त्तव्य अधिरोपित करती हैं या शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्त्तव्यों का अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करती है :

परंतु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के केवल किसी भाग में परिवर्तन में है वहां यदि और जहां तक भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की उद्घोषण प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है तो वहां तक –

(1) खंड (क) के अधीन निदेश देने की संघ की कार्यपालिका शक्ति का और,

(2) खंड (ख) के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का, विस्तार किसी ऐसे राज्य पर भी होगा जो उस राज्य से भिन्न है जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हैं ।

महोदय, 353 का दुरूपयोग किया जाता है । हमलोग जनप्रतिनिधि चाहे किसी दल के हों, हमलोग कभी भी कोई प्रदर्शन करने जाते हैं तो पुलिस उसका दुरूपयोग करती है और 353 लगाकर हमलोगों को जेल भेजती है और बेल नहीं हो पाती है । इसलिए इस पर निश्चित रूप से निर्णय होना चाहिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने अब, जब उन्होंने परिस्थितियां बताई है कि किसमें 353 की चर्चा माननीय सदस्य करना चाह रहे थे । उससे स्पष्ट होता है कि शायद वे सी0आर0पी0सी0 की धारा जो 353 है, आई0पी0सी0 की जो धारा 353 है, जो भारतीय दंड विधान है या वह क्रिमिनिल प्रोसीजर कोड है उसका 353 है । जब उन्होंने कहा कि जब हम प्रदर्शन करते हैं या धरना करते हैं, तो उसमें कोई हमको एक्यूजड, अभियुक्त बना देते हैं, वह 353 दूसरा है । इसलिए हमने कहा कि शायद माननीय सदस्य कुछ दूसरी चीज कहना चाह रहे हैं, इसमें संविधान के अनुच्छेद 353 को उन्होंने खुद पढ़ा, उसमें तो कहीं ऐसा है नहीं । वह 353 सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाली दफा है, सी0आर0पी0सी0 की दफा है । यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, उसके बारे में भी जो माननीय सदस्य के ख्याल है, उसका हमलोग विचार करेंगे । अभी इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय, वह बेलेबल सेक्शन था, उसको नॉन-बेलेबल सेक्शन बना दिया गया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह जनप्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ मामला है और जनता के हित के लिए ही आदमी आंदोलन करता है, धरना-प्रदर्शन करता है और उसमें 353

लगाकर नॉन-बेलेबल किया जाता है । आपके माध्यम से मैं आसन से आग्रह करूंगा क्योंकि आप संरक्षक हैं । आप 353 को बेलेबल करा दीजिए, तो अच्छा रहेगा ।

टर्न-24/अभिनीत/31.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपने सुझाव दे दिये और माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने भी विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी है । इसलिए अब आप अपने प्रस्ताव को वापस लीजिए । मंत्रीजी तो कह ही रहे हैं कि इसको दिखवा लेंगे ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मंत्रीजी एक बार और खड़े होकर बता देते ।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो शुरू में ही यह कह दिया कि शायद माननीय सदस्य जो कहना चाह रहे हैं इस प्रस्ताव से स्पष्ट नहीं हो रहा है । अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, सरकार उस पर विचार करेगी । अभी ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सरकार जो है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब उतना गंभीर मत होइये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, सरकार इस पर विचार करने के लिए सहमति प्रदान की है, इसलिए सरकार को देखते हुए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि विचार करे और बेलेबल सेक्शन करे । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, अपना संकल्प पढ़ें ।

क्रमांक-77 : श्री संजय सरावगी, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संविधान की अष्टम सूची में शामिल मैथिली भाषा को राज्य में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार के यहां अभी मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । दूसरी बात, मैथिली भाषा के प्रचार-प्रसार और इसको और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने

मैथिली अकादमी का गठन कर रखा है जिसके माध्यम से इस तरह के कार्य किये जा रहे हैं । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में कहा कि मैथिली संविधान की अष्टम सूची में शामिल है । महोदय, झारखंड प्रदेश में मैथिली द्वितीय राजभाषा के रूप में शामिल है । मैथिली की अपनी लिपि मिथिलाक्षर है और मैथिली, महोदय, सबसे बड़ी बात है कि जहां की स्थानीय भाषा मैथिली है वहां क्यों नहीं मैथिली राज्य की द्वितीय भाषा हो सकती है ? महोदय, झारखंड में और भारत सरकार ने इसको, संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया अटल जी ने और राज्य सरकार को द्वितीय राजभाषा मैथिली को करने में दिक्कत क्या है ? माननीय मंत्रीजी मिथिला के हैं और वे बोलते हैं कि कोई विचार नहीं है, महोदय, मैथिली भाषी पूरे देश में हैं और मिथिला की भी यह स्थानीय भाषा है बिहार में और मैया सीता की भाषा है । इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से पुनः अनुरोध करूंगा कि एक बार...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैथिली एकेडमी का गठन हुआ है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैथिली एकेडमी है, झारखंड में भी मैथिली एकेडमी है, उसके बाद भी झारखंड ने द्वितीय राजभाषा के रूप में मैथिली को मान्यता दी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप खुद मैथिली नहीं बोल रहे हैं ।

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं तो मैं मैथिली बोलता हूं । महोदय, झारखंड सरकार ने मैथिली को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी है । महोदय, माननीय मंत्रीजी भी मिथिला के हैं और पीछे में माननीय वरिष्ठ मंत्री, माननीय संजय झा जी हैं, माननीय बिजेन्द्र बाबू हैं,

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : आलोक मेहता जी हैं, मदन सहनी जी हैं, बाबू चन्द्र शेखर जी हैं, आधा मंत्रिमंडल मिथिला के ही हैं अध्यक्ष महोदय । इसके बावजूद महोदय मैथिली को द्वितीय राजभाषा की मान्यता नहीं दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गैर सरकारी संकल्प पर इतना समय क्यों ले रहे हैं ? आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : यह तो मिथिला के साथ जुल्म है अध्यक्ष महोदय । यह नहीं चलेगा, मैथिली को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता देने का सरकार विचार करे..

अध्यक्ष : मैथिली एकेडमी का गठन किया गया है ।

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : अध्यक्ष महोदय, एक बार और विचार करे । महोदय, एक बार और हम आग्रह करते हैं विजय बाबू से, बिजेन्द्र बाबू भी बगल

में ही हैं, आलोक मेहता भी बगल में ही हैं, फ्रंट लाईनर पूरा मिथिला के हैं, एक बार विचार करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें ।

माननीय मंत्रीजी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (मैथिली का हिन्दी अनुवाद): महोदय, अब हम भी मैथिली में ही बोलते हैं ।

अध्यक्ष : मंत्रीजी, वही जरूरी भी है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : महोदय, अभी जो संजय जी ने कहा, सही बात यह है कि उन्होंने जो एक लाईन में कह दिया कि मैथिली संविधान की अष्टम सूची में शामिल है । यह तो नीतीश कुमार जी की ही देन है कि वाजपेयी जी से कहकर उन्होंने इसको अष्टम सूची में शामिल कराया । दूसरी बात, अष्टम सूची में शामिल कराने के बावजूद मैथिली अकादमी बना, मैथिली साहित्य कितना समृद्ध होगा इसके लिए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतत प्रयत्नशील रही । दूसरी बात है कि अभी जो हमने आपको कहा कि द्वितीय राजभाषा बनाने का कोई विचार नहीं है इससे मैथिली का महत्व कम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैथिली का अपना महत्व, अपना इलाका और प्रभाव क्षेत्र सब जगह सुरक्षित है । महोदय, द्वितीय राजभाषा बना देने की बात की कोई स्थिति भी नहीं बन रही है । इसलिए मैथिली के सम्मान के लिए जो किया जा सकता है वह नीतीश कुमार जी के राज में लगातार हो रहा है । इसलिए माननीय सदस्य इस समय इस प्रस्ताव को वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब वापस ले लीजिए ।

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा चाहिए । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने मैथिली अकादमी की चर्चा की, डेड है, कोई कार्य वहां पर मैथिली का नहीं हो रहा है । महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि नीतीश जी ने अटल जी से करा दिया, तो कराने की शक्ति थी तो करा दिए । जब उनके अपने कलम में पावर है द्वितीय राजभाषा बनाने की तब नीतीश जी नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम सब समझें कि नीतीश जी करा दिए संविधान के अष्टम सूची में..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपने प्रस्ताव को वापस लीजिए ।

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : महोदय, मिथिला के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा...

अध्यक्ष : आप अपना संकल्प वापस लेंगे या नहीं ?

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : महोदय, माँ मैथिली भाषा को संविधान के अष्टम सूची में शामिल करने, सरकार को विचार करना चाहिए । पुनः आग्रह करते हैं एक बार विचार करे । विजय बाबू, आप अजेय अमर हो जायेंगे । ऐसा मत कीजिए , मैथिली को अष्टम अनुसूची में...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने सुझाव दे दिया । अब अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : सर, विचार करवा दीजिए । विजय बाबू, मूड में हैं, बिजेन्द्र बाबू से भी आग्रह करते हैं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिएगा ?

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : माननीय मुख्यमंत्री जी जब अटल जी से कहकर करा दिए और जब अपने कलम में शक्ति है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिएगा ?

श्री संजय सरावगी (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : नहीं सर, यह संभव नहीं है । मैथिली को द्वितीय राजभाषा में मान्यता...

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संविधान की अष्टम सूची में शामिल मैथिली भाषा को राज्य में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करावे ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार, अपना संकल्प पढ़ें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुमत का जोर नहीं दिखाये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह प्रक्रिया है । आपलोग बैठिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (मैथिली का हिन्दी अनुवाद) : अध्यक्ष महोदय, अब आप ही समझिए मैथिली को अपमानित करा कर इनको क्या मिला ? मैथिली भाषा को खारिज करा कर ये क्या पाये ?

अध्यक्ष : भविष्य में फिर कोई भी इस विषय पर चर्चा नहीं कर पायेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब बैठिए । जितना कहना था आप कह दिए ।

माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार ।

टर्न-25/धिरेन्द्र/31.03.2023

क्रमांक-78 : श्री अशोक कुमार, स०वि०स०

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला से गुजर रही बूढ़ी गंडक नदी के बाँए तटबँध के 106.00 कि०मी० से 136.00 कि०मी० में तटबन्ध का ऊँचीकरण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण एवं इसपर ऑलवेदर रोड का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला से होकर गुजर रही बूढ़ी गंडक के बायां तटबंध के किलोमीटर 107 से 118 तक ब्लैकटॉप रोड ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पूर्व से निर्मित है । बूढ़ी गंडक के बायां तटबंध किलोमीटर 118 से 124 तक ब्लैकटॉप रोड निर्माण हेतु वर्ष 2021 में अनापत्ति प्रमाण-पत्र ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, समस्तीपुर को पूर्व से निर्गत है, जिसके आलोक में उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है । बूढ़ी गंडक नदी के बायां तटबंध के किलोमीटर 124 से 126.50 तक ब्लैकटॉप पूर्व से निर्मित है । बूढ़ी गंडक नदी के बायां तटबंध के किलोमीटर 126.50 से 134 (इलमासनगर स्लूईस से बेगमपुर तक) ब्रिक सोलिंग रोड का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में ही कराया गया है तथा तटबंध की शेष लंबाई किलोमीटर 134 से 136 (बेगमपुर से मगरदही घाट तक) मिट्टी का तटबंध है । उसका उपयोग बाढ़ अवधि में तटबंध के निगरानी एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की ढुलाई के लिए विभाग द्वारा किया जाता है । शेष बचे हुए भाग में सड़क निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराने के लिए, बीच-बीच में छोटा-छोटा पैच है वह लगभग दो किलोमीटर का है, कराने हेतु विभागीय पत्रांक-1648, दिनांक-31.03.2023 द्वारा मुख्य अभियंता (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), समस्तीपुर को निदेशित किया गया है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार जी, सरकार के द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई, क्या-क्या कार्य हुए, उसकी पूरी जानकारी आपको दी गई है ।

श्री अशोक कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से अंशत: संतुष्ट हूँ ।

अध्यक्ष : अंशत: ?

श्री अशोक कुमार : जी, महोदय । चूँकि ये बायां तटबंध बहुत पुराना है और बहुत जगह ऐसी स्थिति है, कल भी मैं वहीं था उसी तटबंध से गुजर रहा था, अगर जिनको जानकारी नहीं है तो वह गाड़ी के साथ तटबंध के किनारे से गिर जायेगा, बहुत

अच्छी स्थिति में तटबंध नहीं है, रेनकट बहुत है । मैंने माननीय मंत्री जी से भी एक बार मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि मैं समस्तीपुर चलूँगा और सारी चीजों का निरीक्षण करूँगा तो मैं स्वागत करूँगा कि मंत्री जी समय दें और हमलोग...

अध्यक्ष : अब तो स्वागत कर लिये, अब वापस ले लीजिये ।

श्री अशोक कुमार : महोदय, वापस तो लेना ही है । मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-79 : श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, स॰वि॰स॰</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बिजय सिंह, प्राधिकृत किये गए हैं ।

श्री बिजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं नरेन्द्र कुमार नीरज जी का गैर-सरकारी संकल्प पढ़ता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलान्तर्गत इस्माईलपुर एवं गोपालपुर प्रखंड में विक्रमशीला सेतु से टिनटंगा बिन्द टोली तक गंगा नदी के किनारे निर्मित बांध पर पक्की सड़क निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलांतर्गत विक्रमशीला सेतु के डाउन स्ट्रीम में जाह्नवी चौक से इस्माईलपुर तक 10.12 किलोमीटर में तटबंध का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा इस्माईलपुर से बिन्द टोली तक 8.26 किलोमीटर में तटबंध पूर्व से निर्मित है । इस प्रकार जाह्नवी चौक से बिन्द टोली तक तटबंध की कुल लंबाई 18.38 किलोमीटर है । तटबंध शीर्ष का उपयोग बाढ़ अवधि में किया जाता है । जल संसाधन विभाग द्वारा आम आवागमन के लिए सड़क निर्माण नहीं किया जाता है । यदि कोई और विभाग अनापत्ति पत्र माँगेगा तो जल संसाधन विभाग द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जायेगा । फिलहाल कोई विचार नहीं है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री बिजय सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-80 : श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स०

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार सरकार पिछड़ी जाति की सूची में अनुसूची-2 के क्रम संख्या-20 पर कमलापुरी वैश्य जाति सहित हलवाई, रौनियार, सूढ़ी, पंसारी मोदी जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय पत्रांक-13623, दिनांक-10.09.2015 द्वारा राज्य सरकार के अत्यंत पिछड़ा, पिछड़े-अति पिछड़े वर्गों की सूची प्रचारित की गई है । इस सूची में अत्यंत पिछड़े वर्ग की सूची अनुसूची-1 के क्रमांक-118 पर हलवाई जाति सूचीबद्ध है जबकि पिछड़े वर्ग की सूची अनुसूची-2 के क्रम संख्या-20 पर बनिया के अंतर्गत निम्न प्रविष्टि दर्ज है- बनिया, सूढ़ी, मुरधक, मैरा, रौनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल, एराकी, बिहुता कलवार, कमलापुरी वैश्य, महुरी वैश्य, बंगी वैश्य, बरनवाल, अग्रही वैश्य, वैश्य सपोधार, कसोधन, गंधवृक, बाख वैश्य, गोलदार । इस प्रकार पंसारी एक्ट में जात के रूप में सूचीबद्ध नहीं है अपितु ये दो अलग-अलग पंसारी, मोदी के रूप में प्रविष्टियाँ हैं । जहाँ तक इन्हें केन्द्रीय सूची में शामिल करने से संबंधित प्रस्ताव है इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के किसी जाति, उप जाति को केन्द्रीय ओ०बी०सी० की सूची में शामिल करने संबंधी मामला केन्द्र सरकार के क्षेत्रांतर्गत आता है । इस संदर्भ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली की अनुशंसा के आधार पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा गैर-सरकारी संकल्प यह था कि राज्य सरकार भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे । जिन जातियों का नाम मैंने लिया, इनलोगों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ बहाली में, अन्य सब चीजों में नहीं मिल पाता है, परेशानी होती है । हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि प्रस्ताव भेजने में क्या दिक्कत है ? अगर निर्णय भारत सरकार को लेनी है तो भारत सरकार में हम ही लोगों की सरकार है, हमलोग वहाँ करा लेंगे । आपका जो अपना काम है वह तो कम-से-कम कर दीजिये, इसमें बिहार सरकार को क्या दिक्कत है ? बिहार में इसको आप रखे हुए हैं, भारत सरकार को भेजने मे परेशानी क्या है ?

आप भेज दीजिये, भारत सरकार में हमारी सरकार है, हमलोग इस कार्य को करा लेंगे, आपको दिक्कत क्या है ?

अध्यक्ष : सरकार के द्वारा जो कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार ने सदन को और आपको सूचना दे दी है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह गैर-सरकारी संकल्प है । सरकार के द्वारा जो करना है, सरकार की है । क्या आप अपना प्रस्ताव, जो बोलना था आप बोल लिये, वापस लेना चाहते हैं ?

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आप अभिभावक हैं । इतने अच्छे ढंग से माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार को निर्णय लेना है । अध्यक्ष महोदय, आप अभिभावक हैं...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सुनते नहीं हैं क्या ? महोदय, इनका प्रश्न है कमलापुरी वैश्य जाति सहित हलवाई, रौनियार, सूढ़ी, पंसारी मोदी जाति को केन्द्रीय सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे, ये सब तो सूची में शामिल हैं ही तो कहाँ कोई प्रॉब्लम है ।

अध्यक्ष : ये पहले से ही सूची में शामिल हैं, उन्होंने जो जवाब दिया ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, ये भारत सरकार की लिस्ट में शामिल करने के लिए भेजना है ।

अध्यक्ष : ये तो पहले से ही शामिल हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : नहीं, महोदय । भारत सरकार की सूची में, माननीय मंत्री जी हमलोगों की बात समझ ही नहीं रहे हैं कि हमलोग क्या कहना चाहते हैं । आखिर हमलोगों की बात को समझेंगे तब न, हमलोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हमलोग किसी विषय को खोज कर लाते हैं, कोई संस्था, कोई संगठन अपनी बात को कहता है तो माननीय मंत्री जी जो अभी कह दिये कि भारत सरकार को निर्णय लेना है, जब हमलोग कह रहे हैं कि आप इसे भेज दीजिये, भारत सरकार में हमलोगों की सरकार है, अपनी सरकार है, निर्णय कराने में हम सक्षम हैं तो क्यों भेजने में हिचक रहे हैं । राज्य सरकार तो कम-से-कम अपना काम कर दे, आपके माध्यम से हमलोग यही आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है...

अध्यक्ष : राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी निभा रही है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, राज्य सरकार इन वैश्य समाज के जातियों के साथ अन्याय कर रही है

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये, ले लीजिये वापस ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, आप कह रहे हैं तो मैं अपना प्रस्ताव वापस...

(व्यवधान)

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, भेजने में क्या दिक्कत है ?

अध्यक्ष : सरकार की सूची में ऑलरेडी पहले से है, आप सुन लिये । इसीलिए आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : प्रस्ताव लेने से अच्छा रहेगा, आप अपना प्रस्ताव ले लीजिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं कि आपके संरक्षण की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष : पूर्ण संरक्षण है, इसीलिए आप इतनी देर तक अपनी बात को रखने का काम किये।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि भारत सरकार को निर्णय लेना है, हम यह आग्रह कर रहे हैं कि सदन के सभी सदस्य अगर सहमत हैं तो राज्य सरकार प्रस्ताव भेज दे और अगर असहमत है तो हम वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष : आप इस प्रस्ताव को वापस लीजिये, आपने ध्यान आकृष्ट कर दिया है, सरकार ने अपना जवाब दिया है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश और सरकार से भविष्य में इस पर विचार करने की उम्मीद के साथ हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-26/संगीता/31.03.2023

क्रमांक-81 : श्री सुरेन्द्र मेहता, स0वि0स0

श्री सुरेन्द्र मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड में मानोपुर-रूदौली बलान नदी घाट में पुल निर्माण करावे।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह पुल का है, यह ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : ट्रांसफर कहां है ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, पथ निर्माण विभाग को ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड में मानोपुर-रूदौली बलान नदी घाट पर पुल निर्माण कराने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, ये दो प्रखंडों को जोड़ने वाली पुल है, हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से गंभीरतापूर्वक इसपर विचार करते हुए ध्यान दें । हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-82 : श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0</u>

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें पहचान-पत्र मुहैया करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कराकर पहचान-पत्र मुहैया कराने का एक प्रस्ताव पत्र के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लिखा गया है और वहां पर विचार हो रहा है । अगर नियम अनुसार होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा । वर्तमान में मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : कार्रवाई हो गई है, माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय मंत्री जी को धन्यवाद और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-83 : श्री मनोज कुमार यादव, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-84 : श्री इजहारूल हुसैन, स0वि0स0</u>

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के परलाबाड़ी पंचायत के खरखड़ी घाट में डोक नदी पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह पुल का है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण कार्य का है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, आप ही को देना है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, अभी इस पर कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: मैं माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इस पुल को नापा गया है और चेकलिस्ट भी भेजा गया है और यहां बोला जा रहा है कि कोई प्रस्ताव नहीं है, यह बात समझ में नहीं आ रहा है सर ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री इजहारूल हुसैन : मैं तो वापस लूंगा ही सर, लेकिन इसके लिए कितना दिन से हम लड़ रहे हैं लेकिन यहां बोला जा रहा है कि प्रस्ताव ही नहीं है और वहां पर नापी भी हो गई है और चेकलिस्ट भी जमा हो चुका है ।

अध्यक्ष : आपने आग्रह नहीं किया माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव वापस लेने के लिए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : आग्रह किया है मैंने महोदय । माननीय सदस्य से आग्रह किया हूं कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-85 : श्री सुनील मणि तिवारी, स0वि0स0</u>

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पहाड़पुर प्रखंड के पश्चिमी सिसवा में भुतहाँ बाजार से तिवारी टोला होते हुए टिकुलिया पुल तक सड़क निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ की लंबाई 4.210 किलोमीटर है, इस पथ का सर्वे पी0एम0जी0एस0वाई0, आर0डब्ल्यू0डी0 रोड नियर टिकुलिया पुल से भुतहाँ तिवारी टोला के नाम से छुटे हुए बसावट के अन्तर्गत मोबाइल एप से सर्वे किया गया है जिसका आई0डी0 नंबर-30975 है, तद्नुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अगेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, हम तो प्रस्ताव वापस ले लेंगे लेकिन वह सड़क अति जर्जर स्थिति में है, हम मंत्री महोदय जी से आग्रह करेंगे कि निधि की

उपलब्धता तो हर प्रस्ताव में निधि की उपलब्धता है लेकिन अगर इस वित्तीय वर्ष में आप कर देंगे तो सरकार धन्य होगी और वहां की जनता भी आपको...

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री सुनील मणि तिवारी : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-86 : श्रीमती मीना कुमारी, स0वि0स0

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड अन्तर्गत स्थित बडहरा हॉल्ट को बरदाही स्टेशन में परिणत किये जाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग रेल मंत्रालय को ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के मधुबनी जिलान्तर्गत प्रश्नगत बडहरा हॉल्ट को बरदाही स्टेशन में परिणत किये जाने हेतु रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है । अत: माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव...

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या आपका तो स्वीकृत हो गया । बैठिए न, आप बैठिए ।

(व्यवधान)

नहीं, नहीं हो गया । आपके प्रस्ताव को आप जो चाहती हैं कि भारत सरकार को भेज दिया जाय, तो वह तो स्वीकृत माननीय मंत्री जी ने कर दिया ।

श्रीमती मीना कुमारी : नहीं, अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप धन्यवाद तो दीजिए ।

श्रीमती मीना कुमारी : धन्यवाद दे देते हैं अध्यक्ष महोदय लेकिन झंझारपुर से लौकहा जो बड़ी लाइन अभी बन रही है तो मान लीजिए अभी वह प्रगति पर काम है, इस साल के अंत तक हो जाएगा यदि प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र को देखते हुए उन्हें यदि इसमें जोड़ दिया जाय इस बार तो बहुत...

अध्यक्ष : ठीक है । आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्रीमती मीना कुमारी : इसके साथ ही मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : नहीं, प्रस्ताव वापस नहीं लेना है । यह स्वीकृत हो गया है, ठीक है ।

क्रमांक-87 : श्री रणविजय साहू, स0वि0स0

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री सुमीत कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक-399, दिनांक-16.03.2023 द्वारा की गई है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, यह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की भूमि है ताजपुर । ताजपुर से ही माननीय जननायक साहब विधायक होते थे, मुख्यमंत्री बने और उनके क्षेत्र में अभी तक स्टेडियम का निर्माण नहीं होना अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी तो सक्षम जवाब आपको दे दिए, अब क्या चाहिए, आप धन्यवाद दे दीजिए ।

श्री रणविजय साहू : मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-88 : श्री ललित नारायण मंडल, स0वि0स0

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिला के सुलतानगंज विधान सभा में अवस्थित कमरगंज गांव में स्थित गंगा जल लिफ्ट परियोजना में पम्प की शक्ति को बढ़ाकर सुलतानगंज प्रखंड के रेलवे के दक्षिण पूरे भाग को सिंचाई की व्यवस्था करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पित योजना में 65 एच0पी0, 25 एच0पी0 एवं 20 एच0पी0 के तीन अदद् मोटर पम्प लगे हुए हैं । वर्तमान में 20 एच0पी0 का एक मोटर पम्प कार्यरत है । योजना की वितरणी प्रणाली क्षतिग्रस्त है, यह योजना के जीर्णोद्धार हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराया गया है।

(क्रमशः)

टर्न-27/सुरज/31.03.2023

(क्रमशः)

श्री जयंत राज, मंत्री : विभागीय प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रियाओं के तहत जीर्णोद्धार कार्य कराया जायेगा । जीर्णोद्धार के पश्चात रेलवे के दक्षिण भाग में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मंडल जी प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री ललित नारायण मंडल : धन्यवाद सर । हम चाहते हैं कि 20-25 गांव की सिंचाई हो एक गांव के बदले और हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री शकील अहमद खाँ

श्री राजेश कुमार : महोदय, मुझे ऑथोराईज किया था ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार ।

क्रमांक- 89 : श्री शकील अहमद खाँ, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत कदवा प्रखंड के झौआ व मीनापुर में पथ निर्माण विभाग के पथ पर आर0ओ0बी0 का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत प्रश्नगत स्थल झौआ एवं मीनापुर में आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त कर समीक्षा उपरांत अग्रेसित कार्रवाई की जायेगी । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार : महोदय, इसके साथ ही मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 90 : श्रीमती मंजु अग्रवाल, स0वि0स0

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह गया जिलान्तर्गत प्रखंड शेरघाटी के नगर परिषद स्थित बस स्टैंड का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद शेरघाटी क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड के निर्माण हेतु नगर परिषद शेरघाटी द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से भूमि

उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है । भूमि उपलब्ध होने के उपरांत बस स्टैंड निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : जी अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, शेरघाटी का पत्रांक-177, दिनांक- 22.02.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था । नगर परिषद, शेरघाटी अंतर्गत स्थाई बस स्टैंड निर्माण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक-2279, दिनांक-14.12.2021 द्वारा बस स्टैंड के निर्माण योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है कि उक्त बस स्टैंड का निर्माण करा दिया जायेगा । तो महोदय शेरघाटी अनुमंडल मुख्यालय एवं एन0एच0-2 होने के कारण प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में अधिकतर राज्य की बसों का परिचालन होता है एवं ठहराव होता है । बस स्टैंड नहीं रहने के कारण गड़ियां नेशनल हाइवे पर ही रूकती है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रही हैं ?

श्रीमती मंजु अग्रवाल : और आये दिन दुर्घटना होते रहती है ।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं उतना लंबा पढ़ियेगा तो समय ज्यादा जायेगा ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, मेरा आग्रह है कि यथाशीघ्र स्थाई बस स्टैंड का निर्माण कराया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य डॉ0 संजीव चौरसिया जी के संकल्प को पढ़ने के लिये श्री अरूण कुमार सिन्हा जी प्राधिकृत हैं ।

<u>क्रमांक- 91 : डॉ0 संजीव चौरसिया, स0वि0स0</u>

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना जिला के दीघा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बाबा चौक, इन्द्रपुरी, रवि चौक से राजापुल होते हुये आनंदपुरी नाला तक सड़क के बगल से गुजरने वाले नाला को पाटकर सड़क निर्माण करावे ।"

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में पटना जिले के दीघा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बाबा चौक, इन्द्रपुरी, रवि चौक से राजापुल होते हुये आनंदपुरी नाला तक सड़क के बगल से गुजरने वाले नाला को पाटकर सड़क

निर्माण कराने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, इतना ही आग्रह करते हुये कि अगर प्रस्ताव नहीं है तो प्रस्ताव पर विचार करने का मेरा अनुरोध है । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 92 : श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0</u>

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पुराने ऐतिहासिक शाहाबाद जिला को विभक्त कर नवगठित भोजपुर, रोहतास, बक्सर एवं कैमूर जिलों को मिलाकर शाहाबाद प्रमंडल का गठन तथा उसका मुख्यालय आरा को बनावे ।''

महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि पुराना जवाब से कुछ नया जवाब दीजियेगा ।

अध्यक्ष : अभी पहले जवाब तो सुनिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आपका लगता है कि यह 10वां, 11वां प्रस्ताव है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : वर्षों से है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : लेकिन महोदय मैं फिर वही बात कहूंगा जो भारत...

(व्यवधान)

सुनिये न । नयी बात कह रहा हूं । वर्तमान में भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-93/2019/सी0डी0 दिनांक-02.01.2023 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-65, दिनांक- 25.01.2023 द्वारा प्रशासनिक इकाई की सीमा में दिनांक-23.06.2023 तक परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश है । चूंकि जनगणना चल रही है इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं इतना ही आश्वासन चाहता हूं । वर्षों से मैं यह मामला सदन में उठा रहा हूं...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अभी वापस लीजिये न इसको आगे देखेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : आप इतना ही आश्वासन दे दें । महोदय, आपके माध्यम से आग्रह करते हैं...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अभी जून तक तो स्थगित ही है तो हम क्या करेंगे आश्वासन दे करके ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : ये स्थगन समाप्त हो...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप भी मंत्री रहे हैं...

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : ये स्थगन समाप्त हो तो क्या...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : देखेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : शाहाबाद प्रमंडल बनाने का विचार करेंगे, ऐसा कह दीजिये न ।

अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं देखेंगे तो आप अपना संकल्प वापस ले लीजिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, देखेंगे नहीं होता है, मंत्री जी कह दीजिये न कि तब हम विचार करेंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जब अवधि समाप्त होगी तब विचार किया जायेगा तो आपका भी विचार सन्निहित किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, आप कहेंगे तो वापस ले लेंगे ।

अध्यक्ष : नहीं, हम नहीं कहेंगे आप वापस लीजिये । चूंकि आपने जो बात कहा और मंत्री जी ने उठकर के जवाब भी दे दिया । सकारात्मक रहा जो आप चाहते थे लेकिन नियमानुसार ऐसा होगा तो उस पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : बिजेन्द्र बाबू कभी-कभी पॉजिटिव जवाब दे दिया करते हैं ।

अध्यक्ष : दे रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं । आप माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : जी महोदय, वापस ले रहे हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार रौशन ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : रौशन जी एक मिनट ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मेरा गैर सरकारी संकल्प 58 नंबर पर ही था ।

अध्यक्ष : ठीक है, उस गैर सरकारी संकल्प को भी हम पढ़वा देंगे ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन : हम डॉक्टर के यहां चले गये थे महोदय ।

अध्यक्ष : आप बैठिये न । आपके गैर सरकारी संकल्प को भी हम पढ़वा देंगे ।

माननीय सदस्य मुकेश कुमार रौशन जी ।

क्रमांक- 93 : श्री मुकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न प्रदान करते हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इस सभा द्वारा पूर्व में ही जन नायक कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की सिफारिश सर्वसम्मति से की जा चुकी है । सारा सदन सहमत रहा है और चूंकि इस तरह की सिफारिश पूर्व में ही की जा चुकी है इसलिये माननीय सदस्य से मैं आग्रह करता हूं कि अपने प्रस्ताव को वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस ले लीजिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, एक बार पुनः भेजा जाय चूंकि अभी तो देख ही रहे हैं कि 2024 में चुनाव आने वाला है तो बिहार जब-जब आते हैं ये लोग तो बिहार की बोली लगाकर चले जाते हैं । यहां असत्य की बोली लगायी जाती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नहीं, नहीं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : एक मिनट महोदय...

अध्यक्ष : क्या कहते हैं आप ।

टर्न-28/राहुल/31.03.2023

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, जब भी वे लोग आते हैं बिहार की बोली लगाकर चले जाते हैं कम से कम...

अध्यक्ष : झूठ नहीं असत्य कहिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : असत्य बोलकर चले जाते हैं कभी लाख, कभी करोड़...

अध्यक्ष : आप वापस ले लीजिये । माननीय मंत्री जी आपने तो आग्रह कर ही दिया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से गया है आप अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, एक बार पुनः भेज दिया जाय ।

अध्यक्ष : उससे क्या होगा ? आपने तो पढ़ ही दिया । संकल्प वापस लीजिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : ठीक है महोदय वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार । माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी का संकल्प श्री संजय सरावगी जी पढ़ेंगे ।

क्रमांक-94 : श्री प्रमोद कुमार, स0वि0स0

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि अध्यक्ष महोदय, देखिये...

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से पढ़ता हूं । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सत्याग्रह के चम्पारण के पुराना मुख्यालय मोतिहारी शहर के कचहरी बाईपास पर चयनित भूमि में प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय का नामकरण महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के साथ निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-117, दिनांक-21.04.2022 के द्वारा पूर्वी चम्पारण मोतिहारी जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के नाम के साथ चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है । वर्तमान में नामांकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, चम्पारण बापू की धरती रही है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और वहां मेडिकल कॉलेज बन रहा है, माननीय मंत्री जी ने...

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री संजय सरावगी : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वहां मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल गयी है । स्वीकृत्यादेश भी मिल गया है तो मैं सरकार से, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इससे अच्छा और बड़ा नाम क्या हो सकता है जो बापू के नाम से वह मेडिकल कॉलेज हो तो इसमें सरकार को यह प्रस्ताव मानने में, पारित करने में दिक्कत क्या है ? बापू का, महात्मा गांधी जी का इतना बड़ा नाम है उस नाम से वह मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए चम्पारण की धरती मोतिहारी में वह मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो सरकार को जरूर इस पर विचार भी करना चाहिए और इस प्रस्ताव को स्वीकृति भी देनी चाहिए मेरा यह आग्रह है अध्यक्ष महोदय ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, चूंकि दिनांक-21.04.2022 को प्रस्ताव ऑलरेडी जिसका नामकरण हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा देश में गांधी जी का हितैषी कौन है और बिहार में गांधी जी के नाम से कई चीज उन्होंने खोल रखी

हैं । अब चूंकि यहां हो गया है अब संजय जी का हमेशा एक रहता है कि किसी के नाम से हो तो उसको काटकर अब जैसे यूपी में कई शहरों का नाम बदला तो वह प्रस्ताव यहां ऑलरेडी जब हो गया तो उसको कैसे वापस लिया जा सकता है । अत: मैं आग्रह करता हूं कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझा नहीं किनके नाम से हो गया ।

अध्यक्ष : सरकार के द्वारा पूर्व से मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निर्णय ले लिया गया है और नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण स्वीकृत नहीं है । इसलिए वे कह रहे हैं कि नामकरण की चर्चा नहीं है आप अपना संकल्प वापस लें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, जब नामकरण हो तो बापू के नाम से वह मेडिकल कॉलेज जाना जाये मेरा यही आग्रह है और मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-95 : श्री राजेश कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड अन्तर्गत अमरा तालाब से नहौना होते हुए बभनपुरवा तक 08 कि0मी0 जर्जर सड़क को बनावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 अन्तर्गत प्राप्त है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क 20 वर्षों से गड्ढों में तब्दील हो गयी है, रास्ता है ही नहीं और यह सड़क करीब 25 गांवों को जोड़ती है तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको जल्द से जल्द करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : आग्रह करके कहिये कि हम संकल्प वापस लेते हैं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : संकल्प वापस लेते हैं महोदय ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-96 : श्री अली अशरफ सिद्दिकी, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-97 : श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत मैनाटॉड़ प्रखंड मुख्यालय को मर्जदवा स्टेशन से जोड़ने के लिए हाजमा टोला के पास हरपत बैनी नदी पर एप्रोच रोड एवं पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अवस्थित पुल की लंबाई 15 मीटर है जो बहुत पूर्व से निर्मित है । यह पुल हल्के वाहन के आवागमन के लायक है । पुल के दोनों तरफ पहुंच पथ निजी जमीन में पड़ता है । कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल नरकटियागंज के पत्रांक-2498, दिनांक-23. 11.2021 के पत्रांक-576, दिनांक-17.03.2023 के द्वारा अंचलाधिकारी, मैनाटॉड़ को पहुंच पथ में निजी भूमि की मापी हेतु पत्र लिखा गया है । इसकी प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियांगज एवं जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चंपारण, बेतिया को दी गयी है । अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् पहुंच पथ निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य से प्रस्ताव वापस लेने के लिए कह दीजिये ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, थोड़ा और है अभी । उक्त पुल-सह-पहुंच पथ के दोनों तरफ की बसावट एवं मर्जदवा स्टेशन के विभिन्न अन्य निर्मित पथों से संपर्कता प्राप्त है । प्रश्नाधीन पुल के एक तरफ बसावट मंझरिया को पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत मर्जदवा से बलरामपुर पथ की संपर्कता प्राप्त है जो मर्जदवा रेलवे स्टेशन को भी जोड़ती है । पुल स्थल के दूसरी तरफ बसावट फकुहवा ग्राम एवं हजमा टोला पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत मैनाटॉड़ से फकुहवा पथ की संपर्कता प्राप्त है । पुल के अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्रमशः 3 किलोमीटर एवं 2.5 किलोमीटर पर पुल निर्मित है । अतः पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, वह पुल सबसे जरूरी पुल था जो मर्जदवा स्टेशन के लिए मैनाटॉड़ प्रखंड मुख्यालय को जोड़ता था और वहां ठेकेदार के द्वारा दूसरी जगह पुल बना दिया गया जो बेकार है और पूरे तौर से जो एप्रोच पथ बनाने का मामला आया वह पूरा सांप्रदायिक रंग ले लिया जिसके चलते वह पूल बेकार पड़ गया । जहां आरेखन था वहां नहीं बनाया गया और इसके लिए हम

शून्यकाल से लेकर, निवेदन और पिछले साल प्रश्नोत्तर काल में भी हमने यह सवाल उठाया था । प्रश्नोत्तर काल में सरकार ने जवाब दिया था । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्नोत्तर काल में पिछले साल आश्वासन दिया गया कि वह जमीन सतत लीज पर लेकर के पुल को चालू किया जायेगा...

अध्यक्ष : वस्तुस्थिति की जानकारी माननीय मंत्री जी ने दे दी है आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : तो कुल मिलाकर पूरे काम को लटकाये रखना है, विभाग को जनता के पक्ष को नहीं देखना है । हम यह कहना चाहते हैं कि वह सबसे महत्वपूर्ण पुल था और फिर उसका गोलमटोल जवाब देते हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं है, वहां एक साम्प्रदायिक माहौल बन जाता है एप्रौच पथ बनाने को लेकर के तो वे करेंगे नहीं और दूसरा वहां पुल बनायेंगे नहीं तो कुल मिलकर आपको जनता के पक्ष को सुनना नहीं है...

अध्यक्ष : वस्तुस्थिति की जानकारी माननीय मंत्री जी ने दे दी है आप अपना संकल्प वापस लीजिये ताकि यह जिंदा रहे ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : जनता के पक्ष में कोई बात नहीं बोली जाय, इसका मतलब तो यही होता है कि जनपक्ष में कोई सवाल नहीं किया जाय...

अध्यक्ष : आप वापस लेंगे या वोटिंग कराना चाहते हैं ?

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : लगातार सवाल उठाने पर, हर तरीके से सवाल उठाने पर वह मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है...

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस लीजियेगा या नहीं ? दो बातों में एक कहिये ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : आपका आदेश है तो वापस लेंगे लेकिन सरकार को इस पर सोचना, यह जनपक्षीय सरकार है इसलिए सोचना चाहिए...

अध्यक्ष : आपने अपनी बात रख दी, सरकार ने सुन लिया अब दूसरे को भी सुनिये । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-29/मुकुल/31.03.2023

<u>क्रमांक-98 : श्री महा नंद सिंह, स0वि0स0</u>

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अरवल जिला के ऐतिहासिक स्थल अरवल प्रखण्ड के जनकपुर धाम, शाही मोहल्ला स्थित मजार, कलेर प्रखंड के मधुश्रवां समेत जिले के अन्य ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करते हुए उक्त स्थलों को विकसित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपने गैर सरकारी संकल्प में जो लिखा है उससे भी इधर-उधर करके आप पढ़ दिये हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ।

माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा बिहार में अवस्थित पर्यटकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थलों का चरणबद्ध तरीके से विकास किया जा रहा है । पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्रवाई नहीं की जाती है । जिला पदाधिकारी, अरवल से उक्त स्थल से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गयी है, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, महानंद सिंह जी आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी से तीनों जगहों का ये पूरा प्रतिवेदन वहां से आ गया है महोदय जिलाधिकारी द्वारा । मैं समझता हूं कि जो पर्यटन विभाग द्वारा इनको अद्यतन रिपोर्ट जो दी गई है वह अद्यतन रिपोर्ट नहीं मिली है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए कि इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-99 : श्री मो0 कामरान, स0वि0स0</u>

श्री मो0 कामरान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला के रोह एवं कौआकोल प्रखंड को बिजली की समस्या से निजात दिलाने हेतु रोह एवं कौआकोल के बीच में सुपर पावर ग्रिड का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि सुपर ग्रिड क्या होता है ।

श्री मो0 कामरान : माननीय मंत्री जी, सॉरी-सॉरी पावर ग्रिड ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य, आप पावर ग्रिड और सुपर ग्रिड में अंतर नहीं समझते हैं, सुपर ग्रिड कुछ होता ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलान्तर्गत बी0एस0पी0टी0सी0एल0 के दो ग्रिड उपकेन्द्र, नवादा एवं वारसलीगंज और बी0जी0सी0एल0 के एक ग्रिड उपकेन्द्र नरहट से नवादा जिला को विद्युत आपूर्ति की जा रही है एवं वर्तमान रोह से कौआकोल

के बीच में नया ग्रिड उपकेन्द्र निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री मो0 कामरान : अध्यक्ष महोदय, मैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि इसका सर्वे करा लिया जाय, अगर लगे कि मेरी मांग उचित है तो इस पर विचार किया जाय । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-100 : श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पटना के डाक बंगला चौराहा का नामकरण महान समाजवादी नेता जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पटना शहर के डाक बंगला चौराहे का नामकरण महान समाजवादी नेता जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है । लेकिन महोदय, भविष्य में कभी विचार किया जा सकता है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान गांधी जी का रहा और भारत के संविधान के निर्माण में जो योगदान डॉ0 भीम राव अम्बेडकर जी का रहा है उससे कम योगदान जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी का, बिहार के शोषितों, पीड़ितों, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए उससे कम नहीं रहा है ऐसे नेता के नाम से । महोदय, मैंने आसमान के चांद-तारे नहीं मांगे हैं और भविष्य के लिए कोई मसला या कठिनाई भी नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा लेकिन जरा एक बार सरकार से...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने तो कह ही दिया है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भविष्य की बात कही है और मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं ।

अध्यक्ष : भविष्य के बारे में आदमी को सोचने की जरूरत जब होगी तो देखा जायेगा उस समय ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हो जायेगा तो अच्छा रहेगा, मैंने चांद-तारे नहीं मांगा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ईमान साहब, समय की बहुत कमी है, आप अपना स्थान ग्रहण करें और अपने संकल्प को वापस ले लें ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, बस यही विनती है कि वह भविष्य बहुत जल्दी आ जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दुआ कीजिए कि वह भविष्य जल्दी आये ।

सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-101 : श्री छोटे लाल राय, स0वि0स0

अध्यक्ष : इसके लिए माननीय सदस्य श्री छोटे लाल राय ने डॉ0 सत्येन्द्र यादव को प्राधिकृत किया है ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-102 : श्री उमाकांत सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-103 : श्री विजय कुमार, स0वि0स0

श्री विजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शेखपुरा जिला अन्तर्गत शेखपुरा रेलवे स्टेशन से दक्षिण शेखपुरा-शाहपुर एम0डी0आर0 पथ हसलगंज रेलवे-गुमटी से लेकर शेखपुरा-चेवाड़ा रोड एन0एच0-333 'ए' रेलवे-गुमटी तक बाइपास सड़क का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शेखपुरा जिलान्तर्गत प्रश्नगत स्थल हसलगंज रेलवे-गुमटी से शेखपुरा-चेवाड़ा रोड एन0एच0-333 'ए' तक बाइपास निर्माण तकनीकी साधन-संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुसार विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना संकल्प वापस ले लीजिए ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए । यह सड़क बोधगया, राजगीर, पावापुरी एवं नालंदा जैसी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल को जोड़ती है जिसमें जैन मंदिर,

लछवार, जमुई, बाबा बैद्यनाथ नाथ धाम, देवघर को प्रत्येक दिन घंटों-घंटों जाने वाली आवागमन वह बाधित होता है । वहां पर हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है इस मुख्य सड़क पर आम दिनों में हजारों की संख्या में बड़ी एवं छोटी गाड़ियों का आवागमन भी होता है । इस सड़क पर रेलवे स्टेशन भी है, बाजार एवं बस स्टेंड अवस्थित है । अत: महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि जनहित में वहां पर बाइपास का निर्माण जरूरी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी । माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी तो आपको सब कुछ स्पष्ट बोल दिये हैं, अब आपको कहना चाहिए था कि मैं अपना संकल्प वापस ले रहा हूं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य को तो कहा ही है कि साधन-संसाधन उपलब्धता हो जाती है तो हम विचार करेंगे ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-104 : श्री अमर कुमार पासवान, स0वि0स0</u>

श्री अमर कुमार पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जिला मुजफ्फरपुर के बोचहां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एन0एच0-57 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के गरहां चौक एवं मझौली चौक पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-27 पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-57 का निर्माण एवं रख-रखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है । गरहां चौक एवं मझौली चौक पर भी0यू0पी0 के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है तथा संवेदक के चयनोपरांत कार्य को प्रारंभ कर दिया जायेगा । भी0यू0पी0 के निर्माण होने के उपरांत आम जनता की सड़क इस पार से उस पार आवागमन सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगा फुट ओवर ब्रिज की आवश्कता नहीं पड़ेगी । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि ये अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अमर कुमार पासवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अनुरोध है कि आपदा विभाग के द्वारा यहां पर मृतक के लाभुकों को जो चेक मिलता है उसके उपरांत अगर हमलोग यहां पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करवा लेते हैं तो इस पर हमलोगों को बहुत...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

श्री अमर कुमार पासवान : अध्यक्ष महोदय, हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-105 : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने श्री ऋषि कुमार को प्राधिकृत किया है ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह जी का गैर सरकारी संकल्प इस प्रकार है । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला अन्तर्गत सोननगर में वरूण दाउदनगर पथ पर रेलवे अंडरपास के ऊपर फ्लाई-ओवर का निर्माण कराने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे ।''

टर्न-30/यानपति/31.03.2023

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलांतर्गत प्रश्नगत पथ वरूण दाउदनगर पथ पर रेलवे अंडरपास के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण हेतु पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर से अनुरोध किया गया है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्रमांक-106 : श्री राजेश कुमार, स0वि0स0

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड अंतर्गत पौराणिक एवं आध्यात्मिक महत्व की पुनपुन नदी के उद्गम स्थल 'कुण्डपर', टंडवा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के 'पुनपुन महोत्सव' को सरकारी स्तर से महोत्सव आयोजित करावे ।''

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष-2023 का यह सांस्कृतिक कैलेंडर निर्गत किया जा चुका है । उक्त निर्गत सांस्कृतिक कैलेंडर में

पुनपुन महोत्सव शामिल नहीं है । अगले वर्ष के सांस्कृतिक कैलेंडर में पुनपुन महोत्सव को शामिल करने के पश्चात् इसका आयोजन कराया जा सकेगा । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस लें ।

श्री राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह जो पुनपुन नदी है वह मेरे कुटुंबा विधान सभा क्षेत्र टांडवा से है और वहां से यह उद्गम स्थल है । अब हर साल जनता वहां अपने खर्च से करती है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कि अगले साल से यह राशि आवंटन करा दें और राजकीय मेला के तौर पर जैसे हो अन्य महोत्सव हो रहा है और इसी के साथ अपना संकल्प वापस लेता हूं, धन्यवाद ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-107 : श्री राकेश कुमार रौशन, स0वि0स0

श्री राकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड में पैमार सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी नहर की खुदाई करावे ।''

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर प्रखंड के मालिसड ग्राम में पैमार नदी पर पैमार सिंचाई योजनांतर्गत बराज निर्मित है, पैमार सिंचाई योजना के बांये मुख्य नहर प्रणाली से इस्लामपुर प्रखंड में 2980 हेक्टेयर क्षेत्र निर्धारित सिंचन लक्ष्य के विरुद्ध खरीफ वर्ष-2022 में 21 सौ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है । वर्तमान में नहरों में सामान्य संपोषण आकस्मिक मजदूरों से आवश्यकतानुसार कार्य कराकर नहरों में जलस्राव उपलब्ध कराया गया है, विभागीय पत्रांक-510, दिनांक-28 मार्च, 2023 द्वारा मुख्य अभियंता सिंचाई सृजन नालंदा बिहार शरीफ को बायां मुख्य नहर प्रणाली का सर्वेक्षण कर अपेक्षित कार्य खरीफ सिंचाई 2023 के पूर्व कराने हेतु निदेशित किया गया है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कार्रवाई हो गई है । आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री राकेश कुमार रौशन: महोदय, मैं प्रस्ताव वापस ले रहा हूं लेकिन एक थोड़ा सा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि जिस पत्र का इन्होंने हवाला दिया है महोदय उस पत्र के माध्यम से अभीतक न कोई सर्वे किया गया है और खरीफ का फसल भी आनेवाला है, सरकार की प्राथमिकता है महोदय कि हर खेत तक पानी पहुंचे । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह जो मुख्य अभियंता के पत्र

का रेफरेंस दे रहे हैं कबतक खुदाई का काम शुरू हो जाएगा । मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं महोदय ।

अध्यक्ष: आपने अपनी बात को रख दिया, अब मैं यही कहूंगा कि बात रख देने के बाद कहा जाता है ।

श्री राकेश कुमार रौशन: हां तो मैं प्रस्ताव वापस ले रहा हूं महोदय सिर्फ माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि कितने दिन में हो जाएगा ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-108 : श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-109 : डॉ0 रामचन्द्र प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामचन्द्र प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार के विद्यालयों में सेवा दे रहे रात्रि प्रहरियों का बकाया वेतन का भुगतान करावे ।''

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालयों में अधिष्ठापित उपस्कर प्रयोगशाला, क्रीड़ा सामग्री कंप्यूटर आदि सहित बिहार उन्नयन योजना अंतर्गत स्मार्ट क्लास हेतु उपलब्ध कराये गये टेलीविजन, कंप्यूटर आदि उपकरणों की सुरक्षा हेतु रात्रि प्रहरी को अस्थायी रूप से 5000 रुपये के मासिक मानदेय पर रखा गया है । मार्च-2023 तक 54 करोड़ 34 लाख 3 हजार 200 रुपये भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-167, दिनांक- 16.02.2023 निर्गत है वेतन भुगतान की कार्रवाई इसी वित्तीय वर्ष में कर दी जाएगी महोदय । इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 रामचन्द्र प्रसाद: मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-110 : श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-111 : श्री अजय यादव, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-112 : श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक-113 : श्री भीम कुमार सिंह, स0वि0स0

श्री भीम कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत गोह प्रखंड के ग्राम शेखपुरा में मदार नदी एवं पुनपुन नदी के संगम तट पर लगने वाले प्राचीन भृगुराही मेला पर्यटन स्थल एवं राजकीय मेला घोषित करावे ।"

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री: महोदय, यह प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को स्थानांतरित है, अभी-अभी मिला है लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं माननीय सदस्य को कि इसकी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया और क्राईटेरिया उन तमाम चीजों को देखकर सरकार भविष्य में इसपर विचार करेगी । इसलिए मैं आग्रह करता हूं माननीय सदस्य से कि अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री भीम कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह हमारे जिला औरंगाबाद का बहुत ही प्राचीन मंदिर और दो महान नदियों का संगम है । यहां लाखों लोगों का मेला लगता है साल में दो बार इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको अपने स्तर से दिखवा कर के इसको विकसित करने का कार्य करें । अत: मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-114 : श्री विजय कुमार सिन्हा, स0वि0स0

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी में माता जानकी के जन्म स्थल को अयोध्या की तरह विकसित करावे ।"

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार में पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य किया जा रहा है । इसके तहत पर्यटन विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य किए गए हैं । वित्तीय वर्ष-2007-08 में माता जानकी स्थान पुनौराधाम सीतामढ़ी के विकास हेतु 20 लाख रुपये, वित्तीय वर्ष-2009-10 में मां जानकी जन्मस्थली पुनौरा मंदिर कालेश्वर स्थान के लिए 1 करोड़ 8 लाख, वित्तीय वर्ष-2009-10 में होटल जानकी विहार के निर्माण हेतु 1 करोड़ 84 लाख, वित्तीय वर्ष-2011-12 में पुनौराधाम में खुले प्रवचन हॉल सीतामढ़ी के विकास हेतु 2 करोड़ 70 लाख ।

(क्रमश:)

टर्न-31/अंजली/31.03.2023

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री (क्रमशः) : महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में पुनौरा धाम पर्यटकीय सुविधा विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य हेतु 9 करोड़ 17 लाख रुपये की योजना का क्रियान्वयन किया गया है । उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सरकार सीतामढ़ी में माता जानकी की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु कृतसंकल्पित है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माँ सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी का विकास अयोध्या धाम की तर्ज पर कराने पर हमलोग न केवल अपने आध्यात्मिक विरासत से भावी पीढ़ियों को अवगत करा पायेंगे बल्कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा । महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य में रामायण सर्किट के विकास पर तेजी से काम हो रहा है । ऐसे में माँ जानकी की जन्मस्थली का विकसित न होना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी । हम भी भारत सरकार से इसके विकास के लिए बात कर रहे हैं । महोदय, बिहार सरकार जो कर रही है मैंने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर और मैं इस सदन को और आपको जानकारी दे दूं कि भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना की शुरुआत की और इसके तहत भारत सरकार द्वारा सीतामढ़ी पुनौरा धाम को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास हेतु दो-दो बार स्टेट से प्रस्ताव मांगा गया है, दो-दो बार प्रस्ताव मांगा गया है लेकिन दुख की बात है कि राज्य सरकार ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा है । महोदय, राज्य सरकार को सीतामढ़ी और सीता धाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने में क्या प्रॉब्लम है ? यदि नहीं प्रॉब्लम है तो सरकार बताए कि वह प्रस्ताव कब तक भेज देगी ? महोदय, अयोध्या की तर्ज पर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह पर्यटक स्थल के रूप में ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक धरोहर के रूप में, यह शक्ति की भूमि है, माँ जानकी का स्थल है । महोदय, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि बिहार के अंदर एक त्रिकोण है, एक शक्ति की भूमि माँ जानकी है, भक्ति की भूमि पटन देवी है और मुक्ति की भूमि देवी मंगला गौरी है । महोदय, बिहार सरकार को क्यों उदासीनता है, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि जब अयोध्या के स्तर पर वहां की ट्रस्ट सीतामढ़ी को ले रही है और प्रस्ताव भारत सरकार ने यहां से प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है तो फिर क्या आपत्ति है भेजने में, तीन महीने से रुका हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैं इसमें रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्री संजय कुमार झा जी ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैं और मुख्यमंत्री जी पुनौरा धाम गए थे संयोग की बात है मैं भी उनके साथ गया था और जब वहां गए और माँ सीता के जन्म स्थान को जानकी नौवीं को राजकीय जो स्टेट की छुट्टी हो वह भी इसी सरकार श्री नीतीश कुमार जी ने किया, जिस जानकी की बात आप कर रहे हैं और पुनौरा धाम का विकास हो, वे पर्सनली वहां पर गए, एक-एक चीज को देखे वहां पर और जो बता रहे हैं माननीय मंत्री जी 9 करोड़ या जो भी उस समय वहां पर डिमांड हुआ वह सारा पैसा...

अध्यक्ष : ईयर वाइज बता रहे थे ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, हां बता रहे हैं वह पैसा दिया गया । ऐसा कोई प्रस्ताव मांगा गया होगा, मुझे जानकारी नहीं है, अगर प्रस्ताव आया होगा तो जरूर कोई न कोई वह जानकारी देंगे लेकिन सीता माता का पुनौरा धाम विकसित हो उसके लिए मुख्यमंत्री जी खुद दृढ़ संकल्पित हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता दें कि क्या भारत सरकार से प्रस्ताव मांगा गया है ? महोदय, अभी इन्होंने सवाल उठाया है कि मांगा गया है कि नहीं । महोदय, पर्यटन मंत्री बता दें ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो दो-दो पत्र भेजा है उसके पत्रांक और दिनांक जरा आप बता दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं माननीय मंत्री जी बता दें कि प्रस्ताव आया है कि नहीं आया ?

अध्यक्ष : आपके पास है ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आसन का संरक्षण मिलना चाहिए..

अध्यक्ष : संरक्षण दे रहे हैं आप पूछें । कह दीजिएगा तो उनको कहा जाएगा कि उसको भेज दें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, सरकार को कहने दें न हां या न का ?

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, बिहार गरीब राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री सीता माता के साथ-साथ गरीब के बच्चों का स्कूल, हेल्थ सारी चीजों की माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं और ध्यान देते हैं । भारत सरकार से अगर कोई प्रस्ताव आया है, आपको जानकारी है वह पत्र हमें दिखा दीजिए, हमें भिजवा दीजिए उसके बाद फिर हमलोग विचार करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये-सुनिये, एक बात सुन लीजिए, यह गैर सरकारी संकल्प है । दे दीजिए, आप ले लीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपने खुद मांगा है पत्र और...

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, मांगा नहीं, आपसे मांगे हैं उनसे नहीं मांगे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, हमारे सदस्य हैं, हमारे सहयोगी हैं ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, गैर सरकारी संकल्प में ऐसा नहीं होता है । आप पुराने सदस्य हैं । अच्छा आप बताइए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, यह सरकार का ही जवाब है ।

अध्यक्ष : जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, यह मेरा नहीं है । अब सुन लीजिए, प्रसाद योजनान्तर्गत पुनौरा धाम सीतामढ़ी के विकास हेतु अक्टूबर, 2022 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुतीकरण भेजा गया था, नवंबर..

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अगर आपको प्राप्त है हमें मुहैया करा दीजिए ।

अध्यक्ष : मैंने भी यही कहा कि पत्रांक, दिनांक के बारे में मैंने इनसे कहा ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, हम देखेंगे उसपर विचार करेंगे । इसमें सदन को पढ़कर और सुनाकर समय बर्बाद करने का क्या मतलब हुआ । आप पत्र हमें दे दीजिए । आप पत्र हमें मुहैया करा दीजिए । सरकार विचार करेगी । आप भेज दीजिए न, मैंने कहा कि सरकार विचार करेगी, आप हमको दे दीजिए उस पत्र को ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, हद हो गई, यह जवाब आपका है । आप ही का जवाब है । आप सुबह जवाब दिये हैं ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : हां तो दे दीजिए न । अभी मेरे पास नहीं है वह दे दीजिए हमको ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, सदन पटल पर रख दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, हम दे देते हैं । आप ही का जवाब है और आपके विभाग को पता नहीं है, गंभीरता नहीं दिखाई पड़ती है सरकार की ।

अध्यक्ष : अब बातें हो गईं आपसे, सरकार से आप प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, इसके विकास अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास बिहार के गौरव गाथा का इतिहास को बढ़ाने के लिए मंत्री जी की गंभीरता और आसन के आश्वासन के आलोक में वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

(व्यवधान)

आप शांति बनाये रखें । मुन्ना जी नहीं ।

<u>क्रमांक-115 : श्री रामविलास कामत, स0वि0स0</u>

श्री रामविलास कामत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सुपौल जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर से कमलपुर जाने वाली P.W.D. पथ जो मेडिकल कॉलेज सहित एन0एच0-106 एवं एन0एच0-327 ए को जोड़नेवाली महत्वपूर्ण पथ का चौड़ीकरण कार्य करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सुपौल जिलान्तर्गत प्रश्नगत पथ किशनपुर, कमलपुर पथ का चौड़ीकरण तकनीकी संभाव्यता संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप विचार किया जायेगा ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़क है काफी महत्वपूर्ण है । पिपरा विधान सभा के दो प्रखंड मुख्यालय को यह सड़क जोड़ती है, इसी सड़क पर मेडिकल कॉलेज भी प्रस्तावित है और अध्यक्ष महोदय, एन0एच0-327 ए और एन0एच0-106 को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क है, हमेशा इस पर जाम लगा रहता है, दो प्रखंड मुख्यालय को भी जोड़ता है । एस0सी0/एस0टी0 जो आवासीय विद्यालय है उसको भी यह सड़क जोड़ती है, इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं...

अध्यक्ष : आप संकल्प वापस लीजिए ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में इसके चौड़ीकरण का काम करा दें मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है । सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-116 : श्री रामप्रवेश राय, स0वि0स0</u>

(अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-117 : श्री रामवृक्ष सदा, स0वि0स0</u>

श्री रामवृक्ष सदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के रामपुर पंचायत में कोसी नदी में गडघाट पर पुल का निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग को ट्रांसफर है, पुल का है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग । मैं तो पुकारूंगा आप ही को, आप भले ही कहिए कि वहां चला गया है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ अलौली बसावट है जिसमें एम0आर0-3054 अंतर्गत मरम्मती किये गये हैं । अलौली से छरापट्टी पथ से संपर्कता प्राप्त है । दूसरी तरफ परास मुशहरी है जिससे पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित पथ अनंतपुर से परास मुशहरी से संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ योग्य बसावट को संपर्कता प्राप्त रहने के कारण इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री रामवृक्ष सदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस पुल के बारे में, गडघाट के बारे में हमलोग बोल रहे हैं वह दो जिला सहरसा जिला और दरभंगा जिला और खगड़िया जिला उसके बीच में है जो आपके कैबिनेट से निर्णय हुआ है टेंगराहा पुल के, गडघाट पुल अगर नहीं बनता है इधर शुरू में तो उस पुल का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा । वह कोसी नदी का पुल है और जो शुरू का कोसी नदी है वह अलौली से टच करती है जहां गडघाट पर पुल बनना अति आवश्यक है और 16-17 पंचायत की जनता की मांग है कि वहां पुल बनें । हम माननीय मंत्री जी से एक बार और आग्रह करेंगे कि कम से कम डी0पी0आर0 भी तैयार करवाने का निर्देश दें ।

अध्यक्ष : अपना प्रस्ताव वापस लीजिए । बोलिए कि ले रहे हैं ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, हम एक बार और माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से...

अध्यक्ष : अब कोई बात नहीं, आपने आग्रह किया, सरकार और मंत्री ने जवाब दे दिया है आप संतुष्ट होइए, अपना संकल्प पहले वापस लेने की बात कहिए ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

टर्न-32/सत्येन्द्र/31-03-23

क्रमांक- 118 : श्री आलोक रंजन, स0वि0स0

श्री आलोक रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा हवाई अड्डा को उड़ान योजना में सम्मिलित करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे ।"

अध्यक्ष: मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: बिहार सरकार ने जो भारत सरकार के नागरिक विमानन मंत्रालय के साथ एम0ओ0यू0 साईन किया है, उसमें जो बिहार के हवाई अड्डों को विकसित करने की सूची है, उसमें अनुशंसा सहरसा की भी है लेकिन वहां जो अभी की स्थिति है, जो जानकारी दी गयी है कि 2750 फीट ही रनवे का लेंथ है इसलिए वे लोग इस पर आगे की कार्रवाई कर नहीं रहे हैं । जहां इससे अधिक भी रहता है वे लोग बिड में डालते हैं तो कोई सिविल एवियेशन एजेंसी या कोई भी एजेंसी जो है वह बिड करता नहीं है । बिहार सरकार को कोई एतराज नहीं है, हमलोगों ने तो जो आर0सी0एस0 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में जो उड़ान योजना है उसमें हमलोगों ने तो अनुशंसा की ही है और अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो फिर अनुशंसा कर देंगे । भारत सरकार आपकी सरकार है, करा लीजिये । हमलोगों को कहां दिक्कत है इसलिए अभी इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिये ।

श्री आलोक रंजन: महोदय, सहरसा जो है पुराना प्रमंडलीय मुख्यालय है और सहरसा के बगल में महोदय विकास हो जाता है और सहरसा के विषय पर कहीं न कहीं लगता है राज्य सरकार से प्रस्ताव छूट जाता है इसलिए महोदय और सहरसा जो जगह है, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीक भी है, सुरक्षा के दृष्टि से भी यदि महोदय वहां पर एयरपोर्ट होगा तो उसका लाभ होगा इसलिए मेरा राज्य सरकार से, महोदय, दो-दो पत्र राज्य सरकार की तरफ से जिला को गया है उसका वहां से भेजा नहीं जा रहा है, हां कितना है और कितना हमको लेना है। हमारे पास निदेशक का पत्र है, 2011 का महोदय, माननीय मंत्री जी सुन रहे हैं और उसमें मांगा गया था कि कितना हमलोगों को लेना पड़ेगा उसका पूरा विस्तार से भेजिये । अभी तक महोदय उस पर कुछ नहीं हुआ तो मेरा आग्रह है महोदय माननीय मंत्री जी से कि सहरसा जो प्रमंडलीय मुख्यालय है यदि वहां पर एयरपोर्ट का विकास हो जायेगा तो उससे उस क्षेत्र का विकास हो जायेगा इसलिए माननीय मंत्री जी सहरसा को प्राथमिकता के तौर पर देखते हुए यह आश्वासन दें कि नहीं, सहरसा को प्राथमिकता लिस्ट में रखेंगे अभी तक बगल के पूर्णिया प्राथमिकता में जाता है दरभंगा में जाता है तो वहां

खुल भी गया । हमारा किसी पर आपत्ति नहीं है सब जगह खुले लेकिन सहरसा को भी उस प्राथमिकता में मंत्री जी रखें । ये मेरा आग्रह है महोदय ।

अध्यक्ष: आपने आग्रह कर दिया ,अब प्रस्ताव तो वापस लीजिये । आपने कह दिया, वे तो सब बात आपका कह दिये हैं।

श्री आलोक रंजन: मंत्री जी कह दें महोदय, एकबार आग्रह है महोदय ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: महोदय, हम तो कह दिये कि हमलोग तो चाहते ही है । उन्होंने कहा कि हमलोग तो सहरसा का हवाई तार जोड़ ही देते हैं जहां से कट जाता है उस पर न ध्यान दीजिये। हमलोग तो तार जोड़ते हैं, कटता कहीं से है और ये उसका सुधार कहीं से कराना चाहते हैं । अब सवाल है कि 2700 फीट ही रनवे का लेंथ है उस पर और अधिक चाहिए ही नहीं, सारा मापदंड तो सिविल विमानन मंत्रालय जो भारत सरकार की है वह ही तय करती है न, आप वहां से भी रिलैक्स कराकर जो है हमलोगों को एक एयरपोर्ट बढ़ जायेगा तो यहां के लोगों को सुविधा मिलेगी और सरकार को खुशी होगी इसलिए आप अभी प्रस्ताव वापस ले लीजिये बाकी फिर आपसे बात कर के जो चीज होगा किया जायेगा ।

श्री आलोक रंजन: मंत्री महोदय के सकारात्मक उत्तर के तहत अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-119 : श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0</u>

श्री सुधांशु शेखर: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

‘‘ यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के हरलाखी एवं मधवापुर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करावे ।’’

अध्यक्ष: माननीय मंत्री,कला संस्कृति विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्र्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है। मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी प्रखंड के मौजा कमतौल थाना संख्या 22 में फुटवॉल 200 मीटर ट्रैकयुक्त स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1/57-545 दिनांक 13-03-2023 को द्वारा दी जा चुकी है। मधवापुर प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय, सलेकपुर खाता 1120 खेसरा 8379 रकवा एक एकड़ पैंतालीस डिसमिल में फुटवॉल 200 मीटर ट्रेकयुक्त स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1/57-563 दिनांक 13-03-23 द्वारा दी जा चुकी है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य हो गया है, वापस लीजिये ।

श्री सुधांशु शेखर: मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-120 : श्री अनिल कुमार, स0वि0स0

श्री अनिल कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बथनाहा विधान-सभा अन्तर्गत बथनाहा प्रखंड में सिंगरहिया पंचायत शिवनगर घाट के लखनदेई नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष: माननीय मंत्री,पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के एलायनमेंट पर स्थित नहीं है । पुल स्थल से एक तरफ के बसावट शिवनगर को नई अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत निर्मित पथ मौबी मोड़ से शिवनगर से तथा दूसरी तरफ बसावट बघमरी पी0एम0जी0एस0वाई अन्तर्गत निर्मित सैदपुर हाजीपुर से बधमड़ी पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । उक्त पुल स्थल के अप स्ट्रीम में लगभग 0.50 कि0मी0 तथा डाउन स्ट्रीम में लगभग 8 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । सम्प्रति पुल स्थल के दोनों तरफ से बसावटों को एकल सम्पर्कता प्राप्त है । अत: पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अनिल कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में उस जगह पर पुल का निर्माण हुआ था। अभी ये पुल महोदय दो विधान-सभा बथनाहा एवं रीगा को जोड़ने का काम करता है कई पंचायत के लाखों लोगों को चचरी पुल के सहारे इस पार से उस पार जाना पड़ता है । महोदय, मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द वहां पुल का निर्माण करावें । इसी के साथ मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-121 : श्रीमती शालिनी मिश्रा,स0वि0स0

श्रीमती शालिनी मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के सरोतर पंचायत से प्रारम्भ होकर केसरिया विधान-सभा क्षेत्र के साहेबगंज तक जाने वाली रघवा नदी पर रिंग बांध बनाते हुए उड़ाही करावे।"

अध्यक्ष: माननीय मंत्री,जल संसाधन विभाग।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के सरोत्तर चौर का पानी मुलत: रघवा नाला के माध्यम

से वाया नदी में होता है । वर्त्तमान में रघवा नदी/ नाला पर रिंग बांध बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं । रघवा नदी/ नाला के उड़ाही कार्य का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसकी तकनीकी उसमें कुछ क्वेयरी आ गया था, संभाव्यता जांच के क्रम में मुख्य अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल संसाधन विभाग पटना द्वारा की जा रही है । योजना प्राक्कलन में आवश्यक सुधार किये जाने हेतु मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर को निर्देशित किया गया है । इसलिए माननीय सदस्या से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

टर्न-33/मधुप/31.03.2023

अध्यक्ष : बहुत अच्छा ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पिछली बार भी मैंने यही सवाल उठाया था गैर सरकारी संकल्प में, क्योंकि मेरे केसरिया विधान सभा क्षेत्र के लिए जल-जमाव और बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है । केसरिया प्रखंड, जिसकी मैंने बात की है सरोतर से साहेबगंज, 18 पंचायत में से लगभग 14 पंचायत जल-जमाव से ग्रसित हो जाते हैं जिससे हजारो एकड़ जमीन और लगभग 60-70 हजार आबादी इससे काफी प्रभावित होती है और हमलोग विकास का कार्य नहीं कर पाते हैं ।

पिछली बार भी माननीय मंत्री जी ने ऐसा ही लगभग उत्तर दिया था, मैं जानना चाहती हूँ कि पिछली बार से अब तक में क्या आगे की तरफ बात हुई है और कब तक क्या इस बाढ़ से पहले करवा पायेंगे हमलोग ?

अध्यक्ष : यह आपकी समस्या नहीं है, क्षेत्र की समस्या है और सरकार भी बिल्कुल गंभीर है। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है । अब आप उनको धन्यवाद दीजिये और अपना गैर सरकारी संकल्प वापस लेकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद जरूरी दूँगी, मैं वापस भी लूँगी लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि पिछली बार भी इसी तरह से आश्वासन मिला था, पूरी जनता ग्रसित है, हमलोग त्रस्त हैं । मैं जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी, क्या इस बार बाढ़ से पहले इस काम को करवाना चाहेंगे ? हजारो एकड़ कृषि योग्य जमीन और हजारो लोग 50 से 60-70 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं । सरकार हर साल उनको मुआवजा भी देती है जल-जमाव और बाढ़ के लिए । इससे अच्छा है कि उड़ाही करके उसको कृषि योग्य बना दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय शालिनी मिश्रा जी, जो गैर सरकारी संकल्प आपने दिया है, उस गैर सरकारी संकल्प के ही आधार पर विभागीय मंत्री सूचना ग्रहण करते हैं और कार्रवाई का भी निर्णय लेते हैं । उन्होंने जो जानकारी हासिल की या स्वयं सरकार हैं और भिन्न-भिन्न उसकी त्रुटियों के निराकरण के लिए इन्होंने संबंधित अभियंताओं को पत्र लिखा है । आप इत्मीनान करके इन्होंने जो जवाब दिया है, पुनः आप इत्मीनान रखिये, विश्वास रखिये, करना तो इन्हीं को है, सरकार को ही करना है । इसलिये आप अपना यह गैर सरकारी संकल्प को वापस ले लीजिये और माननीय मंत्री जी जो कहे हैं उस दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई वे करें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : रघवा नदी के त्वरित उड़ाही का आग्रह करते हुये, सदन का सम्मान करते हुये मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-122 : श्री फते बहादुर सिंह, स0वि0स0

अध्यक्ष : अभी नहीं हैं, श्री फते बहादुर सिंह ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : कुछ लोग चले गये हैं ।

अध्यक्ष : वे चले गये हैं तो वे बढ़िया ही काम में लगे होंगे इसीलिये नहीं पहुँचे हैं और संसदीय व्यवस्था में बहुत जड़ में समाये हुये लोग आराम से बैठे हुये हैं ।

क्रमांक-123 : डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के उन्नहचक बाजार (एन.एच.-19) और कुरैया पंचायत के बिसनपुर, पुरूषोत्तमपुर, कुरैया, पगुराहा जानेवाली मुख्य मार्ग (एन.एच.-19) सोनपुर-छपरा से जोड़ने के लिए मही नदी पर पुल का निर्माण करावे ।"

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, अभिस्तावित पुल की लम्बाई 150 मीटर है जो ग्रामीण कार्य विभाग के कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं है । पुल स्थल के एक तरफ अवस्थित उन्नहचक बाजार को एन.एच.-19 से एवं दूसरी तरफ अवस्थित बसावट बिसनपुर, पुरूषोत्तमपुर, कुरैया, पगुराहा को केसोपुर से कुरैया पी0एम0जी0एस0वाइ0 पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अपस्ट्रीम 2 कि0मी0 पर, डाउनस्ट्रीम 2.5 कि0मी0 पर पुल निर्मित है । सम्प्रति विभाग के द्वारा बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदान किया जाना है । पुल स्थल के दोनों तरफ बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है ।

अतएव प्रश्नाधीन पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव आप वापस लेने की कृपा करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा इसपर तीन बार आश्वासन हो चुका है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको खुद किया, अभी समाधान यात्रा में थे तो मैंने स्मरण कराया तो उन्होंने कहा कि यह पुल बनेगा, उनको मैंने लिखित दिया । माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से एक चिट्ठी गई, उसपर अभियंताओं ने डी0पी0आर0 बनाकर भेजा हुआ है । विभाग में पूरा फाईल खुला हुआ है । आज भी माननीय मंत्री जी का जवाब हो रहा है कि विचाराधीन नहीं है तो विचार करने के लिए ही न हमलोग प्रस्ताव लेकर आते हैं कि विचार करिये, इसको बनाइये ।

माननीय मंत्री जी, यह ऐसा पुल है कि जहॉं से मैं अभी विधायक हूँ, वहॉं से माननीय लालू प्रसाद जी विधायक रहे हैं सोनपुर से, एम0पी0 रहे हैं । उन्होंने भी इस पुल को आश्वासित किया था और वहॉं की जनता की ओर से मैं अभी विभिन्न माध्यमों से हर बार लड़ता रहता हूँ, लिखकर देते रहते हैं लोग भी आकर मिलते रहते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम है ।

अध्यक्ष : आपने अपने विचार को प्रकट कर दिया । अब आप अपने प्रस्ताव को वापस लीजिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं वापस लूँगा लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आश्वासन दें ।

अध्यक्ष : उन्होंने तो जो कार्रवाई किया है उसके संबंध में बोल ही दिया है । आप तो डॉक्टर साहब हैं, आप बैठिये न । सब जानकारी हासिल कीजिये ।

सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-124 : श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0

अध्यक्ष : श्री मुकेश कुमार रौशन प्राधिकृत किये गये हैं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह समस्तीपुर जिला मुख्यालय की बड़ी आबादी को जाम से निजात, सुगम यातायात के लिए जिला मुख्यालय से गुजरने वाली बुढ़ी गंडक नदी में समस्तीपुर के शिवनन्दन चौक चितवारपुर मोड़ एवं वारिस नगर प्रखंड के वेगमपुर के बीच पुल का निर्माण करावे ।''

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विषयगत स्थल अपस्ट्रीम 3 कि0मी0 की दूरी पर मगरदही घाट पर कर्पूरी ठाकुर सेतु डाउनस्ट्रीम में 12 कि0मी0 की दूरी पर अंगारघाट का उच्चस्तरीय आर0सी0सी0 ब्रीज पूर्व से निर्मित है ।

प्रश्नगत स्थल पर पुल निर्माण की सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है । संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुरूप पुल निर्माण पर विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर ने भी पथ निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा है । इसलिये आग्रह है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराया जाय । इसी के साथ मैं प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-125 : श्री ललन कुमार, स0वि0स0

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बाबा साहेब अंबेडकर सहित ऐतिहासिक महापुरूषों के विचारों पर हमला करने वाली राजकमल प्रकाशन की किताब (उसने गॉंधी को क्यों मारा) को शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालयों आदि में खरीद पर प्रतिबंध लगावे ।"

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, बाबा साहेब अंबेडकर के संबंध में साथी की चिन्ता है, धन्यवाद । मगर सामने हैं, विश्वास कम होता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय कार्यालय अन्तर्गत सरकार द्वारा घोषित 50 सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में स्थापित एवं संचालित हैं । राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि से पुस्तक क्रय किये जाने का प्रावधान है जिसके आलोक में पुस्तकें क्रय होने पर राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं ।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से पुस्तकालय निदेशालय द्वारा कोई पुस्तक क्रय नहीं की गई है । वर्तमान में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को क्रय किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । इसलिये माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करूँगा कि आप संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

...क्रमश:...

टर्न-34/आजाद/31.03.2023

..... क्रमशः ......

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : बाबा साहेब अम्बेदकर पर हमला करने वाले कोई भी विचार, कोई भी प्रयास बिहार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा मामला माननीय मंत्री जी के पार्टी के राजस्व समाचार में छपा है 7 और 8 नम्बर पेज पर । हमने यह पत्रिका माननीय मंत्री जी को उपलब्ध कराया है समय से पहले ।

अध्यक्ष महोदय, किताब हमलोग भी लिखते हैं, सांसद लिखते हैं, विधायक लिखते हैं । कई श्रोत है किताबों को समाज में पहुंचाने का और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो बाबा साहेब महात्मा गॉंधी का प्राण बचाने के लिए पूना पैक्स जैसा समझौता करते हैं और महाराष्ट्र में एक लोकगीत गाया जाता है, मुंजार शकपाल एक लोकगीत लिखे हैं, मराठी में मैं बोलता हूँ, हिन्दी बता दूंगा ।

(मराठी)

इसका हिन्दी में अर्थ है कि पूने करार की बात हो रही है, भीमराव से कस्तूरबा गॉंधी पुकार रही है कि मेरा सिन्दूर बचाओ भीम राव, मेरी दुनिया डूब रही है ......

अध्यक्ष : अब अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री ललन कुमार : सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष : नहीं,नहीं । जो आप काम किये ...

श्री ललन कुमार : महोदय, सदन से बड़ा कोई नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ ......

अध्यक्ष : यह गैर सरकारी संकल्प है ।

श्री ललन कुमार : सर, मैं बात रख रहा हूँ । इस किताब का टाईटिल है । इस किताब को ही माननीय मंत्री जी देखेंगे । एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सैंकड़ों करोड़ों लोगों का आहत इससे हुआ है । करोड़ों दलितों का भगवान हैं अम्बेदकर .....

अध्यक्ष : ठीक है, आप किताब सभी माननीय सदस्यों को ललन जी उपलब्ध कराईए....

श्री ललन कुमार : एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट से भी ज्यादा समय नहीं लेंगे ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, ..

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिए । उतना देर लगाया जाता है, यह डिबेट है । माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार ऋषि ।

क्रमांक-126 : श्री कृष्ण कुमार ऋषि, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : माननीय सदस्य श्री ललन जी वापस नहीं लिये अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : वापस ले लिये माननीय सदस्य ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुझे 30 सेकेंड का समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : अब एक सेकेंड भी नहीं मिलेगा, आप 30 सेकेंड के लिए बोल रहे हैं । माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ पटेल ।

माननीय सदस्य श्री ललन जी, अब आप बैठ जाईए । बहुत कह दिये, अब बैठ जाईए ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव वापस नहीं लिया है ।

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस लीजियेगा या नहीं लीजियेगा ?

श्री ललन कुमार : हम आसन से बड़ा नहीं हैं सर ।

अध्यक्ष : आसन की बात नहीं है । इसमें माननीय सभी आपके दल के भी सदस्य हैं । यह गैर सरकारी संकल्प है । आप इतना देर तक समय लगाईयेगा और का क्या होगा, सो बोलिए ।

माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ पटेल, आप पढ़ दीजिए ।

क्रमांक-127 : श्री सिद्धार्थ पटेल, स0वि0स0

श्री सिद्धार्थ पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वैशाली जिला अन्तर्गत महुआ अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना करावें । ''

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ पटेल ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : महोदय, हमने पढ़ दिया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संकल्प के संबंध में कहना है कि वैशाली जिला महुआ अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : क्या हुआ है सर ?

अध्यक्ष : बतला दीजिए । माननीय सदस्य, निर्णय लिया जा चुका है । आप अपना जो है, प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : सर, एक जानकारी के साथ पिछले बार भी मैंने इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया था ......

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : वह तो निर्णय लिया जा चुका है सरकार ....

श्री सिद्धार्थ पटेल : और जानकारी दे दूं सर कि प्रखंड मुख्यालय गौरोल जो हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । जहां आपने इजाजत दी है डिग्री कॉलेज खोलने की तो प्रखंड मुख्यालय के सामने पूर्व में चरवाहा विद्यालय की बहुत सारी भूमि उपलब्ध थी, अभी कृषि विभाग को थोड़ा हस्तांतरित हुआ है ......

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए । आप जो कहे हैं सरकार वहां पर डिग्री कॉलेज खोल रही है ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : महोदय, प्रस्ताव तो वापस लूंगा सर लेकिन वहां पर जमीन उपलब्ध है, कृपया डिग्री कॉलेज की स्थापना करायी जाय.....

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री सिद्धार्थ पटेल : साथ ही मैं शिक्षा मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-128 : श्री राणा रणधीर, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये न । आप नहीं समझ रहे हैं, यह क्या हो रहा है । माननीय सदस्य श्री गुॅंजेश्वर साह, आपको क्यों नहीं अवसर मिलेगा, आप पढ़िए अपना ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विराधी दल : इनके प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिये, इनका क्या हुआ ?

अध्यक्ष : इनके प्रस्ताव पर निर्णय है कि वे प्रस्ताव वापस ले लिये हैं । सदन की सहमति से उनका प्रस्ताव वापस हो गया है । माननीय सदस्य श्री गुजेंश्वर साह जी ।

क्रमांक-129 : श्री गुंजेश्वर साह, स0वि0स0

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के पस्तपार पंचायत में स्थित पिपरा मोईन पुल का निर्माण करावें । ”

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : यह भी पुल से संबंधित है अध्यक्ष महोदय, यह भी आर0सी0डी0 को ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ कन्दाहा बसावट अवस्थित है जिससे शीर्ष एम0आर0-3054 योजना अन्तर्गत गोरोहो चौक के कन्दाहा पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के दूसरी तरफ घोड़े बसावट अवस्थित है, जिसके शीर्ष एम0एम0जी0एस0 वाई0 योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सरौनी आर0ई0ओ0 रोड से घोड़े पथ से सम्पर्कता प्राप्त है। अभिस्तावित पुल के स्थल के दोनों तरफ बसावटों को एकल सम्पर्कता प्रदत्त है । इसके अपस्ट्रीम में 1.2 कि0मी0 और डाऊनस्ट्रीम में 3 कि0मी0 में पुल निर्मित्त है। इसके निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, हमको लगता है कि हमारे ऑफिसर जो रिपोर्ट देते हैं, उनको लगता है कि सामाजिक और व्यवहारिक समझ उतनी नहीं है, जितनी होनी चाहिए । एक पंचायत दो भाग में बंटा हुआ है । एक पंचायत का दो टुकड़ा है । एक टुकड़ा कन्दाहा में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है । उस एक ही पंचायत के लोग अपने पंचायत में आने के लिए 14 कि0मी0 तय करते हैं । वहां से तेलहर से लहुआर जायेंगे, लहुआर से जायेंगे बलवा चौक, बलवा चौक से जायेंगे गौरोह चौक और गौरोह चौक से तब जायेंगे कन्दाहा सूर्य मंदिर । सिर्फ 500मीटर दूरी तय करने के लिए उनको 14 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है । इस पुल को बन जाने से दो ब्लॉक जुड़ता है और कन्दाहा सूर्य मंदिर ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, वहां चारों तरफ से अतिथि आते हैं और दर्शन करते हैं । ये बार-बार कहते हैं कि उनको प्राप्त है, उनको प्राप्त है । एक पंचायत में 500मीटर जाने के लिए 14 कि0मी0 घुमते हैं, यह कौन सी व्यवस्था है ? हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इसको देखवा लें, दोनों तरफ रोड बना हुआ है । उस पुल के दोनों तरफ रोड है, कन्दाहा से तेलहर जाने वाली और उधर से आने वाली, इसको माननीय मंत्री जी देखवा लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, हमारे पास जो रिपोर्ट है, इनका जो कहना है, उसको मैं देखवा लेता हूँ और माननीय सदस्य को देखवाने के बाद अवगत करा दूंगा । माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए, माननीय मंत्री जी देखवा लेंगे ।

श्री गुंजेश्वर साह : हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से यह प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-130 : श्री सुर्यकान्त पासवान, स0वि0स0

(अनुपस्थित)

(व्यवधान)

देखिए, यह गैर सरकारी संकल्प काफी आगे बढ़ चुका है ।

श्री ललन कुमार : महोदय, देश के दलितों के, बहुजनों का अपमान हुआ है । हमारे अम्बेडकर भगवान हैं । हम अम्बेडकर के बलबूते पर यहां पहुंचे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललन जी, ये गैर सरकारी संकल्प है, इस पर आप दो घंटे बोलेंगे । आपको ऐसे कभी इजाजत नहीं मिलेगी ।

(व्यवधान)

आप अपने ही लोगों से पूछिये । गैर सरकारी संकल्प इतना चलता है । ये डिबेट है क्या ? आप अपने नेता से पूछिये ।

(व्यवधान)

आप उनको बैठा दीजिये । पहले इसको हो जाने दीजिये, आधे मिनट के बाद कहते हैं ।

टर्न-35/पुलकित/31.03.2023

क्रमांक-131 : श्री जिवेश कुमार, स0वि0स0

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा को अधिकृत किया गया है ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के दरभंगा स्थित सिंहवाड़ा प्रखंड के भरवाड़ा नगर पंचायत ऐतिहासिक पुरूष प्रकाण्ड विद्वान गोनू झा जी के नाम पर नगर पंचायत का नाम गोनू ग्राम भरवाड़ा घोषित करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला स्थिति सिंहवाड़ा प्रखंड के नगर पंचायत भरवाड़ा को ऐतिहासिक पुरूष प्रकाण्ड विद्वान गोनू झा जी के नाम पर नगर

पंचायत का नाम गोनू ग्राम भरवाड़ा घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह हैं कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि गोनू झा जी का मिथिलांचल में और खासकर के घर-घर में आज भी उनकी कहानी इतनी प्रचलित है, खासकर के बच्चे हों या बूढें हों, सभी लोग उनके किस्से को सुनते हैं । महोदय, वे अपने समय के काफी प्रख्यात विद्ववान रहे हैं । 500 साल पूर्व उनका जन्म हुआ था, उनको सम्मान देने का काम बिहार सरकार करें, यह मैं आग्रह करता हूँ ।

अध्यक्ष : आपने आग्रह कर दिया है, अब अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री मुरारी मोहन झा : ठीक है, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-132 : श्री अजय कुमार, स0वि0स0</u>

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रेल मंडल समस्तीपुर जं0 से बछवारा जं0 होते हुए भाया पटोरी से पटना जं0 तक ई0एम0यू0 या डी0एम0यू0 पैसेंजर ट्रेन चालू करने के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करें ।

अध्यक्ष : माननीया मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि रेल मंडल समस्तीपुर जं0 से बछवारा जं0 होते हुए भाया पटोरी से पटना जं0 तक ई0एम0यू0 या डी0एम0यू0 पैसेंजर ट्रेन चालू कराने से संबंधित विषय रेल मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है । इस संबंध में परिवहन विभाग, रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करेगी ।

अध्यक्ष : परिवहन मंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय मंत्री जी कहना चाह रही है कि जो अजय कुमार जी का जो प्रस्ताव है सरकार उससे सहमत है, सरकार सिफारिश करेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के सकारात्मक उत्तर के बाद सदन की सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अजय कुमार : महोदय, धन्यवाद ।

<u>क्रमांक-133 : श्री नारायण प्रसाद, स0वि0स0</u>

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह प0 चम्पारण जिलान्तर्गत चम्पारण तटबंध बांध के पूजहाँ ढाला 42.30 कि0मी0 से लेकर कोतराहा ढाला 62.50 कि0मी0 तक बांध का उच्चीकरण एवं पक्कीकरण करावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत पूजहाँ ढाला 42.30 कि0मी0 से लेकर कोतराहा ढाला 59.56 कि0मी0 तक गण्डक नदी के बायें तट पर चम्पारण तटबंध निर्मित है । तटबंध के शीर्ष का उपयोग निरीक्षण के काम में आता है । बाढ़ अवधि में आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर तटबंध को मोटरेबल रखा जाता है । यदि कोई विभाग ग्रामीण कार्य विभाग या अन्य कोई विभाग उक्त तटबंध पर सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करता है तो जल संसाधन विभाग के द्वारा नियमानुकूल अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह हैं कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्री नारायण प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं । चम्पारण तटबंध 2006 में निर्मित हुआ, उसके बाद से आजतक न तो मिट्टी का काम हुआ है, सारा बांध नीचे-ऊपर हो गया है । पिछले साल बाढ़ का प्रभाव इतना पड़ा कि कम से कम 20 पंचायत के एक लाख लोगों ने गुहार लगायी है । हमलोगों ने जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जी से कहे, सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से एस0ई0 तक को हमलोग डिप्यूट किए । किसी तरह हर साल बोरा रखकर काम चलाया गया, बांध चलने लायक नहीं है, यह हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है उसको देखा जाता है, चम्पारण तट पर जो नदी की स्थिति है, वहां चलने लायक है ही नहीं, तो देखेगा कौन ? हमलोग की गाड़ी नहीं निकल रही है, कोई चम्पारण तट पर अपनी गाड़ी निकाल लें, उसे हम मान लेंगे । स्थिति एकदम दयनीय हो गयी है, चारों तरफ से गड्ढा है, सारे लोग त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा है । हम पांच साल से माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप आग्रह कीजिए, माननीय मंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, मंत्री से हम चाहते हैं कि इसके पहले भी एक जिला में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे और हमारे वित्त मंत्री जी भी गये थे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आप कह रहे थे कि आग्रह कीजिए लेकिन माननीय सदस्य तो डाँट-डाँट के बोल रहे हैं ।

श्री नारायण प्रसाद : महोदय, तकलीफ इसलिए हो रही है । महोदय, 20 पंचायत के डेढ़ लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है । महोदय, उनकी जान भी, खेत की फसल भी खतरे में है, घर भी खतरे में है । इसलिए थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप अविलम्ब इसी साल के बजट में पूर्ण कराने का काम करें । माननीय वित्त मंत्री जी, थोड़ा सा कड़ा हम बोलते ही हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इस चीज को दिखवायेंगे । आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री नारायण प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, हमने कहा कि आपका संरक्षण चाहिए । बराबर हम कहते रहे हैं । पांच साल हो गये, पिछले साल भी ये कहे थे कि आपका हम काम कर दिये हैं लेकिन पता चला कि सरिसवा की तरफ किये हैं, हमारे चम्पारण तटबंध की तरफ नहीं किये हैं । उसी चम्पारण से पूजहाँ से सात-आठ किलोमीटर पक्कीकरण, ऊंचीकरण जल संसाधन विभाग से हो गया है और उसको आगे बढ़ा देना है, रामनगर बरैया तक । इसलिए हमारे माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें, ये मेरा रिक्वेस्ट आपसे भी होगा और उनसे भी होगा ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव को वापस ले लिये, यह कह सकते हैं ।

श्री नारायण प्रसाद : हम तो प्रस्ताव वापस लेंगे ही लेकिन माननीय मंत्री जी से हम सुनना चाहते हैं कि इसको पूर्ण करा दें, इस पर फेंका-फेंकी न करें ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, हम इसको दिखवा लेंगे । माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री नारायण प्रसाद : हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-134 : श्रीमती निशा सिंह, स0वि0स0</u>

श्रीमती निशा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार एवं किशनगंज जिले के पूर्वी छोर में उत्तर-दक्षिण पट्टीनुमा भू-भाग में बसे राजवंशी जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय परिपत्र सं0-13623, दिनांक- 10.09.2015 द्वारा परिचारित बिहार हेतु अनुसूचित अत्यंत

पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक-22 पर राजवंशी, रिसिया, देसिया, पोलिया जाति सूचीबद्ध है । इस जाति को राज्य में अत्यंत पिछड़े वर्गों के अनुमान 18 प्रतिशत सहित अन्य सुविधाएं अनुमान्य है । साथ ही राजवंशी जाति केन्द्र सरकार की पिछड़े वर्गों की सूची में 107 पर सूचीबद्ध है । ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार की किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का मामला जनजातीय कार्यमंत्रणा, भारत सरकार के क्षेत्राधीन के अंतर्गत आता है ।

अतएव माननीय सदस्या से अनुरोध किया जाता है कि अपना संकल्प वापस लें ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75 वर्षों के बाद भी राजवंशी जाति को मुख्यधारा से अभी तक जोड़ा नहीं गया है । हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी राजवंशी जाति की है । हम मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहेंगे कि कृपा वे इस तरफ थोड़ा ध्यान दें ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपने ध्यान आकृष्ट किया । अब अपना प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्रीमती निशा सिंह : जी, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-135 : श्री ऋषि कुमार, स0वि0स0</u>

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

‘‘यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड ओबरा एवं कुराईपुर के बीच पुनपुन नदी पर पुल का निर्माण करावे ।’’

टर्न-36/अभिनीत/31.03.2023

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ ओबरा है जो पटना-औरंगाबाद आर0सी0डी0 पथ पर अवस्थित है । अभिस्तावित पुल के दूसरी तरफ कुराईपुर बसावट है जिसे बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अंतर्गत मरम्मती किया गया है । पथ खराटी-धनावां पथ से संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ बसावट का एकल संपर्कता रहने एवं डाउन स्ट्रीम में 1.5 किलोमीटर पुल निर्मित रहने के कारण अभिस्तावित पुल स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य अनुरोध है कि इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है और घनत्व बढ़ता है पापुलेशन का तो दूसरी पुल दी जाती है । हमने पहले भी देखा है, गंगा नदी पर पहले एक पुल हुआ करता था अब देखते-देखते छ:-सात पुल हो गये । इसी प्रकार मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध होगा कि इस पर विचार करें और इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।
माननीय सदस्य श्री कृष्णनंदन पासवान ।

क्रमांक-136 : श्री कृष्णनंदन पासवान, स0वि0स0
(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मुरारी मोहन झा ।

क्रमांक-137 : श्री मुरारी मोहन झा, स0वि0स0

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधान सभा क्षेत्र के केवटी प्रखंड के बरही पंचायत के नारियल टोल में भवनविहीन नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नारियल टोल बरही का भवन निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलांतर्गत केवटी प्रखंड के बरही पंचायत अंतर्गत नारियल टोल के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, नारियल टोल भवनहीन होने के कारण बगल के सामुदायिक भवन में संचालित है । इस विद्यालय में कुल नामांकन 103 तथा शिक्षकों की संख्या 2 है । इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि वर्ष 2020 में प्राप्त हुई । उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राज्य योजना मद से राशि स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं हमेशा जब से जीता हूं वहां के डी0ओ0 और डी0पी0ओ0 वगैरह भी उन लोगों को कमिट किये थे । चूंकि वहां के ग्रामीण लोग चुनाव में वोट का बहिष्कार किये थे । वे लोग वहां जाकर कमिटमेंट किये थे और लिखित उनलोगों को दिये थे कि इस समस्या का समाधान

हो जायेगा । एक बार राज्य सरकार के द्वारा 25 लाख रुपया भी उस स्कूल को दिया गया था । महोदय, मैं बराबर इसके संबंध में, माननीय विजय बाबू थे पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके समय में भी व्यक्तिगत रूप से जाकर उनसे मिला था । इनके भी चेम्बर में जाकर, अभी जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया था और बराबर सदन के माध्यम से भी मैं उठाता रहा हूं । महोदय, बहुत जरूरी है, वहां हम स्वयं जाकर स्थिति को देखे हैं किस स्थिति में हैं बच्चे लोग, वह भी सामुदायिक भवन जो बना हुआ है, वह कब किस पर गिरेगा, पूरा छत उसका जर्जर है । बच्चों का, कभी भी वहां पर नुकसान हो सकता है, इसलिए मंत्रीजी से आग्रह करूंगा, हालांकि मंत्रीजी ने कहा है, आश्वासन दिया है कि प्रक्रियाधीन है, मगर उसका एक समय दे देते तो हमको भी सुविधा होती । वहां पर लोगों को हम बोलते कि...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रस्ताव वापस लीजिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, एक बार मंत्री महोदय बोल देते ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, बगल के विद्यालय में अभी संचालित है । माननीय सदस्य का जो अभिस्तावित संकल्प है, सरकार ने यह कहा है कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तो पूरी होगी, चिंता न करें । इसलिए महोदय, ये अपना संकल्प वापस लें ।

श्री मुरारी मोहन झा : ठीक है महोदय । थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपसे हमारा व्यक्तिगत निवेदन है कि अगले बजट में यह हो जाये । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

क्रमांक-138 : श्री महबूब आलम, स0वि0स0

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिलांतर्गत बारसोई प्रखंड के ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क जो बारसोई के नीमतल्ला से विघौर तक जाती है उसे पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलांतर्गत बारसोई के नीमतल्ला से विघौर तक जाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के पथ को पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्राप्त कर समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वापस ले लीजिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, वह क्षेत्र विकास की उपेक्षा का शिकार है और करीब-करीब एक लाख जनता की आबादी तक आजकल विकास की गतिविधि जो तेज हुई है सड़क निर्माण के लिए, घर निर्माण के लिए तो भारी वाहनों का प्रवेश हो जाता है विघौर तक और विघौर बारसोई का ऑलरेडी एक बाजार विकसित हो चुका है । इसलिए महोदय, मेरा आग्रह है कि इस सड़क को पथ निर्माण विभाग में परिवर्तित करे । भारी वाहनों को रोकने में जनता और प्रशासन भी सक्षम नहीं है । इसलिए मैं धन्यवाद के साथ अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री पवन कुमार यादव । माननीय सदस्य श्री ललन कुमार को अधिकृत किया गया है ।

क्रमांक-139 : श्री पवन कुमार यादव, स0वि0स0

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य पवन कुमार यादव जी का संकल्प पढ़ता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भागलपुर जिलांतर्गत गौराडीह प्रखंड के मोहनपुर पंचायत स्थित गौशाला की 475 एकड़ जमीन पर हवाई अड्डा स्थापित किये जाने हेतु नगर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल नागरिक (विमानन) ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जिला प्रशासन से जो सूचना मिली है उसके अनुसार जो हदबंदी कानून बना था उसके बाद गौशाला के पास दो मौजा में करीब 11, साढ़े 11 एकड़ जमीन ही उपलब्ध है आज की तिथि में, जो हवाई अड्डा निर्माण के लिए सर्वथा अपर्याप्त है, इसलिए जब भूमि पूरी उपलब्ध हो जायेगी तब उस पर विचार किया जायेगा । अभी तो माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर सिल्क का इंटरनेशनल मार्केट है । अभी इसी सदन में बात उठी थी जर्दालू आम की वर्ल्ड का टॉप क्लास, कतरनी चूड़ा, चावल की, इसलिए कहीं और जगह देखकर, वहां सालों से लोग आंदोलन कर रहे हैं,

सरकार से हम निवेदन करते हैं कि कहीं भी जगह देखकर वहां हवाई अड्डा बनाया जाय । बिहार का पलायन रूकेगा, बिहार आत्मनिर्भर बनेगा । इसी उम्मीद के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव ।

क्रमांक-140 : श्री अचमित ऋषिदेव, स0वि0स0

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अररिया जिलांतर्गत भरगामा प्रखंड में जानकीनगर शाखा नहर (जेबीसी) के दायीं ओर आर0डी0 130 से 135 के बीच एक हजार एकड़ से अधिक जमीन में जल-जमाव की समस्या के निदान हेतु 134.5 आर0डी0 पर ह्यूम पाईप सी0डी0 वर्क्स तथा नहर के उस पार बाघमारा धार तक नाला निर्माण कराकर जल को धार में नि:सृत करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलांतर्गत भरगामा प्रखंड के खुटहा बैजनाथ पंचायत के ग्राम खुटहा में जानकीनगर शाखा की दायीं ओर से 130 से 135 के बीच लगभग साढ़े आठ सौ एकड़ जमीन में मानसून अवधि में जल-जमाव रहता है परंतु मानसून अवधि के बाद जल-जमाव समाप्त हो जाता है तथा रबी की अच्छी फसल होती है । उक्त जल-जमाव के निकासी हेतु जानकीनगर शखा नहर के 134.50 पर सी0डी0 संरचना का निर्माण प्रस्तावित है ।

..क्रमश:..

टर्न-37/धिरेन्द्र/31.03.2023

...क्रमश:...

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । मुख्य अभियंता (सिंचाई सृजन), सहरसा को 27 मार्च के द्वारा 15 दिनों के अंदर प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है । प्राक्कलन प्राप्त होते ही प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी । कार्य को वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरा करने का लक्ष्य है । इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ । माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-141 : श्रीमती कविता देवी, स॰वि॰स॰</u>

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अन्तर्गत फलका प्रखंड में मोरसंडा पंचायत के बरंडी नदी के कमला घाट पर पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अभिस्तावित पुल स्थल के एक तरफ मोरसंडा बालूटोल बसावट अवस्थित है जिसकी संपर्कता एम॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ अंतर्गत निर्मित मोरसंडा चौक से बालूटोल पथ से प्राप्त है । दूसरी तरफ मोरसंडा महादलित टोला अवस्थित है जिसकी संपर्कता एम॰एम॰जी॰एस॰वाई॰ अंतर्गत निर्मित निसुंधरा से मोरसंडा महादलित टोला तक पथ प्राप्त है । अभिस्तावित पुल स्थल के अप स्ट्रीम में 3 किलोमीटर पर पुल निर्मित है। विभाग द्वारा सम्प्रति राज्य के सभी बसावटों को बारहमासी पथ से एकल संपर्कता दिया जाना है । अभिस्तावित पुल स्थल के दोनों तरफ बसावटों का एकल संपर्कता प्राप्त है । अभिस्तावित पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अत: माननीय सदस्या से अग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि यह जनहित के लिए बहुत ही जरूरी है । इसके पूर्व में भी विभाग के द्वारा गलत ही बताया गया था, यह पुल चार पंचायतों को जोड़ता है, 20 हजार की आबादी को प्रभावित करता है जो अभी गलत रिपोर्ट बना कर दी गयी है, यह पुल 10 किलोमीटर की दूरी पर है। माननीय मंत्री जी, यह रिपोर्ट बहुत ही गलत है । माननीय मंत्री जी से यही बोलना चाहूँगी कि इसको एक बार फिर से दिखवाया जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, हमारे पास फोटोग्राफ है । माननीय सदस्या इसी नदी में पुल बनाना चाहती हैं । इसके उस तरफ भी जो गाँव हैं वहाँ भी संपर्कता है, नदी के इस तरफ भी संपर्कता है और मैंने कहा कि दो पुल है एक पुल जो है वह 3 किलोमीटर पर ही निर्मित है और दूसरा पुल जो है वह 10 किलोमीटर पर निर्मित है

तो जब 3 किलोमीटर पर एक पुल है, 10 किलोमीटर पर एक पुल है और एकल पथ संपर्कता जो है जितने गाँव ये कह रही हैं सब जगहों पर हमारा पथ निर्माण हो चुका है मतलब सड़कें बन गयी हैं । इसलिए अभी फिलहाल वहाँ पर किसी प्रकार का पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है । माननीय से आग्रह करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, फिर भी मैं अनुरोध करूँगी कि एक बार इस पर फिर से विचार करें ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्रीमती कविता देवी : महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूँ लेकिन इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-142 : श्री प्रहलाद यादव, स०वि०स०

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, यह पुल तो दो साल पहले बन जाना चाहिए था । माननीय मुख्यमंत्री जी लखीसराय और मुंगेर गए थे और वहाँ पर घोषणा भी किये थे कि इस पुल को बना देना है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना गैर-सरकारी संकल्प को पढ़िये ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, सुना जाय । यह इतना इम्पॉर्टेंट पुल है कि इसके बगैर आप किउल स्टेशन से जो रेलवे गया है उससे दर्जनों लोग हर साल मर जाते हैं ।

अध्यक्ष : पहले प्रस्ताव पढ़ियेगा, तभी न प्रश्न कीजियेगा ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, प्रस्ताव पढ़ देते हैं लेकिन डी०पी०आर० बना हुआ है, इसका सारा चीज बना हुआ है लेकिन माननीय मंत्री जी को विभाग ने क्या जवाब दिया है हमको पता नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पढ़ियेगा, तब न मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह लखीसराय जिला के किउल (ज०) स्टेशन से लखीसराय के बीच किउल नदी के पथला घाट के पास पुल का निर्माण करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, प्रहलाद बाबू जी के लिए सरकार की तरफ से जवाब सकारात्मक है । अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला प्रश्नगत स्थल पथला घाट के पास पुल का निर्माण तकनीकी संसाधन, उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विचार की जा रही है ।

अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, प्रस्ताव तो पहले से माननीय मंत्री जी को दिया हुआ है और डी०पी०आर० भी तैयार है तो कब बन जायेगा इसी आशा में हम हैं । यही उम्मीद और आशा में हैं । इसलिए जनहित में यह पुल बनना बहुत जरूरी है । इसलिए

माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर जनहित में इसको जितना जल्दी हो, इस पुल का निर्माण कराया जाय और इन्हीं आश्वासन के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 143 : श्री संजय कुमार गुप्ता, स0वि0स0

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परसौनी प्रखंड के पुरानी बागमती नदी पर रनमी गाँव के नजदीक आर0सी0सी0 पुल का निर्माण करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पुल स्थल के एक तरफ बसावट रमनी गांव को नई अनुरक्षण नीति, 2018 अंतर्गत निर्मित रमनी मिडिल स्कूल के हरपुरशारी पथ से सम्पर्कता प्राप्त है तथा दूसरी तरफ से बसावट हीरा-सरखौली को एम0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत निर्मित सरखौली चौक से हीरा खरौली पथ से सम्पर्कता प्राप्त है । इस प्रकार पुल स्थल के दोनों तरफ बसावटों को विभिन्न निर्मित पथों से सम्पर्कता प्राप्त है । पुल स्थल के अप स्ट्रीम में तीन किलोमीटर की दूरी एवं डाउन स्ट्रीम में पांच किलोमीटर पर भी पुल निर्मित है । अत: दोहरी सम्पर्कता का मामला होने के कारण पुल निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अत: माननीय सदस्य से अनुरोध हैं कि कृपया संकल्प को वापस लें ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिला और सीतामढ़ी जिला बाढ़ से प्रभावित है । जब बाढ़ का पानी आ जाता है तो रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है । माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि तीन किलोमीटर पर पुल है लेकिन उस पुल पर टपकर कैसे जायेगा । महोदय, पुल बन जायेगा तो इस पार से उस पार हो जाएगा । दो पंचायत का रास्ता हो जाएगा । हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि सीतामढ़ी और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उस पर ध्यान देते हुए पुल का निर्माण करावें । मैं अपना संकल्प वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 144 : सुश्री श्रेयसी सिंह, स0वि0स0

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जमुई जिला के जमुई विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शॉटगन शूटिंग रेंज स्थापित करावें ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक-447, दिनांक-12.04.2022 द्वारा जमुई जिलांतर्गत गिद्धौर प्रखंड के धौबघाट ग्राम में शॉटगन, राईफल, पिस्टल शूटिंग रेंज की स्थापना हेतु स्थल का भौतिक निरीक्षण, संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा किये जाने के क्रम में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ ने घोर विरोध किया था । राजस्व पदाधिकारी के साथ उपस्थित पुलिस बल के रहने के बाद भी स्थल पर कोई भी भौतिक जांच करने अथवा खाली परती भूमि की मापी भी नहीं लेने दी गई । तदोपरांत निरीक्षण दल द्वारा माननीय सदस्य विधान सभा को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया । माननीय द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई एवं स्थानीय ग्रामीणों से बात कर स्थल संबंधित प्रतिवेदन भेजने की बात कही गयी थी, जो अब तक अप्राप्त है । पुनः विभागीय पत्रांक-506, दिनांक-28.03.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई को जमुई जिला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत शॉटगन शूटिंग रेंज स्थापित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, शॉटगन एक ओलंपिक स्पोर्ट है और स्वयं मैं भी और बाकी भारत के अन्य खिलाड़ी ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में भारत के लिए शॉटगन शूटिंग में पदक जीत चुके हैं । आजतक बिहार सरकार ने इसका निर्माण कार्य नहीं कराया है । अध्यक्ष महोदय, साथ में यह भी बता दूँ कि ये जो जवाब हमें प्राप्त हुआ है, जो पत्रांक-447, दिनांक-12.04.2022 को दर्शाया जा रहा है, वह तो गिद्धौर की बात है ।

(क्रमशः)

टर्न-38/संगीता/31.03.2023

सुश्री श्रेयसी सिंह (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, हमने तो साफ कहा है अपने अभिस्ताव में कि जमुई जिला के जमुई विधान सभा क्षेत्र में जबकि गिद्धौर जो प्रखंड है वह झाझा विधान सभा क्षेत्र में आता है और आश्चर्य की बात यह है कि माननीय मंत्री जी स्वयं उसी जिला के रहने वाले हैं और वहीं के विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित भी हैं तो अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात है और नियमानुकूल जो कार्रवाई की जाएगी, क्या ये जो शॉटगन रेंज की मांग है, ये आज से नहीं है अध्यक्ष महोदय, हमारा करियर 16 साल का रह चुका है तो क्या ये सिर्फ मुझे

आश्वासन देने की बात है कि वास्तविकता में सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करके शॉटगन रेंज बनाने का ध्यान रखती है और अगर हां तो फिर कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, धौबघाट जैसा इन्होंने जानकारी दिया, धौबघाट जहां तक मुझे जानकारी है कि धौबघाट जमुई विधान सभा के अन्तर्गत ही आता है।

सुश्री श्रेयसी सिंह : जी नहीं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जानकारी गलत है, धौबघाट झाझा विधान सभा क्षेत्र में आता है ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : प्रखंड में आता होगा लेकिन आपके विधान सभा के अन्तर्गत आता है और वहां पर जमीन की उपलब्धता नहीं है महोदय । जो जमीन इन्होंने चिन्हित किया था, उस जमीन पर वहां के ग्रामीणों ने विरोध कर दिया...

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब ही गलत है, जब सवाल है कि जमुई विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए तो धौबघाट का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, हम चाहेंगे कि माननीय सदस्या भी उसमें सहयोग करें, अगर इनके विधान सभा क्षेत्र में वैसी कोई सरकारी भूमि अगर खाली पड़ी हुई हो, तो वे अवश्य जिलाधिकारी के माध्यम से उस जमीन को विभाग को भिजवा दें ।

अध्यक्ष : चलिए, बहुत अच्छा । माननीय सदस्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिए ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय एक बार आश्वासन भी मिल जाता कि शॉटगन शूटिंग रेंज बनेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय मंत्री जी स्वयं उस जिला से हैं अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : हम तो कह ही रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि जमीन भिजवाएं और अगर ये चाहें तो हमसे मिलकर हमलोग बात कर लें, मैं इनको खुद बता दूंगा कि इनके विधान सभा में कहां-कहां खाली सरकारी भूमि है ।

अध्यक्ष : चलिए, बहुत अच्छा ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय नहीं, जमीन मिलने की बात नहीं है, मामला गंभीर है स्पोर्ट्सपर्सन होने के नाते इसके लिए आप मुझे संरक्षण दीजिए । आप मंत्री जी से यह आश्वासन दिलवाइए कि ये शॉटगन रेंज बनेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, जमीन उपलब्ध होंगी और आपने प्रखंड की भी चर्चा की है तो सारी चीजों को माननीय मंत्री जी और आप दोनों मिलकर के देख लें और उन्होंने तो कहा ही है कि जमीन उपलब्ध होगी, क्योंकि जमीन रहेगी उसी पर न आपका...

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जमुई जिला का, क्यों नहीं जमीन उपलब्ध होगी, आप आश्वासन दिलवा दीजिए कि हमारा शूटिंग रेंज बनेगा ।

अध्यक्ष : आप संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को करने के लिए मेहनत करें और मंत्री जी उस काम को...

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से, संयुक्त रूप से हमलोग ये कार्य करेंगे जरूर, माननीय मंत्री जी का भी उसमें सहयोग रहेगा और जिला में और भी जितने और जनप्रतिनिधि हैं वे सब भी मिलकर काम करेंगे लेकिन जो माननीय मंत्री जी हैं वे यह तो स्वीकारें कि यह जो प्रस्ताव है इसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये आश्वासन दिलाएं कि शॉटगन शूटिंग रेंज बनकर रहेगा बिहार में ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो निश्चित ही आप चाहते हैं कि हो ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : अवश्य महोदय, जमीन उपलब्ध हो जाएगा तो हमलोग तो चाहते ही हैं कि खेलकूद को बढ़ावा मिले, सरकार चाहती ही है ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : मंत्री जी के आश्वासन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । इसी के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक-145 : श्री प्रणव कुमार, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-146 : श्री भरत बिन्द, स0वि0स0</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

<u>क्रमांक-147 : श्री अजय कुमार सिंह, स0वि0स0</u>

श्री अजय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य में लागू मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी सम्मिलित करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का नहीं है, मगर मेरे पास आया था यह संकल्प हमने संबंधित विभाग को न्यायोचित कार्रवाई हेतु भेज दिया है...

अध्यक्ष : किस विभाग को भेजा है आपने ?

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : जी, न्यायोचित कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को भेज दिया गया है महोदय, इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसका जवाब किस विभाग से दिया जायेगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये अभी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ये सुविधा या ये प्रोत्साहन नहीं निर्णय लिया गया है । अभी अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए यह स्वीकृत है, इसपर अभी निर्णय नहीं लिया गया है, आने वाले समय में विचार किया जाएगा, माननीय सदस्य अभी इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि समाज में विषमता खत्म करना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए । छह कोटि के लोगों के बच्चों को मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन की सुविधा दी जा रही है और मात्र 2 कोटि के बचे हुए हैं जिनमें सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नहीं मिल रहा है । अत: सरकार से आग्रह है कि इसे स्वीकार करे और सामान्य एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को भी मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करावें । इस विचार के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक-148 : श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स0वि0स0

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर प्रखंड अन्तर्गत 2017 में स्वीकृत आई0टी0आई0 कॉलेज का निर्माण करावें ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग ।

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केंद्र प्रायोजित योजना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास के तहत निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या-326, दिनांक-16.02.2018 के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर की एल0डब्ल्यू0ई0 की स्थापना की गई एवं तत्कालीन व्यवस्था के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर के साथ संबद्ध कर प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर एल0डब्ल्यू0ई0 के भवन निर्माण हेतु विभागीय अनुरोध के आलोक में पूर्व में

प्रस्तावित स्थल अंचल-मीनापुर, मौजा-माणिकपुर, थाना संख्या-503, खाता संख्या-538, खेसरा संख्या-2092 तथा 2356, कुल रकवा-3 एकड़, किस्म-गैर-मजरूआ, खास एवं गैर-मजरूआ बहवल बाजार, थाना संख्या-504, खाता संख्या-214, खेसरा संख्या-862, कुल रकवा-3.46 एकड़, किस्म-गैर मजरूआ, श्मशान परती भूमि भवन निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाए जाने के कारण संस्थान के भवन निर्माण की कार्रवाई नहीं करायी जा सकी । पुनः विभागीय अनुरोध के आलोक में आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-1166, दिनांक-27.03.2023 द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर एल0डब्ल्यू0ई0 के भवन निर्माण हेतु खतियान रैयत भूमि बिहार सरकार, अंचल-मीनापुर, मौजा-माणिकपुर, थाना संख्या-503, खाता संख्या-538, खेसरा संख्या-2092 एवं 2356, किस्म-भीठ-1, कुल रकवा-3.5 एकड़ भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है । इसके आलोक में नियमानुसार सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर भवन निर्माण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस लें ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बार वहां जमीन उपलब्ध करवाया हूं और हमारे यहां मतलब कि आई0टी0आई0 कॉलेज के नाम पर बच्चे का एडमिशन भी हो रहा है जो पढ़ रहा है शहर में जाकर के और कमिश्नर का भी एन0ओ0सी0 दिलवा दिए हैं इस बार हमको मालूम है...

(क्रमशः)

टर्न-39/सुरज/31.03.2023

(क्रमशः)

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : उस समय इसका इस्टीमेट था 19 करोड़ का । हमको यह भी मालूम है कि अब रिवाइज्ड होने के बाद यह हो गया है 22 करोड़ । पांच साल से यह मामला पेंडिंग में पड़ा हुआ है । मेरा मंत्री जी से यही आग्रह होगा, वैसे हम बात किये हैं उनसे उत्तर भी हमारा आ गया है । ये कब तक बनवा देंगे मेरा यही आग्रह है इनसे ?

अध्यक्ष : जमीन उपलब्ध हो गयी है ?

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : जी महोदय, कमिश्नर का रिपोर्ट भी आ गया है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री : महोदय, इस जवाब में स्पष्ट किया गया है कि नियमानुसार सभी प्रक्रियायें पूर्ण कर भवन निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई हमलोग बहुत जल्द से जल्द ये सारी प्रक्रिया जो...

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : मंत्री जी सारी प्रक्रियायें पूरी हो गयी है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगले वित्तीय वर्ष में हमारे मीनापुर चूंकि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहां एक भवन का निर्माण कराकर आई0टी0आई0 कॉलेज चालू करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, मंत्री जी बोल देंगे तो हम वापस ले लेते हैं ।

श्री सुरेन्द्र राम, मंत्री : हमलोग विभाग की तरफ से एकदम प्रयास करेंगे कि अगले वित्तीय वर्ष में इस भवन निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कर और कार्य प्रारंभ हो ।

अध्यक्ष : अब आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

<u>क्रमांक- 149 : श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0</u>

श्री सत्येदव राम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की नियमों में ढ़ील देते हुये सीवान जिला के सुरक्षित विधान सभा दरौली क्षेत्र सं0-107 अन्तर्गत दरौली में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति प्रदान करावे ।''

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित संकल्प के संबंध में कहना है कि प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में सीवान जिले के सुरक्षित विधान सभा दरौली क्षेत्र सं0-107 का क्षेत्राधिकार सीवान सदर अनुमंडल के अंतर्गत समाहित है । जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में डी0ए0वी0 कॉलेज, सीवान, राजा सिंह कॉलेज, सीवान एवं वी0भी0 कॉलेज, सीवान संचालित है । अत: सीवान जिले के सुरक्षित विधान सभा दरौली क्षेत्र सं0-107 अंतर्गत दरौली में डिग्री कॉलेज खोलने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है इसलिये माननीय सदस्य से अनुरोध होगा कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सत्येदव राम : महोदय, हमें तो उम्मीद थी कि मंत्री जी घोषण कर देंगे । लेकिन मैं ये प्रस्ताव इसी आधार पर लाया हूं कि अभी पंचायत स्तर पर प्लस टू विद्यालयों की स्वीकृति मिल चुकी है । जिन विद्यालयों में गरीब-गुरबों के बच्चे बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं । घर से खाना खाकर के जाकर के प्लस टू की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन प्लस टू जब पास करते हैं तो उनके पास दूर जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि सीवान अनुमंडल में

इतने कॉलेज हैं यह बात सही है लेकिन जिस कॉलेज की आप चर्चा कर रहे हैं वहां से हम 40 किलोमीटर यू0पी0, बिहार के बार्डर की बात की है और वहां से गरीब के बच्चे और बच्चियों को सीवान आना और जाना, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है और वे सब गरीब परिवार हैं, वे पटना और दिल्ली अपने बच्चे और बच्चियों को नहीं भेज सकते हैं इसलिये हम आग्रह करते हैं । हमने लिखा है अपने प्रस्ताव में कि जो अनुमंडल स्तर पर आपकी नीति है उसमें थोड़ी सी ढ़ील दें और विधान सभा स्तर पर कम से कम जो 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है । उन विधान सभाओं में खास करके दरौली सुरक्षित विधान सभा में एक डिग्री कॉलेज की अनुमति सरकार दे, स्वीकृति दे ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस लीजिये क्योंकि आप सब बात बोल दिये और माननीय मंत्री जी के द्वारा उसको सुन लिया गया है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मेरे बोलने से क्या होगा । मंत्री जी जब बोलेंगे तब न उसका सकारात्मक परिणाम होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की लोकप्रिय सरकार मजलूमों, गरीबों, उपेक्षितों, वंचितों के प्रति कितनी समर्पित है ये परिचय देने की जरूरत नहीं है, ये सरकार के काम से दिखता है । अब माननीय सदस्य की चिंता है । भौगोलिक दृष्टिकोण से नीति में परिवर्तन की आवश्यकता जब होगी तो माननीय सदस्य के क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जायेगी इसलिये माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : अब अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं तो 2016 से वापस ले रहा हूं...

अध्यक्ष : फिर एक बार वापस ले लीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : और सरकार से आग्रह करते-करते इस बार मुझे बहुत उम्मीद हो गयी थी । चूंकि पहले हम विपक्ष में बैठते थे तो वह सरकार भी नहीं सुनी और आज हम जिनको समर्थन दे रहे हैं वह भी नहीं सुनेंगे तो मेरी हालत क्या होगी ।

अध्यक्ष : मंत्री जी आपको आश्वासन दे रहे हैं कि भविष्य में जब नीति बनेगी तो आपके प्रस्ताव के ऊपर भी सरकार विचार करेगी । अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, आपके और मंत्री जी के आश्वासन के बाद हम अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं इस उम्मीद के साथ की आगे...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 150 : श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स0वि0स0

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री रामप्रीत पासवान । श्री सुधांशु शेखर प्राधिकृत हैं ।

क्रमांक- 151 : श्री रामप्रीत पासवान, स0वि0स0

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह मधुबनी जिला के प्रखंड-राजनगर में दरभंगा महाराज के द्वारा दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, गिरजा मंदिर, महादेव मंदिर का सौन्दर्यीकरण कराते हुये पर्यटक स्थल घोषित करावे ।''

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग, बिहार के द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं की जाती है । मधुबनी जिला के प्रखंड-राजनगर में दरभंगा महाराज के द्वारा निर्मित दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, गिरजा मंदिर, महादेव मंदिर वगैरह राज दरभंगा के रिलिजियस ट्रस्ट के अधीन है तथा जिसकी जमाबंदी कायम है । पर्यटन विभाग, बिहार के द्वारा किसी ट्रस्ट, संस्था के अधीन भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही विचार किया जाता है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध कि संकल्प को वापस लेने की कृपा की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक- 152 : श्री अरूण सिंह, स0वि0स0

श्री अरूण सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह रोहतास जिला के डिहरी-बिक्रमगंज पी0डब्लू0डी0 पथ से जोखरपुर नहर पुल के पास से निरंजनपुर वाया-सुकहरा, गोड़ारी, पड़रिया एवं सकला ग्रामीण कार्य विभाग के पथ को पी0डब्लू0डी0 पथ में स्थानांतरित करावे ।''

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि संकल्पाधीन पथ ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत है । पथ अधिग्रहण की नयी नीति पत्रांक-1548, दिनांक-25.02.2020 के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने स्वामित्व वाले पथों का उन्नयन स्वयं कराया जाना है । फिजिब्लिटी प्राप्त कर संसाधनों की उपलब्धता के आलोक में अधिग्रहण कर विचार किया जायेगा । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संकल्प वापस ले लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, ये गैर सरकारी संकल्प बड़ा विश्वास के साथ हमलोग सदन में लाते हैं कि इस पर कम से कम, चूंकि ये माननीय सदस्यों का डे है । इस पर कम से कम सरकार गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और कोई सकारात्मक जवाब सरकार देगी।

(क्रमशः)

टर्न-40/राहुल/31.03.2023

श्री अरूण सिंह (क्रमशः) लेकिन हम तो सुन रहे हैं, चूंकि हमारा अन्तिम है । हमने देखा कि किसी भी सवाल को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और सकारात्मक जवाब भी नहीं दिया । इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो प्रस्ताव आया है मैं जरूर वापस लेता हूं एक सूचना के साथ कि हमारे जिले सासाराम में आज सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है जिसमें गोली, बंदूक, बम सब चले हैं । अभी भी वहां पथराव हो रहे हैं, वहां के जिला प्रशासन की भूमिका बहुत ही संदिग्ध है और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और कोई...

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, एक नंबर । हम प्राधिकृत हैं ।

अध्यक्ष : अच्छा एक बात सुनिये । आप अपना संकल्प पढ़ लिये हैं लखेन्द्र कुमार जी को पढ़ने दीजिये ।

<u>क्रमांक-58 : श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, स0वि0स0</u>

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह जन्दाहा प्रखंड के रामपुर सुरेश चौक से सुजावलपुर जाने वाली सड़क में 12 किलोमीटर सड़क निर्माण के पश्चात् शेष सड़क मंडई डीह से सुजावलपुर तक का सड़क निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है उसको दिखवा लिया जायेगा और जो अनुरक्षण नीति है उस अनुरक्षण नीति के हिसाब से उनकी सड़क के निर्माण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, चूंकि उसमें 12 किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुकी है अब माननीय मंत्री जी मात्र 3 किलोमीटर सड़क बची हुई है पहले वह ग्रामीण कार्य विभाग ने पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर कर दी है । पथ निर्माण

विभाग ने क्या किया कि 12 किलोमीटर ही बनायी है और 3 किलोमीटर छोड़ दिया जबकि 15 किलोमीटर सड़क ट्रांसफर की गयी थी अब ग्रामीण कार्य विभाग कह रहा है कि हमने तो 15 किलोमीटर सड़क ट्रांसफर कर दी पथ निर्माण विभाग को अब पथ निर्माण विभाग 12 ही किलोमीटर बनाया तो उनकी गलती है मैं तीन किलोमीटर सड़क नहीं बनवाऊंगा इसलिए निवेदन है कि यह सड़क तय नहीं कर पा रहे हैं पथ निर्माण विभाग बनवायेगा कि ग्रामीण कार्य विभाग । इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपा करके इस सड़क को बनवा दीजिये । दो विधान सभा और दो जिले वैशाली और मुजफ्फरपुर दोनों जिले प्रभावित होते हैं तो मंडई से अमौली चौक तक सिर्फ 3 किलोमीटर बची हुई है इसको बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो संकल्प है वह बहुत आवश्यक है उसको दिखवा लेंगे ।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन : माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, मेरा बचा हुआ है लिखकर दिये थे...

अध्यक्ष : कितना नंबर है ?

श्री मिथिलेश कुमार : 72 नंबर है महोदय ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नंबर है बीरेन्द्र कुमार जी का ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार ।

<u>क्रमांक-72 : श्री मिथिलेश कुमार, स0वि0स0</u>

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सीतामढ़ी जिले के पुरौरा धाम में पर्यटन विकास का कार्य पूरा करावे ।"

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु बिहार के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर विकास का कार्य किया जा रहा है । इसके तहत पर्यटन विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य किये गये हैं वित्तीय वर्ष...

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी यह जवाब...

अध्यक्ष : नहीं-नहीं, सुनिये ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : सेम वही चीज है महोदय ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सेम चीज नहीं है पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष का प्रस्ताव था कि अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास किया जाय पुरौरा धाम का और मेरा प्रश्न यह है कि हमने व्यक्तिगत तौर पर 37 करोड़ 87 लाख रुपये प्रसार योजना से केन्द्र से स्वीकृत करवाये हैं कई बार जाकर परिश्रम करके स्वीकृत करवाये हैं और दो वर्षों से यह राशि पड़ी हुई है कई बार हमने प्रश्न किया और जिसमें राज्य सरकार को पैसा नहीं देना है शत प्रतिशत केन्द्र सरकार का पैसा इसमें व्यय होने वाला है और हमने कई बार प्रश्न किया और बार-बार उत्तर आया कि प्रस्ताव भेजा जा रहा है, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है तो महोदय बिहार में यह कैसा पर्यटन का विकास, क्या सरकार की योजना है पर्यटन का विकास कराने की कि केन्द्र के पैसे से शत प्रतिशत काम होना है वह प्रस्ताव भी यहां से नहीं भेजा जा रहा है यह अति चिंतनीय है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, पहले भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता को मैंने बताया था कि बिहार में सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी । माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र सरकार को पैसा देना है तो पत्र आया है मैं देख लेता हूं । सबसे बड़ी समस्या है केन्द्र सरकार कहती है 60 हमारा 40 तुम्हारा तो हम 40 लगा देते हैं 60 ये देते नहीं हैं । हम उस पत्र को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद मैं माननीय सदस्य को विभाग में बुलवाकर के पूरी जानकारी से मैं अवगत करवा दूंगा।

अध्यक्ष : वापस ले लीजिये ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, प्रसार योजना से जो पैसा अधिकृत होता है वह शत प्रतिशत केन्द्र सरकार का है उसमें राज्यांश नहीं लगना है और उत्तर जो उन्होंने कहा कि पहले हम दिये हैं...

अध्यक्ष : निर्माण के संबंध में है । मंत्री जी तो कह रहे हैं आपको बुलवायेंगे, आप जाइयेगा पत्र दिखला ही रहे हैं निर्माण न करना है तो निर्माण के बारे में आप लोगों...

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरी चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमने व्यक्तिगत परिश्रम करके 37 करोड़ रुपया केन्द्र से स्वीकृत करवाया और वर्ष 2023 में वह पैसा लैप्स कर जायेगा...

अध्यक्ष : वही सब देखने के लिए माननीय मंत्री जी आपको बुलवावेंगे तब सब कागजात लेते जाइयेगा । अभी आवश्यकता यह है कि आप अपने प्रस्ताव को वापस लें ।

श्री मिथिलेश कुमार : महोदय, इस आश्वासन के साथ हम प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि यह राशि लैप्स नहीं करेगी जो केन्द्र ने बिहार के लिए आवंटित की है और समय-सीमा के अंदर में वह करेंगे...

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । सदन ही सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ ।

पवन जी क्या कहना चाहते थे एक नंबर ?

श्री पवन कुमार जायसवाल : कहना नहीं चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय । एक नंबर पर था और हम अनुपस्थित थे हम ही अधिकृत हैं तो आग्रह होगा कि एक नंबर को समय दे दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप पढ़ चुके हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : नहीं-नहीं । पढ़ना है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : पढ़िये ।

क्रमांक-1 : श्री बीरेन्द्र कुमार, स0वि0स0

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रामीण कार्य प्रमंडल सिकरहना के ढ़ाका-पकड़ीदयाल पथ में ढ़ाका रूपहारा तक जर्जर पथ के अवशेष ढाका-रूपहारा (3.5 कि0मी0) सड़क निर्माण करावे ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, पथ की लंबाई 3.5 किलोमीटर ढ़ाका-पकड़ीदयाल पथ के प्रारम्भ से 8 किलोमीटर क्षतिग्रस्त पथांश में सम्मिलित है जिसकी मरम्मति हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । तद्नुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि संकल्प वापस लें ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण की जरूरत है । विभाग का जवाब गलत है । यह सड़क 16 किलोमीटर है इसमें 12.5 किलोमीटर सड़क भारतमाला योजना के तहत ट्रांसफर हो चुकी है, भारतमाला योजना के तहत होनी है और 3.5 किलोमीटर जो बच गयी यही सड़क अब ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत रह गयी है । हम माननीय मंत्री जी से केवल 3.5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं और ये भी आउट ऑफ मेंटिनेंस है । भारतमाला भारत सरकार की

योजना है उसका निर्माण हो जायेगा । ये 3.5 किलोमीटर की सड़क आउट ऑफ मेंटिनेंस है । सिकरहना से पकड़ीदयाल को जोड़ने की लाईफलाईन है । हम माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि विभाग ने गलत जवाब दे दिया, हम विधायक हैं, हम सदन के सदस्य हैं आपका ध्यान हम आकृष्ट कर दिये, हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि बहुत कम लंबाई की सड़क है इसको कर देने से पूरी लाईफलाईन ठीक हो जायेगी, निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी इस पर आश्वासन देना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : आप जो हैं...

श्री पवन कुमार जायसवाल : माननीय मंत्री जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, पहले से विधायक भी रहे हैं परिचित हैं तो हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी का आश्वासन मिल जाय चूंकि बहुत कम लंबाई है ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, इस पूरी सड़क की जानकारी हमने फोटोग्राफ के साथ मंगवायी है और माननीय सदस्य को मैंने आश्वस्त किया है कि निधि की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर हम इसको करेंगे । अत: माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना संकल्प वापस लें ।

अध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापस ले लीजिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास भी हैं उसी रास्ते से गये थे अभी खालिद अनवर साहब के घर पर कितना सामना किये होंगे वे देखे होंगे । हम निश्चित रूप से आपका संरक्षण चाहेंगे और माननीय मंत्री जी वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस 3.5 किलोमीटर को बनवा देंगे बाकी भारत सरकार के स्तर से हो जायेगा ।

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव वापस लीजिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आपका आश्वासन है तो हम वापस ले रहे हैं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ । अब गैर सरकारी संकल्प समाप्त हुए।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या सुनाना चाहते हैं आप । आप तो सुना चुके हैं ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस किताब के कवर को देखा जाय...

अध्यक्ष : किताब काहे को सुनाते हैं । आपका गैर सरकारी संकल्प हम लोग सुन लिये ।

श्री ललन कुमार : किताब के कवर पेज पर लिखा हुआ है कि उसने गांधी को क्यों मारा । यह डॉक्टर अंबेडकर जी पर चार्जशीट है, किताब नहीं है ये । गांधी का हत्यारा अंबेडकर को ठहरा रहे हैं हमने...

अध्यक्ष : आप टेबल पर रख दीजिये ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 31 मार्च, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-57 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।